हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

11.12.2014/1100/केएस/एजी/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैंने आज नियम-67 के अंतर्गत एक नोटिस दिया है और उसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो पिछले कल मेरे चुनाव क्षेत्र में सराजघाटी की थुनाग पी.एच.सी. में एक डॉक्टर फैमिली प्लानिंग के कैम्प में शराब पीकर ऑप्रेशन करने के लिए चला गया। मुझे जानकारी मिली है कि उस डॉक्टर को पहले से ही फैमिली प्लानिंग और दूसरे ऑप्रेशन के लिए सरकार की ओर से मना किया गया था, सी.एम.ओ. ने भी उसको रोका था कि आप नहीं जाएंगें लेकिन ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि थुनाग पी.एच.सी. में उस डॉक्टर को ऑप्रेशन करने के लिए भेजा गया। 67 महिलाओं की वहां पर नसबन्दी होनी थी। उनकी रजिस्ट्रेशन हुई, उसके बाद क्योंकि वे महिलाएं जो वहां पर ऑप्रेशन करने के लिए आती हैं, वे खाली पेट आती है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, यह क्या आपका प्रश्न है?

श्री जय राम ठाकुर :नहीं, सर। नियम-67 के अंतर्गत मैंने नोटिस दिया है और मेरा आपसे निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उस डॉक्टर ने चार ऑप्रेशन किए और उसके बाद वह डॉक्टर वहां पर सो गया।

अध्यक्षः आप बैठ जाईए। मेरी बात सुनिए। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा है इस मुद्दे पर मुझे आपका नियम- 67 का नोटिस आ गया है और इसको मैंने सरकार को उसके कमैंट्स के लिए भेजा है और इस पर चर्चा होगी । उस समय आप इस पर बोल लेना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 67 जो है उसको आप ऑर्डिनेरिली इन्वोक न किया करें क्योंकि this is a rare thing.

श्री जय राम ठाकुर :अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्षः अगर महत्वपूर्ण विषय है तो इस पर जरूर चर्चा करेंगें। हम आपको रोक नहीं रहे हैं। इस पर चर्चा होगी लेकिन अभी इसको सरकार को रिपोर्ट के लिए भेज दिया है । माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं।---(व्यवधान)----

11.12.2014/1100/केएस/एजी/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, कल सराजघाटी की थुनाग पी.एच.सी. में फैमिली प्लानिंग का कैम्प था।---- (व्यवधान) ---आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः जय राम जी, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप चर्चा चाहते हैं तो कराएंगे चर्चा। अभी बैठ जाईए। शोर करने से चर्चा नहीं होगी। मैं आपको अलाऊ करूंगा। इस पर चर्चा होगी । मंत्री जी से रिपोर्ट आ जाए तो चर्चा भी होगी इसलिए आप कृपया बैठ जाईए।

श्री जय राम ठाकुर श्रीमती0 अ0व0 द्वारा जारी---

11.12.2014/1105/ag-av/1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आदमी की जान से महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकती। जिस प्रकार 30 महिलाओं का ऑपरेशन करते-करते डॉक्टर खुद सो गया; तो इससे महत्वपूर्ण विषय और क्या हो सकता है?

अध्यक्ष : यह विषय महत्वपूर्ण है इसीलिए तो इसको चर्चा के लिए रख रहे हैं। (---व्यवधान---)

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार आज ही चर्चा के लिए तैयार है लेकिन इस विषय की नियम 67 के अंतर्गत चर्चा नहीं होगी। हम प्रश्न काल के बाद चर्चा के लिए तैयार हैं। एक घंटे के बाद चर्चा हो जायेगी मगर 67 के अंतर्गत चर्चा नहीं हो सकती। हम एक घंटे के बाद चर्चा के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष : हम इसकी चर्चा कॉलिंग अटैंशन मोशन के अंतर्गत करेंगे और आपको पूरा मौका देंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : आप बैठिए तो सही। आप सारे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। This is not the way. आप क्या बोलना चाहते हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस विषय को नियम 67 के अंतर्गत लगाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। किसी की डैथ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अगर आप कॉलिंग अटैंशन लाना चाहते हैं तो हम प्रश्न काल के बाद पूरी डिटेल लायेंगे। We have zero tolerance towards negligence by the Doctors. We have placed the Doctor under suspension. उसकी एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज हो गई है और आज वहां पर विधिवत तौर पर ऑपरेशन हो रहे हैं।

(---व्यवधान---) उस डॉक्टर को सस्पैंड कर दिया है। (---व्यवधान---) सस्पैंड कर दिया है डॉक्टर को।

अध्यक्ष : आप, बैठिए। एक मिनट बैठिए ,प्लीज। हां, बैठ जाइए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियम 67 है it should be rarely invoked. हम हरेक चीज तो 67 में नहीं लगा सकते। हम आपको नियम 62 के अंतर्गत अलाउ कर देंगे। उसके बाद जैसे मंत्री जी ने कहा कि ये जवाब देंगे। This is a routine matter.

11.12.2014/1105/ag-av/2

67किसलिए होगा? I reject it under Rule 67. (---व्यवधान---) आपको नियम 62 के अंदर जवाब दे दिया जायेगा। इसमें आप कॉलिंग अटैंशन मोशन
(---व्यवधान---)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष : गम्भीर मामला है, तभी तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत लगेगा। कॉलिंग अटैंशन में लगायेंगे तो (---व्यवधान---) नियम के अनुसार इसको 62 के तहत मौका देंगे। (---व्यवधान---) You can put it under Calling Attention Motion.आप प्रश्नकाल के बाद कॉलिंग अटैंशन मोशन ला सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, एक और प्वाईंट है। हमारा डीजल और पैट्रोल के ऊपर नियम 67 का एक नोटिस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहां महंगाई लगातार बढ़ रही है जबकि केंद्र सरकार महंगाई घटा रही है और हम बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष : सारी बातें प्रश्न काल के बाद करते रहेंगे। आपको प्रश्न काल के बाद समय मिलेगा और आपको उसका जवाब मिलेगा।
श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 67 के अलावा और कोई रूल नहीं है। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : मैं इसको 67 में अलाउ नहीं करुंगा। This is a routine matter. Everyday such things are happening. I cannot allow 67 every time. हर बात के लिए 67 (---व्यवधान---) एक मिनट। आप, बैठ जाइए। रवि जी बैठ जाइए।
श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 67 बनाया ही क्यों जब इसके तहत चर्चा नहीं होगी। हम लगातार 6 दिन से 67 के अंतर्गत चर्चा मांग रहे हैं।----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1110/negi/jt/1
श्री रविन्द्र सिंह ....जारी...

हम लगातार 6 दिन से नियम-67 के अन्तर्गत चर्चा मांग रहे हैं। अगर आप इसको एलॉऊ नहीं करेंगे तो फिर इस नियम को क्यों रखा है? ... (व्यवधान)...

अध्यक्ष: आप मेरी बात सुनिए। मुख्य मंत्री जी आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के कुछ माननीय वरिष्ठ सदस्यों के रवैये से बहुत हैरान हूं। हम हमेशा हर प्रकार की चर्चाओं के लिए तैयार हैं। ... (व्यवधान) ... सुनिए, सुनिए। अभी एक डॉक्टर का मामला आया। यह गम्भीर मामला है। It is a case of negligence by a particular doctor and he will be punished for that. He will be suspended; he will be charge-sheeted. वहां पर दूसरे डॉक्टर को भेजा गया है। All the operations are going on as usual. यह हुआ है। जो उसने किया है वह बहुत गलत किया है। Suitable action will be taken.

Now, this can be brought to the notice of the House by some other means, not by adjournment motion. एडजर्नमैन्ट मोशन बहुत ही गम्भीर चीज़ के लिए होती है, कोई बहुत ही गम्भीर बातों को ले करके होती है। यह नहीं कि किसी को छींक आ गई तो एडजर्नमैन्ट मोशन ले आए। ....(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज-प्लीज़। .....(व्यवधान)...

श्री रविन्द्र सिंह : केवल मात्र यही एक विषय नहीं है , अन्य विषय भी हैं। पी.एच.सी. मसरूर का डॉक्टर पालमपुर में प्रैक्टिस करता है । यह तथ्य मैंने कई बार आपके समक्ष लाया है। ....(व्यवधान)...

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य, माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं, इन्हें नियमों की सारी जानकारी है और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि प्रश्नकाल चलने दें।

प्रश्नकाल

11.12.2014/1110/negi/jt/2
प्रश्न संख्याः 674

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभापटल पर रखी है उसमें इन्होंने ब्यौरा दिया है कि 1 अप्रैल, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक 5005 पात्र व्यक्तियों को संबंधित विभागों में नियमित/ अनुबन्ध/ दैनिक वेतन आधार पर रोज़गार दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो ये 5005 नियुक्तियां की गई हैं इनमें से कितने व्यक्तियों को हि.प्र. पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, कितने व्यक्तियों को हि.प्र. सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, कितने व्यक्तियों को करूणामूलक आधार पर और कितने व्यक्तियों को विभागों के द्वारा रोज़गार दिया गया, क्या यह विवरण देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से 30 नवम्बर, 2013 तक प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों/बोर्डों व स्वायतशासी संस्थाओं में कुल 5005 व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान किया गया है । ये विभिन्न कैटेगरी के हैं, कोई करूणामूलक आधार पर हैं और कुछ दूसरे आधार के ऊपर हैं । मगर ये वे लोग हैं जिनकी बहुत लम्बे अर्से से एप्लीकेशन्ज़ पैंडिंग पड़ी हुई

थी । जहां तक कि ये किस-किस कैटेगरी के हैं , यह सूचना मेरे पास नहीं है। I will collect this information and write to you.

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि इनमें मुख्यतः हारनैस के केसिज़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें गेजेटिड़ - क्लास-I, एप्वॉइन्टमैन्ट्स भी हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती है। ये सारा पिछला बैकलॉग था। सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में भी पिछला बैकलॉग था जो आचार संहिता और अन्य कारणों से नहीं निकल पाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास अभी यह सूचना उपलब्ध न हो, आप बाद में सूचना दे दीजिए। लेकिन यह हकीकत है कि पिछला जो बैक-लॉग था, जो कई दिनों से पैंडिंग था उस वजह से ये जो नियुक्तियां हैं, वो हुई हैं । जो हारनैस की बात कही है, वह तो एक पक्ष है ही है। यह मैं जानना चाहूंगा कि ....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

11.12.2014/1115/यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या ---**674क्रमागत**----
श्री गुलाब सिंह ठाकुर---**जारी**----

जो हारनेस्स की बात कही है वह तो वह सही है । मैं जानना चाहूंगा कि आप यह सारी सूचना सभा पटल पर रखेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महादय, इसकी विस्तृत सूचना मेरे पास नहीं हैं । जो नम्बर है इसकी सूचना डिपार्टमैंट वाईज़ आती है कि किस आधार पर कौन रखा गया है मैं यह सारी सूचना प्राप्त करके आपको भेज दूंगा ।

प्रश्न समाप्त

11.12.2014/1115/यूके/जेटी/2

प्रश्न संख्या 779

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष हो गए और चौथी बार इस प्रश्न के बारे में जवाब आ रहा है और देखने वाली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आपके ध्यान में भी यह बात लाऊं ताकि आपका भी दबाव सरकार के ऊपर पड़े । प्रश्न साधारण सा था कि 1 जनवरी 20 13से 30 नवम्बर 2013 तक सरकार ने कितने विभागों में कितने-कितने स्थानांतरण किए । इसमें से कितने प्रशासनिक आधार पर

किए कितने अर्द्ध-शासकीय , डी0ओ0 के आधार पर किए और इन स्थानांतरण में कितने कर्मचारी न्यायालयों में गये और कितने स्थानांतरण
रद्द किए गए और उन्हें समायोजित किया गया ? जिलावार और विभागवार ब्यौरा दिया जाए । यह चौथा मौका है कि इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है । क्या सूचना विदेशों से आनी है ?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सूचना कई विभागों से आनी है । आपने यह नहीं कहा कि सचिवालय की सूचना चाहिए । आपने पूरे हिमाचल की सूचना चाही है, that means district level, tehsil level, divisional level, sub divisional level. यानि सारे प्रदेश की सूचना मांगी है । इसलिए सूचना एकत्रित की जा रही है । जब एकत्रित हो जाएगी तो हम दे देंगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, सूचना एकत्रित की जा रही है अब क्या है?

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष जी, मेरा इनसे अनुरोध रहेगा कि दो साल हो गए हैं । जब भी इस प्रश्न का जवाब आए तो उससे एक महीने पहले तक यह सारी सूचना इस जवाब में आनी चाहिए ।

प्रश्न समाप्त

11.12.2014/1115/यूके/जेटी/3

प्रश्न संख्या-1406

श्री महेन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है वह सूचना अधूरी है । इस सूचना के मुताबिक हमने जनवरी 2013 से अक्तूबर से 14 अक्तूबर 2014 तक की सूचना मांगी थी । क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि गंदम के आटे की पिसाई का टैंडर जो 3-1-2014 को खुला ,मैं आपकी सूचना के अन्दर ढूंढ रहा था कि इस के बारे में आपने कोई जानकारी दी होगी । लेकिन इसमें आपने इसकी कोई जानकारी नहीं दी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आपने जानकारी छुपाई है । आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो टैंडर है इसकी कॉपी मैने ऑथंटिकेट करके सभा पटल पर भी रखी है।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

11.12.2014/1120/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 1406 ...क्रमागत

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है जो आपने यह निर्णय लिया कि हम प्रदेश की जनता को गंदम नहीं देंगे बल्कि आटा खिलाएंगे। जो आपने आटे का टैंडर कॉल किया उसमें लिखा है कि 5%, यानी एक क्विंटल गंदम आटे में कन्वर्ट करने पर 5 किलो ब्रान के रूप में फ्लोर मिल मालिक को माफ कर दिया जाएगा। नंबर 2, एफ.सी. आई. से आपको जो गंदम मिल रही है वह 6.24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। आपने 60/- रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उस पर आटा पीसने वाले को पिसाई दे दी। 60/- रुपये का मतलब है कि आपकी 10 किलो गंदम वहां चली गई और 5 किलो गंदम फ्लोर मिल वालों को माफ कर दी क्योंकि वह ब्रान के रूप में उड़ गई। इस तरह कुल 15 किलो गंदम चली गई। मंत्री जी, यह समझ नहीं आ रहा है कि आप एक साल के लिए 2,14,500 मीट्रिक टन गंदम भारत सरकार के एफ . सी. आई. गोदाम से उठाते हैं और उसकी कन्वर्शन का आपने टैंडर दिया है। मैं अर्थमैटिक तो उतना ज्यादा नहीं जानता लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस 2,14,500 मीट्रिक टन में से कम-से -कम 30-35 मीट्रिक टन गंदम उन फैक्टरी मालिकों को या फ्लोर मिल मालिकों को दे दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जैसे पहले गंदम दी जाती थी ,वह गंदम सीधी लोगों के घर में जाती थी और जब उपभोक्ताओं को यह गंदम मिलती थी तो वह उस गंदम को साफ करते थे और उसके बाद, गांवों में जो लघु उद्योग हैं ,छोटी-छोटी चक्कियां गांवों में लगी हैं ,उन चक्कियों में इस आटे को पिसाया जाता था। आपने सीधे तौर पर गंदम न देने का निर्णय क्यों लिया? तीसरे, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो आटा दिया, वह आटा सोलन में पहुंचा। 'आपका फैसला' समाचार पत्र कहता है - 'डिपुओं में पहुंचा खराब आटा ' ,'दिक्कत जाननी है तो डिपो आएं मंत्री और अफसर ' ,'सब पर भारी दाल, तेल और तरकारी' और 'बाजार में पहुंची सड़े आटे की खेप '। मैं जानना चाहता हूं कि जो सड़ा हुआ खराब आटा उपभोक्ताओं को मिला ,वह किन फ्लोर मिल से मिला? उस फ्लोर मिल के ख़िलाफ़ आपने आज तक क्या एक्शन लिया? अगर कोई एक्शन लिया है तो इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है कि वह क्या कार्रवाई की है, एक क्विंटल पर आप उनको क्यों 15 किलो छूट दे रहे हैं?

11.12.2014/1120/SLS-AG-2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने कहा कि जानकारी पूरी नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, हम कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। तकरीबन-तकरीबन 32-33 पेजिज की जानकारी आपको दी है। (व्यवधान) पूरी जानकारी यहां पर पड़ी है और हमने पूरी डिटेल्ज दे रखी है। (व्यवधान) हजारों पेज हैं , अगर आप चाहते हैं तो मैं पढ़ता जाता हूं। (व्यवधान) मैं स्पैसिफिक पर भी आ रहा हूं। इसमें आपने फरमाया कि गंदम से आटा पिसाने के लिए टैंडर कर दिया। हमने अभी तक उसका कोई भी टैंडर फाईनल नहीं किया है और कोई भी टैंडर अवार्ड नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपने कहा कि 5% देंगे। यह बात को सैंसिटाईज करने की बात है। 60 पैसे किलो पिसाई हुई। अध्यक्ष महोदय, यहां अगर कोई हमारे वरिष्ठ मैंबर हैं जो मंत्री रहे हैं ..

जारी .. गर्ग जी

11/12/2014/1125/RG/AG/1
प्रश्न सं. -----1406क्रमागत
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री----क्रमागत

60पैसे किलो पिसाई हुई। अगर कोई वरिष्ठ सदस्य हैं जो पहले मंत्री रहे हैं, उनके पास यदि कोई सस्ता और क्वालिटी का काम करने वाला हो, तो उससे टैण्डर करा दें। हम एल-1 के बाद नेगोशियेट कर लेंगे कि आप इनकी रिकॉमैन्डेशन से आए हैं , इससे कम आए हैं, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। हमें कुछ नहीं छिपाना है। तीसरी बात जो आपने कही, यह ब्रान प्रोसीजर है। इतना ब्रान पांच प्रतिशत रहता है और यह अब से नहीं है , आप पिछला देख लें कि कितना है फिर आपके प्रश्न का उत्तर और दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सड़े हुए आटे की बात कही। हमने एक डायरैक्ट्री बनाई है ,उसमें हमने डिपुओं के फोन नंबर दिए हैं। मैं सदस्य महोदय से चाहूंगा कि अभी तुरन्त मुझे उस डिपो का नंबर दें ,मैं अपने अधिकारियों को भेज दूंगा। वे चलते-चलते पता करके अभी आपको बताएंगे। बाकी समाचार-पत्रों में क्या छपता है ,उसको।

श्री महेन्द्र सिंह : उसकी कोई परवाह नहीं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : नहीं परवाह है। हमें तो पूरे हिमाचल की जनता की परवाह है। समाचार-पत्रों में जो छपता है उसमें पूरे तथ्य नहीं होते। मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिपो नंबर है ,तो कृपा करके मुझे डिपो नंबर बताएं ,हमने एक-एक किताब आपको भी उनके बारे में दी हुई है कि डिपोओं का यह नंबर है। कृपा करके मुझे बताएं ,मैं उसकी जांच करवाता हूं।

श्री महेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने आटे का कोई टैण्डर नहीं किया है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : मैंने कहा कि अवार्ड नहीं किया।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टैण्डर डॉक्युमैंट्स की कॉपी, एन.आई.सी. की कॉपी मेरे हाथ में है अगर यह गलत है, तो मैं त्याग-पत्र दे दूंगा, अगर ठीक है, तो ये त्याग-पत्र दे दें। क्या इस बात से आप सहमत हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : मैंने कहा कि अवार्ड नहीं किया है। टैण्डर करने और अवार्ड करने में अन्तर है।

11/12/2014/1125/RG/AG/2

श्री महेन्द्र सिंह : फिर यह आटा कहां से आया ? यह आटे की सप्लाई आई। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि हमने टैण्डर नहीं किए। मैं मान लेता हूं कि आपने नहीं किए। आपको एफ.सी.आई. से आटा नहीं मिलता, आपको वहां से गन्धम मिलती है। फिर यह आटा कहां से आ रहा है? क्या आप बताएंगे कि यह आटा कहां से आ रहा है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कि इन्होंने कहा कि मैं समाचार-पत्रों पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। यही तो हमारे लोकतंत्र का स्तम्भ है और हमारे संविधान के लिए हम इसको जितना मजबूत करेंगे, उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि क्या आप यह बतलाएंगे कि आपको कितना चावल मिला और उस चावल की कैरिज और डिस्ट्रीब्युशन के कितने टैण्डर्ज आपने किए ? मेरा अधिकार सब कुछ पूछने का है इस प्रश्न में सारा कुछ कवर होता है जितनी भी चीजें हैं, सब कवर होती हैं। अभी तो दाल आएगी, तेल आएगा ,चीनी आएगी और अभी तो इसमें बहुत कुछ आएगा। अभी तो पूरी धाम का इन्तजाम हो रहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री महेन्द्र सिंह : मंत्री जी, आप चिन्ता न करें। मैं जानना चाहता हूं कि यदि आपके टैण्डर्ज नहीं हुए, तो यह सारा कुछ कहां से आ रहा है?

खाद, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, presently about 70 mills and chakis जिनका ये जिक्र कर रहे थे कि गांव-गांव में चक्की है। विभाग में 70 मिल और चक्की रजिस्टर्ड हैं जिनको समय-समय पर विभाग एलोकेशन करता है और उसका 6 0पैसे प्रति किलो दिया जाता है प्लस ट्रांसपोर्टेशन, यह दिया जाता है और वहां से आटा बनता है जितनी रिक्वायरमैंट आटे की होती है वह आटे के रूप में दिया जाता है ,जो कनक चाहता है उसको कनक के रूप में दिया जाता है। यह कोई अभी इस सरकार में चेन्ज नहीं हुआ है। आप तथ्यों को निकाल कर देख लें और उसके बाद फैक्चुअल पोजीशन ले आएं।

श्री वीरेन्द्र कंवर : अध्यक्ष महोदय, हमने जो सूचना चाही थी इसमें जनवरी, 2013 से 31 अक्तूबर, 2014 तक की, उसमें कहा गया कि जो प्रदेश की आबादी है वह 7801540 है।----------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

11/12/2014/1130/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1406 क्रमागत--- श्री वीरेन्द्र कंवर जारी-----

जो प्रदेश की आबादी है, वह 78,01,540 है और पी0डी0एस0 में लेवी की चीनी प्रति व्यक्ति 600 ग्राम एक महीने के हिसाब से दी जा रही है। जो हमने टोटल चीनी खरीदी है, वह 2,35,836 क्विंटल खरीदी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 78 लाख की आबादी के लिए कितनी चीनी 600 ग्राम के हिसाब से मिलनी चाहिए थी? इन्होंने कितनी खरीदी तथा केन्द्र से किस रेट पर मिली और प्रदेश के अंदर क्या वह उसी रेट पर दी गई है या महंगी करके उसे प्रदेश की जनता को दिया गया? इसके अलावा, मैं एक बात और जानना चाहता हूं। जो पी0डी0एस0 के माध्यम से राशन आपने आम जनता को दिया, जनवरी 2013 से पहले कितना राशन प्रति परिवार मिलता था और खाद्य सुरक्षा बिल जब से आया है, तब से कितना राशन प्रतिव्यक्ति दिया जा रहा है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, जहां तक माननीय सदस्य ने चीनी की बात की , तो चीनी डि -रेगुलेट कर दी है और इसको भारत

सरकार अब नहीं देती है। प्रदेश सरकार ही चीनी प्रोक्योर करती है तथा ओपन टैण्डरिंग के माध्यम से करती है। (व्यवधान) ब्रदर समय दो। जो रेट पहले था अब भी चीनी का वही रेट है। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंहः जो अधिकारियों ने पर्ची दी है, आप उसी से पढ़ रहे हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः मैंने अभी पर्ची देखी ही नहीं है। मैं अपने आप जवाब दे रहा हूं। अध्यक्ष जी, जो ए0पी0एल0 का रेट है , उसको हम मार्किट से बड़ा सस्ता ले रहे हैं और जो बी0पी0एल0 और अन्त्योदया का रेट है, वह वही रेट है जो भारत सरकार ने पहले रखा था।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह खाद्य से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि ई-टैण्डरिंग के माध्यम से वस्तुओं का क्रय करते हैं। इन्होंने कभी एक महीने का राशन लिया है, कभी दो महीने का और कभी छः महीने का लिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो टैण्डर करते हैं, वह कितने महीने या कितने साल का राशन इकट्ठा खरीदने के लिए करते हैं? इसके अलावा, मैं यह भी जानना चाहता हूं जैसे अभी इन्होंने कहा कि

11/12/2014/1130/MS/AG/2

इससे 78 लाख जनसंख्या लाभान्वित हो रही है। तो हिमाचल की वास्तविक जनसंख्या आज क्या है क्योंकि सैंसस के अनुसार तो जनसंख्या 68लाख है और जो इन्होंने दालें और तेल इत्यादि सामान मंगवाया है , वह इतना कम है कि दो लाख लोगों को भी पूरा नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने कितना राशन मंगवाया है तथा कितने लोगों को दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने डिपुओं में राशन दिया ही नहीं है? यह मैं जानना चाहता हूं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो यह 78 लाख और 70 लाख का मामला है, जब हम विपक्ष में बैठते थे, तब भी इसकी चर्चा करते थे। आजकल हम इलेक्ट्रोनिक काड्र्ज पर जा रहे हैं और पायलट प्रोजैक्ट चला हुआ है। जैसे ही यह सुविधा पूरी होगी तो जिन्होंने डुप्लीकेट काड्र्ज बनाएं हैं, वे पहचाने जाएंगे। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर किसी को ऐसा पता लगे कि किसी ने डुप्लीकेट कार्ड बनाया है तो वह कृपा करके मुझे बताए ताकि हम आपकी जानकारी के माध्यम से उसका कार्ड काटकर प्रदेश का भला कर सके।

इसके अलावा, टैण्डर की बात की गई है। पहले टैण्डर एक महीने का करते थे। परन्तु जब तक मटीरियल आता था, तब तक राशन की शॉर्टेज हो जाती थी। फिर केबिनेट ने निर्णय लिया कि तीन महीने का टैण्डर होना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि तीन महीने में भी कई बार सप्लाई में दिक्कत हो जाती थी और हमने करोड़ों रूपये की लेट फीस लेट डिलीवरी की लगाई हुई है। उसके बाद फिर यह फैसला हुआ कि छः महीने का राशन लेंगे ताकि छः महीने तक बाकी सप्लाई कन्टीन्यूएशन में रहे। इसलिए किया गया और इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। Department can take a view at any time.

श्री महेन्द्र सिंह जे0के0 द्वारा-------

11.12.2014/1135/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः --:1406जारी------

श्री महेन्द्र सिंहःआदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी स्पष्ट तौर से उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी के टेण्डर किए गए। उस चीनी के टेण्डर में और जो चीनी मिल से आती है उससे 3 रूपये 72 पैसे ज्यादा का रेट रखा गया। वह टेण्डर एवार्ड कर दिया गया है, उसके क्या कारण रहे हैं?

मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछली बार इस माननीय सदन में इस बारे में चर्चा हुई थी , उस वक्त आपने कहा था कि प्रदेश के उपभोक्तओं की संख्या 70 लाख है। आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की वास्तविक जनसंख्या के मुताबिक राशन कार्ड जारी किये जाएंगे। जो बोगस राशन कार्ड बने हैं उनको मैं खत्म करूंगा लेकिन जो 77 लाख राशन कार्ड थे अब एक साल में 78,01,540 लाख हो गए। मैं, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने उस वक्त कहा था कि मैं राशन कार्डज़ को कम करूंगा लेकिन क्या कारण है कि आपने और भी ज्यादा राशन कार्डज़ बना लिए ? इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जितनी चीनी,दालें,तेल और नमक हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। जैसे कि आपने अपनी रिप्लाई में उत्तर दिया है वह 10वाँ हिस्सा है बाकी माल कहां गया? उस माल को कौन खा गया?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का अपने बयान में ही विरोधाभास है। 10 प्रतिशत माल मिला तो 90 प्रतिशत कौन खा गया? आया ही नहीं तो कौन खा गया? इसकी इनको जानकारी होगी। आप कह रहे हैं कि माल ही नहीं आया। हमने पूरा माल लाया और पूरा माल लोगों को

दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जितनी रिक्वायरमैंट होती है उतना ही सामान लाया जाता है और सारे का सारा माल लोगों को वितरित किया जाता है। लोग पूरी शांति से अपना सारा सामान लेते हैं और इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास तो सूचना नहीं है मैं तो ई-टेण्डर और ग्लोबल टेण्डर करवा सकता हूं। इनके पास सूचना होगी कि कौन सी मिल में क्या रेट है ? मेरे पास कोई सूचना नहीं है। टेण्डर के मुताबिक जो L 1-आता है उसको टेण्डर दिया जाता है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य काफी हो गया है। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न है उनको भी करना है। माननीय सदस्य प्लीज अगला प्रश्न बोलिए।

11.12.2014/1135/जेके/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1408

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मेरी जो सूचना है वह केवल पांच महीने पहले की सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र की है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो प्रश्नों का जवाब दिया था कि पूरे हिमाचल की सूचना अभी नहीं दी जा सकती है, लेकिन मेरी तो यह छोटी सी सूचना है। मेरे प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। यह सूचना इन्टेंशनली एकत्रित नहीं की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी नॉलेज के मुताबिक जब से बाई इलैक्शन हुआ है उसके बाद सैंकड़ों के हिसाब से क्लास- IV कर्मचारी जिनमें चपरासी ,चौकीदार और बेलदार की बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसफर्ज़ की गई। मुझे बड़ी हैरानी है कि 15-15 हजार रूपये खर्च करके मेक्सिमम कर्मचारियों ने हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डज़ लिए हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

11.12.2014/1140/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 1408 क्रमागत

श्री नरेन्द्र ठाकुर क्रमागतः

मुझे अभी 5-6 दिन पहले सूचना मिली है कि जिन्होंने स्टे ले रखा है उनकी दोबारा वहां पर ट्रांसफर की गई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये ट्रांसफर किस आधार पर की जा रही हैं और इतनी लार्ज स्केल पर ट्रांसफर क्यों की जा रही हैं? सैकिण्डली, मेरी इंफोरमेशन के मुताबिक ---(व्यवधान)---

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है। I have no material to answer. मैं कह रहा हूं कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास अभी सूचना नहीं आई है।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः सर, मेरी बात सुन तो लो। It is my first experience. Help me. अगर कोई गलत बात हो रही है तो kindly help me. It is my first experience.

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि मेरे पास अभी सूचना नहीं आई है तो मैं जवाब कैसे दे सकता हूं।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अगर सूचना एक साल तक नहीं आए तो क्या हम उसका वेट करते रहेंगे? Just listen me. (***)

11.12.2014/1140/SS-AG/2

मुख्य मंत्रीः पहले मैंने यह कहा कि सूचना सभी विभागों से श्रेणीवार एकत्रित की जा रही है और अभी मेरे पास सूचना नहीं है। उसके बावजूद ये अपना जो political rival है उस पर यहां पर कई आरोप लगा रहे हैं, चरित्र हनन कर रहे हैं। **Is this House for that? All what he has said may be expunged.**

***(**माननीय अध्यक्ष महोदय ने सांकेतिक सहमति व्यक्त की**)

प्रश्न समाप्त

11.12.2014/1140/SS-AG/3

प्रश्न संख्याः 1409

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, ये जो सूचना सभापटल पर रखी गई है इसमें दर्शाया गया है कि इन 22 महीनों में जब से यह सरकार सत्ता में आई है 5486 दुर्घटनाएं प्रदेश में हुईं। लगभग एक महीने में 250 से ऊपर दुर्घटनाएं हो रही हैं यानी कि अगर आप रोज का टोटल करेंगे तो मुझे लगता है कि 20या 22 दुर्घटनाएं प्रदेश में डेली हो रही हैं। बीच में जैसे कहा गया, कारण भी दर्शाये हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या, तेज गति, नशे में वाहन चलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना दुर्घटना के कारण बताए हैं। मुख्य मंत्री महोदय यह तो सही है लेकिन आजकल पूरे प्रदेश में पुलिस है। ये जो चार कारण बताये हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं

जगह-जगह पर पुलिस नाके लगाकर खड़ी है। आप यहां से धर्मशाला को चलेंगे तो आपको अपने गंतव्य तक पहुंचते-पहुंचते 20 जगह पर पुलिस चैकिंग करेगी। जब पुलिस चैक कर रही है तो ये जो आपने दुर्घटनाओं के चार कारण बताए क्या मौके पर पुलिस उनको ठीक से चैक नहीं करती?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय , पिछले कल दुर्घटनाओं के बारे में चर्चा हुई। मुझे लगता है कि उस पर चार घंटे तक चर्चा हुई। उस चर्चा में कल जो माननीय मंत्री महोदय ने आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों में और आज के आंकड़ों में केवल एक दिन में इतना भारी अन्तर कैसे आ गया? पिछले कल आंकड़े कुछ और थे और आज आंकड़े कुछ और हैं।

तीसरा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, जैसे आपने कहा है कि जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार मृतकों के परिजनों को फौरी राहत राशि दे दी गई है। शेष राशि औपचारिकताएं पूरी होने पर दी जाती है। ऐसे कितने मामले पैंडिंग पड़े हैं जिनको अभी तक राहत राशि देनी है? आपने यहां पर लिखा है कि रैश ड्राइविंग, नैग्लिजैंट ड्राइविंग की रोकथाम के लिए नियमित रूप से चैकिंग होती है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब वे खड़े होते हैं वे चैकिंग क्या करते हैं यह भी सारी सूचना बताई जाए।

जारी श्रीमती के0एस0

1145/11.12.2014 केएस/एजी1/
प्रश्न संख्याः 1409 जारी--
श्री रविन्द्र सिंह जारी---

पुलिस को केवल मात्र चालान करने के लिए व पैसा उगाही करने के लिए ही खड़ा नहीं किया जाए। उनका केवल मात्र एक ही काम होता है बाकी कितनी स्पीड है, लाईसैंस ठीक है या नहीं, हैलमैट लगाया है या नहीं लगाया, यह नहीं देखते केवल लोगों के चालान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। आपने यह भी कहा कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए गए जैसे विज्ञापन, सड़कों के किनारों पर सूचनात्मक बोर्ड ,रोड सेफ्टी क्लब्ज़ आदि का गठन आदि। इतना करने के बावजूद भी अभी तक भी प्राईवेट बसों में बीड़ी और सी.डी. सब कुछ चला हुआ है। आपके ट्रक ड्राईवर भी और बसों के ड्राईवर भी मोबाईल सुनते हुए गाड़ी चलाते हैं। जब आपने पूरे प्रदेश में नाकों पर पुलिस लगा रखी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि मोबाईल सुनते हुए ड्राईविंग करने वालों के

कितने चालान आपने किए ? इसके अलावा आपने ओवर लोडिंग वाहनों के प्रदेश में कितने चालान किए ? जो जानकारी प्राप्त हुई है वहां ओवर लोड हो कर बड़े-बड़े ट्राले, जो हिमाचल का बॉर्डर हैं वहां नाके के ऊपर वहीं पर लेन-देन करके उनको अन्दर घुसने दिया जाता है इससे सड़कों की तबाही हो रही है और उसके कारण भी यहां पर ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। इसलिए यह भी बताया जाए कि ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए और उनकी कितनी कैपेसिटी है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैा उसकी सप्लीमैंटरी पूछ रहा हूं जो आपने यहां पर जवाब दिया है ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर कल विस्तार से चर्चा हुई है। जो इन्होंने यह प्रश्न पूछा है कि प्रथम जनवरी, 2013 से 31 अक्बूबर, 2014 तक प्रदेश में कुल कितने सड़क हादसे/दुर्घटनाएं हुई तथा कितने लोगों की मृत्यु हुई व कितने जख्मी हुए; ब्यौरा दोषियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई व हादसों के मुख्य कारण सहित दें।

1145/11.12.2014केएस/एजी/2

अध्यक्ष जी, मेरा जो उत्तर है वह इसी में सीमित है मगर कल जो इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी वह व्यापक थी। इसलिए उन्हीं बातों को बार-बार दोहराना ठीक नहीं है। मैंने कह दिया है कि कल जो जवाब दिया गया कि हादसों का क्या कारण है वही कारण आज भी हादसों का है । पुलिस तैनात है मगर पुलिस हर गाड़ी के पीछे नहीं जा सकती। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड , ट्रैफिक रूलों की अवहेलना करना और मोबाईल पर बात करते-करते गाड़ी चलाना है । इसके कई कारण है और पुलिस इस दिशा में सख्त कदम उठा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ अदालतों में मुकद्दमें चले हैं और इसको रोकने के लिए जो भी सम्भव हो सकता है, पुलिस और प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ-साथ जो गाड़ियों के मालिक है, ड्राईवर है, जो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं , शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं, तेज रफ़तार से गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक रूल्ज़ की अवहेलना कर रहे हैं उन

सबको नहीं पकड़ा जा सकता लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ काफी चालान अदालतों में पेश हुए हैं।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो कम्पनसेशन की जानकारी दी है, कुछ मामलों में तो जिनमें मृत्यु हुई है उनमें डेढ़ लाख रुपये कम्पनसेशन के रूप में दिए गए हैं और उसी लिस्ट में एक लाख रुपये भी है । तो क्या डैफिनिट डिस्टिंक्शन करते हैं कि किसी को डेढ़ लाख दिए किसी को एक लाख रुपये दिए?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। सरकारी बसों में या प्राईवेट बसों में जो ऐक्सीडैंट होते हैं , जिनमें एक एक्सीडैंट में कई लोग मारे जाते हैं, उसके लिए अलग कम्पनसेशन होती है और जो इंडिविजुअल एक्सिडैंट होता है, प्राईवेट गाड़ियों का होता है--

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.12.2014/1150/ag-av/1
प्रश्न संख्या : -------**1409क्रमागत**
मुख्य मंत्री -------**जारी**

प्राइवेट गाड़ियों के होते हैं उसमें गुण-दोष के आधार पर कम्पनसेशन दिया जाता है। जितने भी कम्पनसेशन के केसिज हैं, जैसे कल भी मंत्री महोदय ने कहा था कि 30 दिन के अंदर बकाया कम्पनसेशन दे दिया जायेगा। कम्पनसेशन के रूप में डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, डैथ के के मामले में एक सैट है कि डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है। इससे पहले एक लाख रुपये की राशि थी और उससे पहले -/50,000 रुपये की राशि दी जाती थी। यह राशि टाइम-टू-टाइम बढ़ती रही है। (---व्यवधान---) मैं यही कह रहा हूं कि इस एक ही लिस्ट में किसी को एक लाख रुपये की राशि दी गई है और किसी को डेढ़ लाख रुपये की राशि दी गई है। इसमें जिला लाहौल स्पिति का अगर आप देखेंगे तो दस नम्बर सीरियल तक डैथ के केसिज में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये की राशि दी गई है मगर 11 नम्बर पर रिवाल्सर (मण्डी जिला) के श्री रूप लाल को आपने एक लाख रुपये लिखा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रिलीफ मैनुअल के मुताबिक जहां पर भी ऐक्सिडैंट होता है वहां डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है। (---व्यवधान---) जैसे कल मंत्री जी ने कहा है कि यह राशि एक महीने के अंदर, जो भी उनका कम्पनसेशन देय है, that will be cleared within 30 days. इसमें डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उसी में से यह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। जैसे माननीय धूमल जी ने कहा है कि डैथ के केसिज में राहत मैनुअल के अनुसार निश्चित तौर पर डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है, एक लाख रुपये नहीं (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि सबको डेढ़ लाख रुपये की राशि दी जाती है। अगर किसी को डेढ़ लाख रुपये की राशि से कम राशि मिली है तो उसको ऐडिशनल अमाऊंट दी जायेगी ताकि सबको डेढ़ लाख रुपये की राशि मिले।

11.12.2014/1150/ag-av/2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम अनुपूरक प्रश्न यह है कि जो बाहर से पर्यटकों की गाड़ियां आती हैं उनका कई बार अचानक यहां पर ऐक्सिडैंट हो जाता है। क्या उनको भी हिमाचल प्रदेश के रिलीफ मैनुअल के मुताबिक डेढ़ लाख रुपये के हिसाब से पैसा दिया जाता है?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने इस बारे में विस्तृत उत्तर दिया हुआ है। अगर माननीय मैम्बर को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो (---व्यवधान---) मैं कह रहा हूं कि पहले (---व्यवधान---) अब आप जानना चाहते हैं। इसको पहले कवर किया हुआ था। हमारी जो पिछली सरकार थी उस समय कवर किया हुआ था। उसके बाद कब हटा ; आप इस बारे में जानकारी पता कर लें। (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : सुनिए, पहली बात तो यह है कि जो भी हादसा होता है , the relief is given irrespective of place of residence. कहीं का भी हो मगर जब कोई हादसा

होता है, they are entitled to the relief. Secondly, the entire amount of Rs. 1.50 lakh is paid after completion of all formalities. That's all.

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी विस्तृत उत्तर दिया है। यह उत्तर जनवरी, 2013 से अक्तूबर, 2014 तक दिया है। मैंने प्रश्न किया था कि वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक कितने ऐक्सिडैंट हुए, कितनी मौतें हुई, कितने जख्मी हुए ; उनकी डिटेल इसमें नहीं है। क्या वह जानकारी मुझे मिल जायेगी ? दूसरा, इसमें यह है कि ऊना में 44 6ऐक्सिडैंट्स हुए जिसमें 131 मौतें हुई और 778 जख्मी हुए। यहां पर राहत राशि की जो डिटेल दी गई है उसमें सिर्फ हरोली सब डिविजन और----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1155/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः ..1409जारी....

श्री कुलदीप कुमार ... जारी..

यहां पर राहत राशि की जो डिटेल दी गई है उसमें सिर्फ हरोली और बंगाणा सब-डिवीजन की डिटेल है। ऊना और अम्ब सब-डिवीजन की डिटेल नहीं है। कृपया आप उसको भी देने की कृपा करें।

मुख्य मंत्री : जो उत्तर दिया गया है वह as per question है। जो क्वैश्चन में पूछा गया है उसके मुताबिक उत्तर है। मगर उसके अतिरिक्त जानकारी मेरे पास नहीं है। I am giving you reply as per the question.

अध्यक्षः अब काफी हो गया है। आपको मुख्य मंत्री जी ने सारा जवाब तो दे दिया है । ....(व्यवधान)....

श्री कुलदीप सिंह : एक मिनट सुनिए तो सही । कमाल है , आप बात ही नहीं करने देते। .... (व्यवधान) ...शोर करने के अलावा आपने कुछ सीखा भी है ? एक मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारी ऊना-अम्ब सड़क थी जो कई सालों से खराब पड़ी थी वह सड़क इस साल ठीक कर दी गई है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप प्रश्न कीजिए।.....(व्यवधान).....

श्री कुलदीप कुमारः आप दूसरों की बात भी सुन लीजिए।.... (व्यवधान) ...आप केवल शोर ही करते रहते हैं। आप दूसरे का भी टाईम वैस्ट करते हैं। सुन लीजिए। वहां पर एक ऐसी सुपर हाईवे सड़क बनी है लेकिन उसमें कोई न कोई एक्सीडेन्ट

होता रहता है । क्या माननीय मुख्य मंत्री जी जहां पर आबादी है या बाजार है वहां पर रोड़ डिवाइडर या स्पीड ब्रेकर लगाने के आदेश देंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है हम उस पर गौर करेंगे।

11.12.2014/1155/negi/jt/2

प्रश्न संख्याः 1410.

श्री संजय रतनः स्पीकर सर, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसके अनुसार इस समय हिमाचल प्रदेश में 78 ब्लॉक कार्यालय काम कर रहे हैं और 68 चुनाव क्षेत्र हैं। केवल मात्र 3 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं, जिसमें आपका चुनाव क्षेत्र- पालमपुर, ज्वालामुखी और दून ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहां ब्लॉक कार्यालय नहीं हैं। इन्होंने कहा कि अगर ब्लॉक कार्यालय खोलना हो तो 2 करोड़ रूपये सालाना बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। अगर आप इसको रि-ऑर्गेनाइज़ कर दें और 68 के 68 चुनाव क्षेत्रों में ब्लॉक कार्यालय दे दें तो तब भी आपका 14 करोड़ रूपये साल का बचता है ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर हम गम्भीरता से विचार करेंगे।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब दे दीजिए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः सर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका जवाब दे दिया है 1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस पर गम्भीरता के साथ विचार किया जाएगा।

प्रश्नकाल समाप्त

11.12.2014/1155/negi/jt/3

अध्यक्षः अब कागज़ात सभापटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे। .....(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, प्वाइंट आफ आर्डर । ....(व्यवधान) ...मैंने नियम-67 के तहत नोटिस दिया था और उसका जवाब नहीं आया है । मेरा बड़ा गम्भीर प्रश्न है। वहां पर मन्दिर गिरा दिया गया है । वहां पर वर्षों से मन्दिर चल रहा था। .....(व्यवधान) ....उस मन्दिर को गिरा दिया गया है ।

अध्यक्षः मैं इसमें यह करूंगा, आप without any requirement बोलने लगते हैं।...(व्यवधान) ..आप पहले बात तो सुन लें। ...(व्यवधान)...

श्री वीरेन्द्र कंवर : कई जगह मन्दिर सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। इसमें लोगों की धार्मिक आस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान) ...लेकिन सरकार द्वारा वहां पर मन्दिर गिरा दिया गया है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

11.12.2014/1200/यूके/एजी/1

---**व्यवधान के पश्चात्**---**जारी**----

अध्यक्षः इसका सरकार से जवाब पूछेंगे। अभी ऑफ हैंड तो हम कुछ नहीं कर सकते। we cant take this matter off hand.

श्री वीरन्द्र कुमार : सर, इसी सैशन में इसका रिप्लाई आ जाए ।

अध्यक्षः सरकार को भेजेंगे, इसको टेकअप करेंगे। एक तो आपका लगा हुआ आज। आपका जो ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव है सरकार को भेज कर उसका जवाब मांगेगे। तब देखेंगे और उसके लिए समय निकालेंगे।

अध्यक्षः आपने प्रस्ताव दिया है तो उस पर आप चर्चा तो करने दो, आप पहले ही स्पीच करने लगे।

श्री वीरेन्द्र कुमारः लोग वहां पर धड़ाधड़ कब्जा किए जा रहे हैं। सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

अध्यक्ष :कमाल है, जब नियम 62 का ध्यानाकषर्ण प्रस्ताव रखेंगे तब आप बोलिए। अभी बोलने का कुछ मतलब नहीं है। (व्यवधान) जब आपका मैटर आयेगा तब आप बोलिए।

11.12.2014/1200/यूके/एजी/2

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब कुछ कागजात सभापटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय सिंचाई एवं जन- स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :-

(i) हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 45 (4) के अन्तर्गत डा० वाई०एस० परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन लिमिटेड का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्यान उपज़ विपणन एवं विधायन निगम सीमित, का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत उद्यान विभाग, अनुसन्धान अधिकारी, वर्ग- ।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः.एच0टी0सी0-ए0(3)-2003/1 दिनांक 20.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.10.2014 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय आबकारी एवं कराधान मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

11.12.2014/1200/यूके/एजी/3

आबकारी एवं कराधान मन्त्री :अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

(i) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक (कम्पयूटर) (मुद्रण), वर्ग-III (अराजपत्रित), (अलिपिक वर्गीय) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-46/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.5.2014 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, संगणक

(कम्पयूटर) (अक्षरयोजन), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-39/2010 दिनांक 18.5.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.5.2014 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I , (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 जोकि अधिसूचना संख्याः मुद्रण(बी)10-(51)/2010 दिनांक 6.12.2013 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 7.12.2013 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, वरिष्ठ यंत्र चालक, वर्ग-III (अराजपत्रित(, अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना

11.12.2014/1200/यूके/एजी/4

(vi) संख्याःमुद्रण)बी(10-29/2010 दिनांक 5.8.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.8.2014 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (मुद्रण), वर्ग- III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-21/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग,अनुभागपाल, (जिल्दबन्धी), वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-32/2010

दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.10.2014 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, अनुलिपित्र , ऑपरेटर, वर्ग -IV (अराजपत्रित(, लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण)बी(10-43/2010 दिनांक 13.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.10.2014 को प्रकाशित; और

11.12.2014/1200/यूके/एजी/5

(viii) हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, छपाई आदेश वाचक, वर्ग- III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःमुद्रण(बी)10-48/2010 दिनांक 18.09.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.09.2014 को प्रकाशित ।

[(i) **से** (viii) **तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम है।**]

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे ।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

11.12.2014/1200/यूके/एजी/6

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब श्री अनिरुद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेगे :-

श्री अनिरूद्ध सिंह :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक -एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सभा पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **31वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 9वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **32वां मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15)** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 20091-0 में शामिल ऑडिट पैरा संख्याः2.2 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम में ऋण अनुश्रवण प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा** से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री किशोरी लाल , सदस्य, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

श्री किशोरी लाल :अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मानव विकास समिति, के 10वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आश्वासनों से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं। ।

11.12.2014/1200/यूके/एजी/7

विधायी कार्य
सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयक पुरस्थापित किए जाएंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17)" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "को पुरःस्थापित करेंगे ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्षः "हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2014 (2014का विधेयक संख्याक 17) "पुरःस्थापित हुआ ।

11.12.2014/1200/यूके/एजी/8

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्र स्ताव करेंगे कि "अभिलाषी विश्वविद्यालय स्थापना और

विनियमन विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)" पर विचार किया जाए ।

माननीय मुख्य मंत्री एस0एल0एस0द्वारा जारी----

11.12.2014/1205/SLS-AG-1

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14)' पर विचार किया जाए।

क्या कोई माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार रखना चाहता है ? हां, माननीय श्री ईश्वर दास धीमान जी ,आप अपने विचार रखें।

श्री ईश्वर दास धीमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सद्बुद्धि के लिए सरकार को बधाई देता हूं। पिछले 4-5 साल तक विरोध करने के बाद आप स्वयं इस बिल को लाए हैं। आप निजी विश्वविद्यालयों का विरोध करते रहे और हम इनका पक्ष लेते रहे। आप धारा- 118 की बात करते थे। फिर आपने कहा कि इन विश्वविद्यालयों से अपने प्रांत की शिक्षा का स्तर गिर जाएगा ; गुणवत्ता खत्म हो जाएगी। ये फीसें चार्ज करेंगे और उदंडता बढ़ जाएगी, इसलिए निजी विश्वविद्यालयों को नहीं खोलना चाहिए; इनसे प्रदेश को बड़ी हानि होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2006 में यह आपने ही शुरू किया था। जे oपीo यूनिवर्सिटी उससे पहले माननीय धूमल जी के समय में खुल चुकी थी। आज वह हिंदुस्तान की अच्छी-से-अच्छी यूनिवर्सिटियों में शामिल है। उससे हमारे बच्चों को लाभ मिल रहा है। आपने 2006 में एक विधेयक लाया। प्रत्येक यूनिवर्सिटी के लिए अलग-अलग लाना चाहिए था लेकिन आप इकट्ठा लेकर आए। वह यू. जी. सी. के नार्म्ज के मुताबिक नहीं था। हर विश्वविद्यालय का बिल अलग से आना चाहिए था जिसको हम बाद में लाए। जब यह निजी विश्वविद्यालय खोले गए या खुलने थे, उसके लिए आप बिल लाए थे लेकिन हमारे समय में आप विरोध कैसे कर रहे थे ? अब देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले बड़ू साहब के निजी विश्वविद्यालय को आपने एन . ओ. सी. दिया; उसके बाद अरनी और चिटकारा को भी दिया। इसके लिए बिल आप लाए। फिर सत्ता परिवर्तन हो गया और जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो आपने इसकी आलोचना

करनी शुरू कर दी गई। यही काम हो गया था। आदरणीय कौल सिंह जी यहां पर बैठे हुए हैं। इनका हर भाषण केवल निजी विश्वविद्यालयों और धारा-118 के विरोध में हो गया था। एक किसम से इसको इसू बनाने की कोशिश की गई। आप किसी भी जगह गए, आपने इन विश्वविद्यालयों का विरोध किया। आज आप विश्वविद्यालय का

11.12.2014/1205/SLS-AG-2

बिल लेकर आए हैं। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इस सद्बुद्धि के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं अभिलाषी विश्वविद्यालय के विरोध में नहीं हूं। ठीक है, इसकी आवश्यकता है। हम समझते हैं कि हर विश्वविद्यालय अपने तरीके से इस प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। जब रैगुलेटरी कमीशन आया, उसमें भी आपको दिक्कत हुई। वह सारे देश में प्राईवेट संस्थानों और यूनिवर्सिटीज के लिए पहला रैगुलेटरी कमीशन था। उसके भी आप विरोध में थे। लेकिन उसमें कुछ अड़चनें आने के बाद वह अब फिर अपना काम कर रहा है। क्या अब फीसें घट जाएंगी और जो आप कहते थे कि पिछले दरवाजे से हो रहा है, क्या अब वह रुक जाएगा ? मुझे लगता है कि जैसे आपकी अपनी बीती है ,उसी तरह से आप दूसरों को समझते हैं। पिछले 5 वर्ष आपने सिवाये विश्वविद्यालय और धारा-118 के विरोध में कहने के और कुछ नहीं किया। काम सही थे लेकिन चलने नहीं दिए गए।

जारी ...गर्ग जी

11/12/2014/1210/RG/AG/1

श्री ईश्वर दास धीमान-----क्रमागत

पांच वर्ष चलने नहीं दिए गए। अभी आप जो बिल लाए हैं , मैं पुराना भी देख रहा था , पुराना कानून बना ,वही बिल है, प्रिऐम्बल भी वही है ,सैक्शन्ज भी वही हैं ,धाराएं भी वही हैं ,मकसद भी वही है और ऑब्जैक्ट्स एण्ड रीजन्स भी वही हैं , आपने इसमें कुछ भी चेन्ज नहीं किया है। उसी विश्वविद्यालय की तरह आप यहां यह बिल लाए हैं। लेकिन उस समय तो आप जमीन-आसमान एक करते रहे और वही बिल लेकर आज आप विधान सभा में आए हैं। बताइए, आपसे क्या सलूक करना चाहिए? लेकिन हम आपसे बदसलूकी नहीं करेंगे। हम खाली इसके विरोध में नहीं, बल्कि मैंने पहले ही कहा कि मैं इसके पक्ष में हूं और मैं एक बार फिर इसके लिए बधाई देता हूं कि आपको परमात्मा ने सदबुद्धि दी। इसी प्रकार जो प्रदेश हित में है वह विरोध रखकर

भी किया जा सकता है। लेकिन आपका विरोध तो केवल विरोध के लिए होता था , आप यह नहीं देखते है कि इसमें प्रदेश का क्या लाभ है और क्या हानि है।

अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता हमारे पास थी और माननीय धूमल साहब मुख्य मंत्री थे ,तो जो भी काम उस समय हमने सत्ता पक्ष में रहकर किया, आपने उसका विरोध किया। लेकिन मैं इसका समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सब कुछ किया जाएगा। आपने कई बार पहले ऐसा कहा कि काफी हो गया, काफी हो गया ,फिर क्या आवश्यकता है ? लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रदेश को ऊपर ले जाने के लिए विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यह अच्छा है। हम कहते थे कि हम प्रदेश को शिक्षा हब बनाएंगे। आप भी उसमें शामिल थे, लेकिन आप तब विरोध-विरोध-विरोध करते रहे, लेकिन अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं और सोच-समझकर सब कुछ कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि रैग्युलैट्री कमीशन को ये और मजबूत करें। हम सब बच्चों की मदद करने और उनका उत्थान करने के लिए यहां पर हैं। चाहे लोग बाहर से हैं या अन्दर से हैं ,चाहे वे बाहर से आकर ही हमारे बच्चों का भी भला कर रहे हैं। हमारे बच्चों को बैंगलौर, मुंबई, कोलकत्ता आदि बड़े-बड़े स्थानों पर जाकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी ,लेकिन आज वे अपने घरों में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लाखों और करोड़ों रुपये बचा रहे हैं, समय बचा रहे हैं और मॉ-बाप की जो बेचैनी होती थी ,उनकी जो परेशानी होती थी आज वे उससे भी बचे हुए हैं। ये

11/12/2014/1210/RG/AG/2

संस्थाएं यदि सही चलें, तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश को आगे ले जाने में काफी मदद करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

समाप्त

11/12/2014/1210/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री सुरेश भारद्वाज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुरेश भारद्वाज : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय धीमान जी द्वारा जो विचार अभी व्यक्त किए गए हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। मैं आपको और सरकार को भी सिर्फ एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इससे पहले जो भी निजी विश्वविद्यालय बने हैं उनमें यह प्रावधान है। इसका जो सैक्शन-18 है उसमें राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्वाचित किए जाने वाले राज्य विधान सभा के दो सदस्य यहां से जाते हैं। मेरा निवेदन केवल इतना है कि यह इनके प्रबन्ध बोर्ड में नहीं है। प्रबन्ध बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि अलग से जाते हैं ,इसमें भी अलग से जाते हैं ,लेकिन विधान मण्डल के सदस्य जब जाएं, तो जो प्रॉपर विधान-मण्डल की संरचना है जो यहां की संख्या है ,यदि उसके आधार पर भेजेंगे ,तो मैं समझता हूं कि ट्रूली हम वहां इस असैम्बली को रिप्रेजेन्ट कर पाएंगे। अगर केवल मात्र सत्ताधारी पक्ष के ही, चाहे लोग हैं या नहीं हैं----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

11/12/2014/1215/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी-----

अगर केवलमात्र सत्ताधारी पक्ष के ही चाहें लोग हैं या नहीं हैं। इवन चीफ पार्लियामेंटरी सैक्टरीज भी इनके जो शासी निकाय हैं, उनमें नोमिनेट कर दिए गए हैं। अब चाहे सरकारी युनिवर्सिटी का कुलपति है या प्राइवेट युनिवर्सिटी का है। अगर चीफ पार्लियामेंट्री सैक्टरी उनकी अध्यक्षता में बैठक में वहां जाया करेगा। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। प्रौपरली इस विधान मण्डल को रिप्रेजेंट करने की दिशा में, अगर विधान मण्डल से, जो आपकी इच्छा है उस हिसाब से आप बाकी लोगों को भी जो इस विधान मण्डल की संरचना है ,करें। यहां पर 27 लोग इलैक्ट होकर आए हुए हैं, उनमें से भी अगर आप चयन करके भेजें तो इस विधान मण्डल की प्रौपर रिप्रेजेंटेशन इन युनिवर्सिटीज में हो पाएगी। मैं इतना ही ध्यान दिलाना चाहता था।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ईश्वर दास हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं। इन्होंने जो टिप्पणी की है कि हम इसका पहले विरोध करते थे और आज समर्थन कर रहे हैं ,इस बिल को ला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सोच में कोई फर्क नहीं है। यह आपके समय का ही पैडिंग बिल है। हमने कहा कि हाथी निकल गया तो दूम को क्यों फसाकर रखना। मेरा आज भी यही मत है। I am not against educational institution opened by private individuals or institutions. मगर यह आवश्यक है कि जो इन संस्थानों को खोले , उनके पास संस्थान को चलाने के लिए संसाधन होने चाहिए और दूसरी बात उनके अन्दर कोई गुणवत्ता होनी चाहिए।

अगर ऐसा कोई आदमी जिसका आज तक शिक्षा से कोई संबंध रहा ही नहीं और कोई और बिजनैस करता है और आज समझते हैं कि शिक्षा एक बिजनैस हो गया है और उस रूप से वह युनिवर्सिटी, कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है तो मैं समझता हूं कि सही नहीं है। It is being set up for financial purposes, to gain something, not to give something to the society. वह एक बिजनैस हो गया है। उसके लिए मेरा विरोध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अगर आज कोई ऐसी संस्था, व्यक्ति या ट्रस्ट किसी संस्थान को खोलने के लिए आता है , सच्चे दिल से उस संस्थान को खोलने के लिए आता है , without any motivation or personal profit, we will welcome that. मगर जो आदमी अपने फायदे के नजरिये से कोई संस्थान खोलना चाहता है तो कम-से-कम युनिवर्सिटी का स्तर उसको नहीं मिलना चाहिए। मेरी यह राय तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। दूसरी बात

11/12/2014/1215/MS/AG/2

जो भारद्वाज जी ने कही ,वह सही कही कि इनमें दो सदस्य विधान सभा के हों। इसमें already इसका प्रावधान है। आप जो कई अन्य सदस्य मनोनीत होते/हुए हैं, उसके बारे में टिप्पणी कर रहे थे। जो आपने कहा है, उसको हम ध्यान में रखेंगे।

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014का विधेयक संख्यांक 17)' पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44और 45 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 और 45 तक विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड-1, संक्षिप्त नाम विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, सक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

11.12.2014/1220/जेके/जेटी/1

अध्यक्षः------जारी-------

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 14) पारित हुआ।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

11.12.2014/1220/जेके/जेटी/2

अब हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 16) पारित हुआ।

11.12.2014/1220/जेके/जेटी/3

अध्यक्षः अब नियम 62 के अन्तर्गत श्री जयराम ठाकुर जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उस चर्चा का उत्तर देंगे। इस विषय पर श्री महेन्द्र सिंह जी की सूचना भी प्राप्त हुई है। यदि वे चाहे तो चेयर की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। इसी विषय पर श्री जयराम ठाकुर

जी का नियम 67-के अन्तर्गत भी प्रस्ताव आया है जिसे मैंने नामंजूर कर दिया है। अब श्री जयराम ठाकुर अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव शुरू करें।

श्री जय राम ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने नियम-67 के अन्तर्गत इस मसले पर बात करनी चाही थी लेकिन आपने इसका महत्व समझते हुए इस मसले को नियम-62 के अन्तर्गत इस माननीय सदन में चर्चा करने के लिए इज़ाजत दी। अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। जब भी आदमी की जान का विषय आता है उससे ज्याद महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला कोई नहीं हो सकता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

11.12.2014/1225/SS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं हालांकि हमारे सत्तापक्ष की ओर से इस बात पर ऐतराज था कि नियम-67 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को क्यों लाया गया। अध्यक्ष महोदय, नियम-67 के अन्तर्गत इस प्रस्ताव को इसलिए इस माननीय सदन में लाने की कोशिश हुई क्योंकि घटना जिस प्रकार से घटित हुई है भले ही उस घटना में किसी की जान नहीं गई लेकिन उसके बावजूद 30 लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया गया था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पी0एच0सी0 ,थूनाग में फैमिली प्लानिंग का पिछले कल 10तारीख को कैम्प रखा गया था। इस कैम्प में टोटल 69 रजिस्ट्रेशन थीं। 69 रजिस्ट्रेशन के बाद यानी जिनकी एडमिशन हुई थी उनका कंसैंट फार्म भी भर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन के लिए तारीख को तय किया जाता है। जिन महिलाओं का फैमिली प्लानिंग के लिए ऑपरेशन होना है उनको कह दिया जाता है कि आपको एक दिन पहले खाना नहीं खाना है। भूखे पेट रहना है। 67 लोग वहां पर खाली पेट ऑपरेशन के लिए पहुंचे। सारी उनकी फॉर्मैलिटीज़ पूरी की गईं। मेडिकल चैक अप किया गया। उसके अन्तर्गत उनको ऑपरेशन के लिए फिट पाया गया। सिर्फ चार मामले ऐसे थे जिनके बारे में उन्होंने प्रेगनैंसी को सस्पैक्ट किया था और प्रेगनैंसी की वजह से ऑपरेशन नहीं किया जाता है। इनके बारे में उन्होंने कहा कि इनके बारे में बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन बाकी सारे मामले फिट पाए गए। प्रॉपर जो प्रोसिजर होता है उस प्रोसिजर के अन्तर्गत 5 मरीज़ों को, बेहोश करने के लिए जो इंजैक्शन दिया जाता है ताकि इंसीजन की वजह से उनको दर्द न हो, ऑपरेशन को प्रॅफॉर्म करना है उसको करने के लिए पूरी तैयारी हो

गई। उसके बाद 30 महिलाओं को एट्रोपिन का जो इंजैक्शन होता है, वह इंजैक्शन मरीज को इसलिए दिया जाता है ताकि उसे किसी कारण से उल्टी न हो। लेकिन एट्रोपिन का इंजैक्शन देने के बाद sedation बहुत ज्याहदा हो जाती है। वह चलने की स्थिति में नहीं रह जाता है। वहां पर चार ऑपरेशन करने के बाद जो डॉक्टर वहां पर उपस्थित थे उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। स्टाफ वालों को अच्छी तरह से मालूम है कि डॉक्टर शराब पीकर आया है। उसके मुंह से शराब की दुर्गन्ध आ रही है लेकिन उसके बावजूद वे बोल नहीं पाए। लेकिन चार ऑपरेशन करने के बाद उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है और यह कहते हुए वह सोने लग पड़ा। जो पांचवीं महिला थी जिसको बेहोश कर दिया गया था उसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। जब काफी समय हो गया, अगला ऑपरेशन करवाने के लिए जिसको

11.12.2014/1225/SS-AG/2

कतार में लगाया गया था, उसको नहीं बुलाया गया तो बाहर शोर पड़ा कि आखिर क्या घटित हुआ है। खुसर-फुसर अंदर हो रही है लेकिन उसके बावजूद स्टाफ वाले डर के मारे अपनी बात बाहर नहीं कह पा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, फिर बाद में जब मालूम पड़ा और एक लेडी जिसका ऑपरेशन किया गया..

जारी श्रीमती के0एस0

11.12.2014/1230/केएस/जेटी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---
फिर बाद में जब मालूम पड़ा और एक महिला जिसका ऑप्रेशन किया गया था उसने खुद ही कहा कि डॉक्टर ने शराब पी रखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूं और मेरे तो अपने घर में डॉक्टर है इसलिए मैं डॉक्टरों के खिलाफ हो ही नहीं सकता लेकिन जिस प्रकार की यह घटना हुई, उसमें चाहे वह हमारा मित्र हो या रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो उसके ऊपर जांच करने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद जब शोर पड़ गया तो डॉक्टर को सहारे से बाहर निकाला गया लेकिन बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी और गुस्से में भी थी ऐसी परिस्थिति में उचित समझा गया कि उस डॉक्टर को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होगा, परेशानी हो सकती है, हंगामा हो सकता है इसलिए उस डॉक्टर को अंदर ही बिठा दिया गया। सी.एम.ओ. मण्डी से बात की गई । उन्होंने कहा कि मैं जानकारी

हासिल करता हूं। जब लोगों ने पुलिस को फोन किया, पुलिस वहां पर पहुंची। सब लोगों ने इस बात को देखा कि डॉक्टर बात करने की स्थिति में नहीं था और उससे ऑप्रेशन करवाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, भले ही वह चाहे एक डॉक्टर की कोताही का मामला है लेकिन क्या इसमें सच्चाई नहीं है कि उस डॉक्टर का अगर पिछला इतिहास देखा जाए उसमें इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है। सरकाघाट में एक महिला का ऑप्रेशन करते हुए उसका देहान्त हो गया था, वह जांच का विषय बना हुआ है। इसी प्रकार से नाचन विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी. में शराब पी कर वह डॉक्टर मरीज के ऊपर गिर गया और इस डॉक्टर के बारे में पूरे मण्डी में सब जगह चर्चा है। लोगों ने इस बारे में हमें भी फोन किया कि इस डॉक्टर का इतिहास इस प्रकार का रहा है और शायद इसी कारण से काफी लम्बे समय से सी.एम.ओ. ने उसको किसी भी कैम्प में भेजने की रोक लगाई थी। रोक लगाई थी तो अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यहां यह पैदा होता है कि रोक लगाने के बावजूद उस डॉक्टर को वहां पर ऑप्रेशन करने के लिए क्यों भेजा गया ? जब डॉक्टर का इतिहास मालूम है ,जब जानकारी है कि डॉक्टर शराब पीता है और वह तभी ऑप्रेशन करता है जब शराब पी लेता है। मण्डी में भी वह शराब पी कर ऑप्रेशन थियेटर में जाता है और अंदर जाकर भी शराब पीता

11.12.2014/1230/केएस/जेटी/2

है । यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इसलिए हम इस मुद्दे को इस माननीय सदन में ले कर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहीं पर बात खत्म नहीं होती । पुलिस आई पुलिस ने कार्यवाही करने की कोशिश की तो वह उनके साथ भी उलझ पड़ा, उनके साथ उसने बहस की और उसके बाद जब यह तय हो गया कि सबको मालूम हो गया है कि डॉक्टर ने शराब पी है तो वहां थुनाग पी.एच.सी. में जो डॉक्टर पोस्टिड है, उस डॉक्टर ने एम.एल.सी. बनाई और उस शराबी डॉक्टर को साईन करने के लिए कहा तो उसने वह सारा एम.एल.सी. का पेज अपने हाथ से फाड़ दिया। जब पेज फाड़ दिया तो उसके बाद वहां पर और हंगामा हो गया। असल में उसके बाद वहां पर ज्यादा हंगामा हो गया। जब उसने कहा कि मैं अपने आप लिखता हूं तो उसने एम.एल.सी. का फार्म अपने हाथ से भरना शुरू कर दिया। एक डॉक्टर जो वहां पर शराब पीकर ऑप्रेशन करने के लिए आता है, वह अपनी एम.एल.सी. अपने हाथ से

भरने लग पड़ा जबकि ऐसा कभी नहीं होता। फिर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद, लोगों के दखल देने के बाद उनको मज़बूर होना पड़ा फिर थुनाग में पोस्टिड डॉक्टर द्वारा की गई एम.एल.सी. पर उसने साईन किए। उसके खून का सैम्पल लिया गया । मुझे लगता है कि उसकी आगे जो जांच होगी वह होगी लेकिन विभाग के पास उस डॉक्टर के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद उस डॉक्टर को 69 लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए भेज दिया, प्रश्न यह पैदा होता है। कमियों सभी विभागों में रह जाती है लेकिन यह बात अध्यक्ष महोदय बर्दाश्त नहीं होगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.12.2014/1235/jt-av/1

श्री जय राम ठाकुर -------जारी

लेकिन यह बात बर्दाश्त नहीं हो सकती। यह कोताही विभाग के बहुत बड़े स्तर पर हुई है और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में सरकार को जवाब देना चाहिए। जहां तक पी.एच.सी. थुनाग की बात है तो वहां पर बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। वहां पर एक नर्स है जो कि पिछले दो वर्षों से डैपुटेशन पर है। वह कहां है, यह मुझे मालूम नहीं है। हमने इस मामले को कई बार अधिकारियों के सामने उठाया और मंत्री जी से भी बात की है। वहां पर एक डॉक्टर था, एक एम्बुलैंस थी मगर उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। विभाग जिस प्रकार से काम कर रहा है उस पर प्रश्न पैदा होता है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत यह विषय उठाया है। लेकिन बाकी जो दूसरे स्वास्थ्य संस्थान है या पी.एच.सीज. खोली जा रही है वहां डॉक्टर की पोस्टें क्रिएट नहीं की गई बावजूद उसके वहां पर फट्टे लगा दिए गए हैं। वहां विचित्र सी परिस्थिति है मुझे नहीं मालूम कि सरकार के ध्यादन में ये सारी बातें होती है या नहीं होती है। हमारे वहां पर कुछ नेताओं को आजकल एक शोक चढ़ा हुआ है कि फट्टा लगाना है चाहे वह कैसे भी लगे। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो पी.एच.सीज .खोली गई है। चुनाव के दिनों में घोषणा हुई। उसकी नोटिफिकेशन हो गई लेकिन कोई पोस्टें क्रिएट नहीं की गई। उसके लिए बजट में भी कोई प्रोविजन नहीं है। इन सबके बावजूद वहां पर फट्टा लगा दिया गया राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागा-चुणगी। वहां यह फट्टा कैसे लगा हुआ है ? राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बागा-चुणगी का 21फरवरी, 2014 को माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के सौजन्य से एवं श्री चेत राम ठाकुर, माननीय अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन सीमित के सहयोग से हुआ। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर

उद्घाटन करने जाते तो हम उनका भव्य स्वागत करते। उसको वहां पर फंक्शनल नहीं किया गया है और न ही पोस्टें क्रिएट की गई है। मुख्य मंत्री जी भी वहां पर किसी कार्यक्रम में नहीं गये। मैं चाहता हूं कि सरकार को कम-से-कम इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि मुख्य मंत्री जी का नाम केवल वहां पर लगे जहां मुख्य मंत्री जी स्वयं जाते हैं। हम मुख्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे यदि वे हमारे चुनाव क्षेत्र में आयेंगे। मगर उनकी गैर माजूदगी में उनके नाम का फट्टा लगाना तो गलत बात है। पोस्टें क्रिएट नहीं है मगर वहां पर फट्टा लगा दिया जाता है। वहां पर फट्टा किस के प्रयास से लगाया गया इसका पता लगाना भी जरुरी है। हम चाहते हैं कि जिन सारी बातों को लेकर के सरकार में व्यवस्था बनी

11.12.2014/1235/jt-av/2

हुई है उनका पालन होना चाहिए। चाहे कोई सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है। मगर दोनों तरफ से व्यवस्था का पालन होना चाहिए। इस बात के लिए मेरा आपसे निवेदन है। थुनाग की घटना को लेकर के मुझे बस इतना ही कहना है कि भले ही वहां पर डॉक्टर की टीम चली गई है और आज ऑपरेशन हो रहे हैं। मगर मेरा यह निवेदन है कि कम-से-कम इस प्रकार की घटना जो कि बहुत खतरनाक हो सकती थी , आने वाले समय में न हो। सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। जहां तक डॉक्टर की बात है और इस प्रकार का डॉक्टर जो इन बातों का आदी है उसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार और विभाग को उसके विरुद्ध अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। कम-से-कम इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि आदमी की जिन्दगी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन्दगी से महत्वपूर्ण कोई चीज हो ही नहीं सकती। इसलिए इस घटना की निन्दा करते हुए मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

अगला वक्ता श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1240/negi/jt/1

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम-62 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज कर्नल इन्द्र सिंह जी , मैंने और नियम-67 के अन्तर्गत श्री जय राम

ठाकुर जी ने दिया है और उसको आपने आज के लिए स्वीकार किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, जो घटना घटी है, बहुत दु :खदायी है । इस घटना से विभाग को, सरकार को और विशेष करके हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उनको कुछ सीख लेने की आवश्यकता है । इसी सदन में मेरा नियम-324 के अन्तर्गत प्रश्न लगा था , मैंने उसमें दो घटनाओं का जिक्र किया था। एक घटना जो मण्डी जोनल हॉस्पटिल में घटी । मेरे चुनाव क्षेत्र की एक बेटी , जिसकी उम्र 25 वर्ष थी ,उस बेचारी की डिलिवरी होनी थी। उसको सुबह हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के उपरान्त फिर उसको एनैस्थिसिया का जो डॉक्टर है,जिस डॉक्टर का जिक्र हो रहा है, उसने उसको बेहोशी का इंजैक्शन लगाया। आप हैरान होंगे कि इंजैक्शन लगाने के बाद वह बेचारी बेहोश नहीं हुई , वह कांपती रही । लेकिन उसका सीजेरियन कर दिया गया। सीजेरियन करने के बाद जो बच्चा था , बेटी के रूप में, उसको निकाल दिया गया। उस बेटी की उम्र 25 वर्ष थी। उसी टेबल के ऊपर उसकी मौत हो गई । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मंत्री जी- मण्डी जिला आपका भी जिला है । वैसे तो मंत्री पूरे प्रदेश का होता है लेकिन जो गृह जिला वाले हैं, उनके ऊपर लोगों की थोड़ा ज्यादा आशाएं होती हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे अपने जिले का है । जब उसकी डेथ हो गई तो एक घंटे तक उसके अभिभावकों को नहीं बताया गया। वे कहते रहे बाहर, नहीं, अभी ठीक है । ऐसा डॉक्टर, उस डॉक्टर का अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो आज से पहले कहां-कहां उसकी पोस्टिंग हुई है, जहां-जहां उसकी पोस्टिंग हुई है, उस डॉक्टर ने कोई ऐसा स्टेशन नहीं छोड़ा है जहां पर उसने ऐसी घटना को अंज़ाम न दिया हो। जो परिजन हैं , जब उनके परिवार का बहुमूल्य जान चली गई तो बहुत हो-हल्ला हुआ। उस बेटी का हसबैंड बैंगलोर में किसी कम्पनी में काम करता है । एक बच्चा पेट से निकला वह भी जीवित और उसकी पहली भी बेटी है, अब कौन उन दो बच्चों का पालन-पोषण करेगा? उस बेटी की उम्र 25 वर्ष थी और उसके पति की उम्र 27 वर्ष है और अब उसका जीवन अधर में लटक गया है । न तो आगे में और न पीछे में। अगर वह नौकरी करता है तो उन बच्चों का पालन -पोषण कौन करेगा? अगर नौकरी छोड़ता है तो फिर उसकी आजीविका का क्या साधन होगा ?मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है, मंत्री जी, जब उस

11.12.2014/1240/negi/jt/2

डॉक्टर का, सी.एम.ओ. ने या लोगों ने घेराव किया और पूछा तो , हमें नहीं पता , उसने यह कहा कि मंत्री जी के कार्यालय में, मंत्री जी के स्टॉफ में मेरा कोई स्टॉफ मेम्बर बैठा है, मेरा कोई बाल-बांका नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं पता, यह सच है या झूठ है, भगवान जाने। हम नहीं कह सकते, इस बारे मे। लेकिन मैं इतना जरूर चाहूंगा कि ऐसे डॉक्टर को हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में रखना उचित नहीं है। ऐसे डॉक्टर को रखेंगे तो कई बहुमूल्य जानों को वह समाप्त कर देगा और कई परिवारों के दीपक बुझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ...

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी...

11.12.2014/1245/**यूके/जेटी**/1
श्री महेन्द्र सिंह---जारी----

जैसे मैने कहा कि एक परिवार का दीपक बुझ गया । माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन रहेगा कि मंत्री जी उस परिवार का सोचें । उन बच्चों का पालन-पोषण कौन करेगा ? या तो सरकार उसका दायित्व उठा ले अगर सरकार नहीं उठा सकती है तो फिर उस डाक्टर की सैलरी से उन बच्चों के पालन-पोषण के लिए, जब तक वे बच्चे अपने पांवों पर खड़े नहीं हो जाते हैं। तब तक वहां से उनको आर्थिक मदद मिलती रहे ।

इसी प्रकार सरकाघाट अस्पताल का है, वहां भी नियम 324 के तहत एक लड़का शिशु, जिसको सरकाघाट के अस्पताल में दाखिल किया गया था और वहां पर नर्स ने एक ऐसा इंजैक्शन लगा दिया, जब कि उसके परिजन इंकार करते रहे है कि इस बच्चे को आज तक जो इंजैक्शन लगे वह बाहर के लगे हैं , हम दुकान से खरीद कर लाए हैं । लेकिन उस नर्स ने कहा कि नहीं यहां का इंजैक्शन लगेगा । उस नर्स ने इंजैक्शन लगाने की पहले एक बार कोशिश की फिर दूसरी बार और तीसरी बार उसने जबरदस्ती इंजैक्शन लगा दिया और जैसे ही इंजैक्शन लगा उसके कुछ मिनटों मे उस बच्चे की डैथ हो गयी । क्या यह चिंता का विषय नहीं है? हमारे साथ या आपके साथ ऐसी घटना घटे तो दिल में कैसा लगेगा? तो मेरा

निवेदन है आपसे कि विशेषकर के स्वास्थ्य विभाग प्रदेश हर जिले तक फैला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में जो खाली पद पड़े हुए हैं PHC हैं, CHC हैं, रूरल हास्पिटल हैं, रैफरल हास्पिटल हैं, वहां बहुत ही दयनीय स्थिति है। आप कृप्या इस पर विशेष ध्यान दें। मेरा आदरणीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस डॅक्टर के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके वह की जाए और कल तक यह सदन चला हुआ है कल तक या आज ही आप बता दें कि उस डॉक्टर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो नियम 62 के अर्न्तत श्री जय राम ठाकुर जी और श्री महेन्द्र सिंह जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और जिसके बारे में विस्तृत तौर पर श्री जय राम जी ने थुनाग की घटना के बारे में जिक्र किया है, मैं बिल्कुल मानता हूं कि यह घटना हुई है और डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। यह तो शुकर है कि किसी की जान नहीं गयी। है। उस डॉक्टर ने उस दिन 5 ऑपरेशन किए, 5 ऑपरेशन करने के बाद उसने कहा कि

मेरी तबियत ठीक नहीं है, अब और ऑपरेशन नहीं कर सकता। परन्तु एक लेडी को उसने ऑपरेशन टेबल पर लिटाया हुआ था बाकी जो 30 लेडीज़ थी उनको सिर्फ टैस्ट किया गया और जैसे इन्होंने कहा कि प्रेगनैंट लेडी और भी थी जिनको इंकार कर दिया कि इनका ऑपरेशन नहीं होगा। कल रात को जब यह घटना मेरे ध्यान में आयी तब रात की बात थी मैने उसी वक्त कहा कि इस पूरी घटना की जांच कराई जाए। सुबह जब दफ्तर खुला तो सबसे पहले शिमला की हमारी सचिव (स्वास्थ्य) को कहा कि अभी ही उस डॉक्टर को सस्पैंड किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वह डॉक्टर 10 बजे he has been placed under suspension for his negligence.

दूसरे अध्यक्ष महोदय, फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन नवम्बर, दिसम्बर जनवरी और फरवरी के महीने में होते हैं, उन्हें टारगेट दिये जाते हैं और जैसे श्री महेन्द्र सिंह जी ने जिक्र किया नियम 324 का उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं था। वहां जो ऐनेसथिसिया का डॉक्टर है यह उसकी गफलत से हुआ था। उसके खिलाफ आरोप भी हैं कि वह शराब पीकर एनेसथीसिया का इंजैक्शन देता है। जब

यह घटना हुई उसे उसी वक्त ट्रांसफर कर दिया है और जो एनेसथीसिया का इंजैक्शन दिया गया था उसका हमने कोलकाता से टैस्ट करवाया है । उसमें भी जो कंटैंट्स होने चाहिए थे ।

एस0एल0एस0

11.12.2014/1250/SLS-AG-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

उसमें जो कंटैंट्स होने चाहिए थे वह नहीं थे ; वह सब-स्टैंडर्ड़ थे। यह अमृतसर की कंपनी है जिसके खिलाफ़ प्रॉजिक्युशन भी लांच की जा रही है और उसके सारे इंजैक्शन विद्ड्रा कर लिए गए हैं। यह तो थुनाग की बात है लेकिन इसी डॉक्टर ने अभी काफी ऑप्रेशन दूसरी जगहों पर किए ; कोटली में भी किए गए और वह सकसैसफुल रहे। As has been informed by Chief Medical Officer, Mandi, he is a very competent Gynaecologist. He has been posted at Mandi during your time. 2008 में उसको मण्डी में गाइनेकोलोजिस्ट पोस्ट किया गया है और तब से वह वहीं कार्यरत है। For his negligence पुलिस भी मौके पर गई और उन्होंने रिपोर्ट दी है। उस डॉक्टर की MLC भी हुई है और उसमें यह पाया गया कि डॉक्टर ने शराब पी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पी है। हो सकता है कि मैडिकल अग्जामिनेशन देर से हुआ हो। इसलिए उसकी इस लापरवाही की वजह से उस डॉक्टर को हमने ससपैंड कर दिया है। आपने स्टॉफ नर्स की भी बात की। यह ठीक है कि वह रत्ती के लिए डिप्यूट की गई थी लेकिन मैंने बहुत पहले ही उसका डैपुटेशन फाईल पर ही रिजैक्ट कर दिया है। She has been directed to join at Thunag. जहां तक ऐंबुलैंस की बात है। ऐंबुलैंस का पी .एच सी. में प्रावधान नहीं है। जो ब्लॉक लेवल पी. एच. सी. है उससे ही ऐंबुलैंस थुनाग जाती है। एक ऐंबुलैंस उस एरिया के लिए रखी है। वहां जंजैहली में भी 108 है और बगसाड़ में भी 108 प्रोवाईड की है। अब हमने आप लोगों के लिए 102 भी ले ली है ताकि लोगों को सुविधा मिले। This is a fact. It is the duty of the Health Department to give quality medical care to our people. I must tell you that the survey conducted by India Today for the States, Himachal stood first in providing medical treatment to our patients and that is why our health indicators are much better as compared to the all India health indicators that I assure the House. और मैं समझता हूं कि we can accept the negligence on other

department but the negligence on the part of Doctor and para-medics cannot be tolerated. There must be zero tolerance to the negligence on the part of the medics and para-medics. इसके लिए समय-समय पर इंस्ट्रक्शन्ज भी देते रहते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मि० परवीन हैं he has

11.12.2014/1250/SLS-AG-2

been deputed to investigate into the matter. और जैसे ही उसकी रिपोर्ट आएगी; क्योंकि किसी डॉक्टर को ससपैंड करना भी उसके लिए बहुत बड़ी सजा है। अगर उसके खिलाफ़ कोई सबूत पाए गए या नैगलिजैंस पाई गई ; सौभाग्य से वहां कोई मृत्यु नहीं हुई ,सब ठीक-ठाक हैं। अब कटौला से एक टीम मल्टी सपैसिलिटी कैंप लगा रही है ,वह भी शाम को मौके पर पहुंच गई है। लेकिन लोगों ने कहा कि हम रात को ऑप्रेशन नहीं करवाना चाहते। जो औरतें वहां रही , उनके रहने का इंतजाम किया गया; उनके खाने का प्रबंध वहां पर किया गया और सबेरे हमारी मण्डी की टीम दूसरे गाइनेकोलोजिस्ट के साथ मौके पर पहुंच गई है। अभी आधे धंटे पहले तक वहां पर 25 ऑप्रेशन में सर्जरी हो चुकी है। जो भी लोग वहां पर आए हैं ,उनके ऑप्रेशन विभाग ठीक और सुविधापूर्ण तरीके से करेगा। जो यह घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा न हो ,इसके लिए विभाग पूरा प्रयत्न करेगा।

मैं इस सदन को यह भी बता देना चाहता हूं , आपने कहा कि जो पी . एच. सी. खोला, उसका उद्घाटन कर दिया गया। जो पी . एच. सी. कैबिनेट मंजूर करती है, उसके डॉक्टर ,फार्मासिस्ट और क्लास-4 की पोस्टें मंजूर हो चुकी होती हैं। आपने जो बागा-चुनौगी पी. एच. सी. की बात की है और दूसरी खोला-नाला ,...

जारी...गर्ग जी

11/12/2014/1255/rg/ag/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---------क्रमागत

वहां डॉक्ट्र्ज, पैरा-मैडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट्ज की पोस्ट अप्रूव हो चुकी है , लेकिन आज आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अबकी बार एक साल में बहुत ऐक्सपैंशन की। हमने यह नहीं देखते हुए कि विपक्ष वालों का चुनाव क्षेत्र है , मुख्य मंत्री के लिए सब बराबर हैं। नहीं तो थोड़े से अर्से में आपके यहां अपोजीशन के

चुनाव क्षेत्र में दो पी.एच.सी. दे देना बहुत बड़ी बात है। जब आप मंत्री थे, तो आपने अपने चुनाव क्षेत्र में कितनी पी.एच.सी. लीं? इसलिए हमारी सरकार बिना भेदभाव के हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐक्सपैन्शन भी कर रही है ,कंसोलीडेशन भी कर रही है और इसके लिए मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना है। कई सालों से डॉक्टर्ज की पोस्ट्ज 1597थीं ,लेकिन पिछले साल डॉक्टर्ज की 200 और पोस्ट्ज मंजूर की हैं और परसों ही जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो 100 और पोस्ट्ज हमने कीं। इस प्रकार 300 पोस्ट्ज दो साल में सैंक्शन करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसी प्रकार से हमने 130 कम्पाँडर फार्मासिस्ट्ज भर्ती किए 100 ,लैबौरेट्री टैक्नीशियन्ज हमने भर्ती किए हैं ,लेकिन जैसे-जैसे इन्स्टीटियुशन्ज खुल रहे हैं, अभी और जरूरत है। आज 9 प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्ज को कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज बना दिया7 , कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर्ज को सिविल हॉस्पीटल बना दिया , कई सिविल हॉस्पीटल्ज की बैड स्ट्रैन्थ बढ़ा दी है। इसलिए इनको स्टाफ की भी जरूरत है और हम कोशिश करेंगे कि कोई पी.एच.सी. बिना डॉक्टर के न रहे और हमारी पूरी कोशिश है कि हर पी.एच.सी. में डॉक्टर जाए। But we are facing shortage of Doctors in the State. अभी इसी साल लगभग 125या 130 जो डॉक्टर्ज पी.एच.सीज़. में लगाए थे वे पी.जी. करने के लिए सलैक्ट हो गए। कुछ आई.जी.एम.सी. में चले गए, कुछ टांडा में चले गए और कुछ पी.जी.आई. चले गए और कुछ ऐम्स में चले गए। तो इतनी पोस्ट्ज एकदम फिर खाली हो गई हैं। **हर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग वॉक इन इन्टरव्यु कर रहा है और जो भी डॉक्टर आ रहा है ,हम उनको खाली पी.एच.सी. में लगाने का प्रयास करेंगे।** इसलिए इन छोटी-छोटी बातों को तूल न दिया जाए। अगर कोई भी लाईफ जाती है या किसी की मृत्यु होती है ,अभी बड़ी बात यह है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई है ,ऐसी कोई बात नहीं हुई है जिससे हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर कोई ऐडवर्स इफैक्ट पड़े। **उस डॉक्टर के खिलाफ जो हमने ऐक्शन लेना**

11/12/2014/1255/rg/ag/2

था, वह ले लिया है, डॉक्टर को ससपैण्ड कर दिया ,उसको चार्जशीट करेंगे और जांच के बाद उसके खिलाफ जो भी रिपोर्ट आएगी ,उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। मुझे यही कहना है।

अध्यक्ष : अब क्या बात है?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक क्लेरीफिकेशन लेनी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो ऐनैस्थीसिया का डॉक्टर था ,उसने शराब पी रखी थी। उसने फिर इंजैक्शन दिया और जो दवाई उस इंजैक्शन में उपयोग की गई थी ,वह घटिया निकली है। इससे दो बातें सामने आई हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह विषय इससे संबंधित नहीं है, मैंने नियम 324 में इसका पूरा उत्तर दे दिया है। ये इसका अलग से प्रश्न करें।

श्री महेन्द्र सिंह : क्यों नहीं है? माननीय मंत्री जी ने इस सदन में इसका जवाब दिया है। अगर ऐसा था, तो आपको जवाब नहीं देना था। आपने कहा कि उसने शराब पी रखी थी और जो इंजैक्शन लगाया गया, वह घटिया था। तो ऐसी कितनी दवाइयां हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हैं जो घटिया पाई गई हैं ? मैं प्रश्न क्यों पूछूं, आपने यहां जवाब दिया है। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस डॉक्टर के कारण एक औरत मर गई ,उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं ,जहां कुछ नहीं हुआ है, उसको आप ससपैंड कर रहे हैं। यह बात हमारे समझ में नहीं आती, यह फॉर्मूला हमारी समझ में नहीं आता है। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो ऐनैस्थीसिया का डॉक्टर है जिसके ट्रांसफर की आपने बात कही है और जो मैंने कहा है, लोगों से हमने सुना है कि उसकी कोई बहुत बड़ी अपरोच आपके पास है। तो क्या आप उस डॉक्टर के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे? इसके अतिरिक्त जिस कंपनी की दवाइयां घटिया निकली हुई हैं उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? आपने कहा कि प्रोसीक्यूशन सैंक्शन करेंगे, तो क्या आज तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है? उस घटना को घटे हुए अब नौ महीने हो चुके हैं ,तो नौ महीने तक उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है?

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

11/12/2014/1300/MS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, वैसे इसका इस कॉलिंग अटैंशन से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने यह मामला उठाया था, मैंने सोचा इनको आपने अनुमति दी होगी। यह तो सिर्फ थुनाग की घटना का प्रश्न था। जो इन्होंने प्रश्न पूछा है, इसकी जानकारी मैं इनको विस्तृत रूप में नियम 324 के तहत दे चुका हूं। मेरा

यह कहना है कि हमारे पास एनीस्थिसिया के डॉक्टर्ज की बहुत कमी है। आज चम्बा और कुल्लू में एनीस्थिसिया का कोई डॉक्टर नहीं है। हम आउटसोर्स कर रहे हैं और लोगों को परेशानी है। अगर हम उसको भी सस्पैंड कर देते फिर एक और जिला हमारा बिना डॉक्टर के हो जाता। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी हमने इन्क्वायरी कन्डक्ट करवाई है। जो इन्होंने नौ महीने की बात की है। जो कलकत्ता से लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है, उसकी यहां रिपोर्ट आने में कितना समय लगता है? यदि हम फूड का सैम्पल कलकत्ता भेजते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी चार-चार महीने के बाद आती है। (व्यवधान) महेन्द्र सिंह जी, ज्यादा बैठकर नहीं बोला करते। You must know the rules and regulations of the House. समझे कि नहीं? यह थुनाग से संबंधित मामला था। (व्यवधान) महेन्द्र सिंह जी, आप सीनियर सदस्य हैं। आपको सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। आपने उस पर कॉलिंग अटैंशन क्यों नहीं दिया? मैंने नियम 324 में जवाब दिया है। आज इस मामले को उठाने की जरूरत नहीं थी। यह तो आपको अध्यक्ष महोदय ने बोलने के लिए समय दे दिया। आप इसको आज उठा ही नहीं सकते थे। आज तो सिर्फ थुनाग का मामला था। वहां का कॉलिंग अटैंशन था। आप अपनी मर्जी से दुनिया भर के मामले यहां पहुंचा दो, यह कोई तरीका है? इसलिए अध्यक्ष जी, हमने पूरी कोशिश की है कि जो भी संभव होगा, जो भी डॉक्टर्ज या पैरा मैडिक्स की नैग्लीजैंसी होगी, उसको माफ नहीं किया जाएगा। एक बिलासपुर का मामला भी था। एक मारकण्ड का बी0एम0ओ0 था। रिपोर्ट में आया कि वह झड़ोल PHC में कम्पाउंडर के साथ शराब पी रहा है। सी0एम0ओ0 स्टाफ और पुलिस के साथ मौके पर गया। उसका मैडिकल टैस्ट करवाया। MLC में शराब पाई गई, हमने उसको और कपाउंडर को भी सस्पैंड किया। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इनकी नैग्लीजैंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समय-समय पर उसको चैक किया जाएगा।

11/12/2014/1300/MS/AG/2

जहां तक बात है कि मैडिसन सब-स्टेंडर्ड पाई गई हैं। उसके खिलाफ मैंने कह दिया है कि हम उसकी प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और जो इंजैक्शन थे, वे हमने सब वापिस कर दिए हैं। वह कम्पनी जो अमृतसर की थी, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन लागू कर रहे हैं।

अध्यक्षः अब जवाब काफी विस्तार में आ गया है।

11/12/2014/1300/MS/AG/3

नियम 324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्षः अब नियम 324 के अन्तर्गत मामले उठाए जाएंगे।

अब श्री सतपाल सिंह सत्ती नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम 324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

11/12/2014/1300/MS/AG/4

मैं सरकार का ध्यान अपने जिला ऊना की सड़कों की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, ऊना से होकर पंजाब हरियाणा व अन्य राज्यों को 24 घण्टे वाहन आते–जाते रहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को भी यहां से होकर अत्याधिक वाहन गुजरते हैं। जहां वाहनों की संख्या इतनी अधिक हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर सड़कों की संख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। जिस कारण यहां घण्टों जाम लगा रहता है। जिसके लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि ऊना शहर में फलाई ओवर/बाई–पास बनाने के लिए Feasibility study करवाने की कृपा करे।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामलें की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से है:

ऊना शहर में मुख्य सड़कें जाहू, बड़सर तथा नंगल, मुबारिकपुर, ऊना शहर से होकर गुजरती हैं। इन सड़कों पर हमेशा भारी एवं हल्के वाहनों का आवागमन रहता है जिससे

ट्रैफिक की समस्या प्रायः बनी रहती थी, परन्तु State Roads Project (World Bank) के अर्न्तगत मैहतपुर से जहलेड़ा तक सड़क को Four Lane कर दिया गया है तथा ऊना बड़सर सड़क को भी शहर के अन्दर Four Lane कर दिया गया है जिससे इस समस्या का समुचित निदान हो गया है।

जाम लगने का अन्य कारण बाजार में वाहनों का खड़ा होना है। वाहनों के खड़ा होने पर रोक लगाने से इसका भी समाधान हो सकता है। अभी तक ऊना शहर में फलाईओवर अथवा वाईपास बनाने के लिए विभाग द्वारा कोई सर्वे अथवा feasibility study नहीं की गई है।

यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि नगंल, ऊना, मुबारिकपुर, तलवाड़ा सड़क को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग न0 503 (Ext.) घोषित किया जा चुका है। अतः समस्या के विस्तृत अध्ययन के लिए Ministry of Road Transport and Highways को उनके द्धारा इस सड़क को take over करने के पश्चात अनुरोध किया जा सकता है।

.....

11/12/2014/1300/MS/AG/7

अध्यक्षः अब श्री बलदेव सिंह तोमर, नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम 324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

11/12/2014/1300/MS/AG/8

मैं सरकार का ध्यान लोक निर्माण मण्डल, के अन्तर्गत पौका व बिन्दला सड़कों पर पुलों के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय यह पुल कब स्वीकृत हुए, डी0पी0आर0 कब स्वीकृत हुई तथा इनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इससे स्थानीय जनता अवगत होना चाहती है। स्थानीय जनता की यह निरन्तर मांग चली आ रही है कि इन पुलों का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त सड़कों पर निर्मित होने वाले पुलों को जनहित में शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कृपा करे।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः

सतोन पौका कोटगा कण्डों मार्ग पर तिलागाना खड्ड के कि0 मी0 1/075 पर यह पुल PMGSY में निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस पुल का Hydraulic Data की कमियों को दूर किया जा रहा है, जिसमें इस पुल की Geological Soil

Testing की जानी थी, जिसकी रिर्पोट दिनांक 1.12.2014 को आ चुकी है अब इस पुल की डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है ।

2) बिन्दला सम्पर्क सड़क के कि0मी0 0/630 पर बिंदला खड्ड पर पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पुल के Hydraulic Data में कुछ कमियों को दूर किया जा रहा है। इस पुल के Geological Test की रिर्पोट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही रिपोट प्राप्त होती है डी0पी0आर0 बनाने का कार्य सम्भव हो पाएगा ।

उक्त दोनों पुलों की डी0पी0आर0 तैयार करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

.....

11/12/2014/1300/MS/AG/10

अध्यक्षः अब श्री सुरेश कुमार नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम 324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

11/12/2014/1300/MS/AG/11

मैं सरकार का ध्यान सराहां–चण्डीगढ़ सड़क के निर्माण कार्य अभी तक पूरा न होने की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2007 से चल रहा है लेकिन इसके अभी तक पूरा न हो पाने की जानकारी मुझें नहीं है। इस कारण स्थानीय जनता व वाहन चालको को अत्याधिक असुविधा होती है। भारी वर्षा मे तो इनकी कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनहित में शीघ्रातिशीघ्र इस सड़क का निर्माण करवाकर इसे जनता को समर्पित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वास्तविक स्थिति इस प्रकार से हैः

सराहां–चण्डीगढ सड़क लवासा चौकी से शुरू होकर प्रीतनगर किलोमीटर 0/0 से 42/0 तक अपग्रेड होनी है। इस सड़क की स्वीकृति प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मु0 716.95 लाख रूपये की भारत सरकार द्वारा प्राप्त हुई है।

इस कार्य को मई 2007 में 749.94 लाख रूपये का श्री राजेश ठाकुर ठेकेदार को अवार्ड किया गया था। ठेकेदार द्वारा 24.87 लाख रूपये का कार्य 29/12/2008 तक किया गया तत्पश्चात यह कार्य 29/12/2008 को 15 लाख रूपये की एल0 डी0 (Liquidated damages) सहित निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात बचे हुये कार्य के निम्न चार भाग किए गए:

(क) किलोमीटर 0/0 से 20/0

(ख) किलोमीटर 20/0 से 27/0

(ग) किलोमीटर 27/0 से 34/0

(घ) किलोमीटर 34/0 से 42/0

और इनके तीन सलाईस भाग "क", "ख", "ग" को आर्वाड कर दिया गया है और उनका कार्य प्रगति पर है। भाग "घ" के कार्य का टैंडर प्राप्त हो चुका है लेकिन इस कार्य को अवार्ड करने के लिए मु0 150 लाख रूपयें अतिरिक्त धन की आवश्यकता है जिसके लिए धन उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र किया जाएगा।

.....

11/12/2014/1300/MS/AG/13

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।
श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम 324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

11/12/2014/1300/MS/AG/14

"मैं सरकार का ध्यान वर्ष 2013 में मैरिट में आने वाले 10वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों को लैपटॉप वितरण करने की तरफ दिलवाना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र भटियात में 12वीं कक्षा में मैरिट में आने पर वर्ष 2013 में राहुल धीमान को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहुन्ता में लैपटॉप दिया था परन्तु सितम्बर, 2014 में उससे लैपटॉप वापिस ले लिया। इसके क्या कारण रहे। इससे बच्चों के मनोबल को गहरी ठेस पहुंची है। यह बच्चा ओ0बी0सी0 जाति से सम्बन्ध रखता है । इस समय यह छात्र धर्मशाला कालेज में द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है। मेरा सरकार से विशेष आग्रह रहेगा कि इस बच्चे से छीना हुआ लैपटॉप शीघ्रातिशीघ्र वापिस दे कर कृतार्थ करें "।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में मैरिट सूची के अनुसार कुल 5000 बालक–बालिकाओं को पुरस्कार के रूप लैपटॉप प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह योजना छात्र–छात्राओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई है। सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2012–13 में मैरिट सूची

में आने वाले छात्र–छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 में लैपटॉप दिए जाने का प्रावधान बजट में रखा गया था। जिसके अन्तर्गत हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जारी की गई मैरिट सूचि के आधार पर 10वीं कक्षा के 2500 तथा 12वीं कक्षा के 2500 बालक–बालिकाओं को सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर) हि0 प्र0 द्वारा लैपटॉप वितरित किए गए। हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जारी 12वीं कक्षा के 2500 बालक–बालिकाओं को लैपटॉप देने हेतु जो मैरिट सूची जारी की गई, उसके आधार पर सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर) हि0 प्र0 को लैपटॉप बांटने हेतु शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर) हि0 प्र0 द्वारा दिनांक 22/01/2014 को सूची जारी की गई थी, जिसमें राहुल कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सिहुंता, जिला चम्बा का नाम दर्शाया गया था। जिस के आधार पर उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर), चम्बा द्वारा दिनांक 22/03/2014 को उक्त छात्र को लैपटॉप जारी कर दी गई थी।

इसके उपरान्त हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा संशोधित मैरिट सूची जारी की गई, परन्तु इस सूची में राहुल कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर कुमार, रा0व0मा0पा0 सिहुंता

जिला चम्बा का नाम 12वीं कक्षा के 2500 छात्र–छात्राओं में नहीं दर्शाया गया था। उक्त संशोधित मैरिट सूची के आधार पर उप शिक्षा निदेशक (उच्चत्तर), जिला चम्बा, हि0 प्र0 द्वारा प्राधानाचार्य रा0व0मा0पा0 सिहुंता, जिला चम्बा को राहुल कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर कुमार से लैपटॉप वापिस लेने हेतु आदेश जारी किए गए। अतः हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जारी की गई 12वीं कक्षा के 2500 छात्र–छात्राओं की संशोधित मैरिट सूची के आधार पर प्राधानाचार्य रा0 व0 मा0 पा0 सिहुंता जिला चम्बा द्वारा राहुल कुमार सपुत्र श्री जोगिन्दर कुमार से लैपटॉप वापिस ले लिया गया है।

मामले पर पूरा विचार करने उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि श्री राहुल कुमार को लैपटाप वापिस दिया जाए और विभाग इस निर्णय को शीघ्र कार्यन्वित कर देगा।

अध्यक्षः अब श्री राम कुमार नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय को नियम 324 के अन्तर्गत सदन में उठा रहा हूं जिसका टैक्स्ट इस प्रकार हैः-

"मैं सरकार का ध्यान गांव खारसी, मनेशी और कायल मैहता, डा0 बढलग, तहसील कसौली, जिला सोलन हि0 प्र0 में पानी की समस्या के कारण जो लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । महोदय इससे न केवल गांव मनेशी और खारसी बल्कि गांव कायल मैहता व उसके साथ लगते समस्त गांवों में पानी की समस्या बनी हुई है। इसका एक तो मुख्य कारण जगह–जगह चैम्बर स्थापित किया जाना है क्योंकि चैम्बर ढंग से प्लग न होने के कारण लोग अपनी मन मर्जी से अपने–अपने घरों को पानी की आपूर्ति कर लेते है जिससे अन्य बचे घरों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अतः जनहित में मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन गांवों की पेयजल आपूर्ति हेतु एक तो चैम्बरज को पूर्णतया प्लग किया जाए ताकि पानी की चोरी पर रोक लगे तथा पानी के उचित वितरण के लिए विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कड़े दिशा निर्देश जारी करने की कृपा करें।"

अध्यक्ष महोदय,

माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले की वस्तुतः स्थिति इस प्रकार से हैः

ग्राम पंचायत बढलग तहसील कसौली जिला सोलन में गांव मनेशी व कायल मैहता को ऊठाऊ पेयजल योजना वुघार कनैता से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पेयजल योजना का सम्बर्धन करके वर्ष 2008 में चालू किया गया था। गांव खारसी को हैण्ड पम्प का विद्युतीकरण करके पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस क्षेत्र में अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति के लिए 8 हैण्ड पम्प भी लगाये गये हैं ।ऊठाऊ पेयजल योजना वुघार कनैता मे लगे चैम्ार बाक्स में जो ताले लोगों द्वारा तोड़े गये थे उनको पुनः लगा दिया गया है। इन गावों व साथ लगते अन्य गांवों के लाभार्थियों को पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैनात विभागीय कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं ।

...

11/12/2014/1300/MS/AG/18

अध्यक्षः अब श्री महेश्वर सिंह नियम 324 के अन्तर्गत अपना विषय उठाएंगे।
(अनुपस्थित)

11/12/2014/1300/MS/AG/19

अब इस माननीय सदन की बैठक 2 बजकर 5 मिनट तक दोपहर के भोजन के लिए स्थगित की जाती है, उसके बाद हम गैर-सरकारी संकल्पों पर चर्चा करेंगे।

11.12.2014/1405/जेके/जेटी/1

गैर सरकारी सदस्य कार्यः

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, प्लीज कोरम पूरा करवाएं। सुरेश भारद्वाज जी आप इनको मत कहें क्योंकि विधायकों का काम ये ही करवा रहे हैं।

अब गैर सरकारी सदस्य कार्य होगा । हमारे समक्ष चार संकल्प हैं। उनके ऊपर चर्चा होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो ये चार संकल्प हैं इनमें काफी समय लगेगा। हमने इसमें समय निर्धारित किया है कि पहले में 45 मिनट, दूसरे में भी 45 मिनट और अन्य में 60 मिनट है। ऐसे करके हमने यह समय पांच बजे तक पूरा करना है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ब्रीफ में बोलें, कम बोलें और रिपीट न करें तो बहुत अच्छी बात होगी। अब मैं, श्री इन्द्र सिंह जी से कहूंगा कि वह अपना संकल्प प्रस्तुत करें।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

11.12.2014/1410/SS-JT/1

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गैर-सरकारी सदस्य संकल्प के अन्तर्गत गांव की आर्थिकी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय इस माननीय सदन में चर्चा के लिए लाया हूं। मैं आपकी परमिशन से उसका टैक्स्ट पढ़ता हूं - "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा , सांसद व विधायक क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जो ग्रामीण सम्पर्क सड़कें निर्मित की जाती है उनके रख रखाव हेतु सरकार Minor-repair-Head में विशेष बजट का प्रावधान करे ।"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा, सांसद व विधायक क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जो ग्रामीण सम्पर्क सड़कें निर्मित की जाती है उनके रख रखाव हेतु सरकार Minor-repair-Head में विशेष बजट का प्रावधान करे। माननीय सदस्य अब इस पर चर्चा जारी करेंगे और उसके बाद जो भी मेम्बर बोलना चाहते हैं वे लिस्ट दे दें। संक्षेप में बोलें ताकि इसका जवाब मंत्री महोदय समय पर दे दें।

श्री इन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हिमाचल में संचार का मुख्य माध्यम सड़कें हैं क्योंकि यहां न तो रेल नैटवर्क है और न ही कोई दूसरा साधन है जिससे आवागमन आसानी से किया जा सके। परन्तु प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां काफी टफ हैं जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट में बड़ी चुनौती हैं। कहीं तो रॉकी हिल्ज़ हैं तो कहीं लैंडस्लाईड प्रोन एरिया हैं और साथ में हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सड़क निर्माण का कोई कुप्रभाव इस पर न पड़े। इस सब के बावजूद भी प्रदेश में रोड नैटवर्क बढ़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों के निर्माण में क्रांति सन् 2000 के बाद आई है क्योंकि उस समय के तत्कालीन प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लाँच किया। जिसके तहत 500 की आबादी वाले गांव या उससे ज्याीदा आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव हुआ। पर हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी राज्य है यहां स्कैटर्ड पापुलेशन है। 500 की आबादी के गांव या बड़ी आबादी वाले गांव इने-गिने हैं इसलिए इस संख्या की सीमा को कम किया जाए, उसके लिए माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी के विशेष प्रयत्नों

11.12.2014/1410/SS-JT/2

के द्वारा ही पहाड़ी प्रदेशों में ये जनसंख्या 250 कर दी गई। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में छोटी-छोटी बस्तियां हैं , छोटे-छोटे गांव हैं , जिनकी आबादी 250 से भी कम है। उनको सम्पर्क सड़कों के साथ कैसे जोड़ा जाए, प्रश्न यह है। उनको तो न पी0डब्ल्यू0डी0 टेकऑवर करता है क्योंकि उन सड़कों की लम्बाई कोई 500 मीटर होती है, कोई आधा किलोमीटर होती है ,कोई डेढ़ या दो किलोमीटर होती है जोकि पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से नहीं बनाई जा सकतीं। इसलिए उन लोगों को भी अगर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है तो यहां सम्पर्क सड़क देना अति आवश्यक है।

जारी श्रीमती के0एस0

11.12.2014/1415/केएस/जेटी/1

श्री इन्द्र सिंह जारी----

उन लोगों को भी अगर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है तो वहां सम्पर्क सड़क देना अति आवश्यक है। इन सम्पर्क सड़कों से ही इन बस्तियों की इकॉनोमी प्रभावित होती है इसलिए ये सड़कें बहुत ही जरूरी है। अगर किसी गांव में, छोटी सी बस्ती में मकान बनाना है तो अगर सम्पर्क सड़क वहां तक नहीं है तो उसका कैरेज ही इतना हो जाता है कि मकान की कीमत से कैरेज की कीमत डबल हो जाती है और वहां पर अगर कोई गाड़ी रखता है तो उसको अपने घर से दो या चार किलोमीटर दूर गाड़ी रखनी पड़ेगी। कोई बीमार हो जाए , अगर सड़क नहीं है तो आज के जमाने में भी पालकी में उसको मुख्य सड़क तक लाया जाता है तो इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याएं हैं। गांव में हैंड पम्प भी लगाना है तो सड़क का होना जरूरी है । इसके अलावा इसका एक सामाजिक पहलू भी है। मैं एक गांव में गया था तो वहां एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि सर, मेरे लड़कों की शादी नहीं हो रही है। मैंने कहा कि तू तो ठीक मालदार आदमी है, समस्या क्या है तो वह कहने लगा कि लड़की वाले कहते हैं और लड़की भी कहती है कि गांव में सड़क नहीं है इसलिए आपके यहां शादी नहीं करनी है और यह वास्तविकता है। छोटे-छोटे गावों को सड़कों से जोड़ना बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की मुख्य सड़कों के निर्माण का कार्य मुख्यतः लोक निर्माण विभाग करता है परन्तु छोटी-छोटी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम लोक निर्माण विभाग नहीं करता तो इन सम्पर्क सड़कों का काम दूसरे प्रकार के स्त्रोतों द्वारा किया जाता है जैसे सांसद निधि है। हमारे माननीय सांसद भी अपनी निधि का काफी सहयोग इन सड़कों के लिए देते हैं और विधायकों का मुख्यतः जो उनकी विधायक निधि है, उसका मेजर पोर्शन इन सम्पर्क सड़कों के बनाने में लगता है, मैं ऐसा मानता हूं and I am sure all Members will vote for me on this issue कि हमारी विधायक निधि का मेजर पोर्शन सड़कों को बनाने में हम लगाते हैं। कुछ डी.सी. के डिपोज़िट से भी सड़कें बनती है, कुछ बैकवर्ड एरिया सब प्लान से व

11.12.2014/1415/केएस/जेटी/2

मनरेगा से भी सड़कें बनती है और कुछ लोग खुद पैसा इकट्ठा करके सड़कों को बनाते हैं । प्रश्न सड़कें बनाने का नहीं है। जहां सड़कें बनाना हिमाचल में कठिन है वहां उनको मेंटेन रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। हर बरसात में के बाद लैंड स्लाइडिंग होती है तो उसको हटाना तो पड़ेगा ही । जब लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग होती है तो उसको तो वह हटा देता है लेकिन सम्पर्क सड़कों पर अगर डंगा गिर जाता है तो उसको निकालने के लिए पैसा नहीं है। हमारे विधायक या सांसद निधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसमें से पैसा इन सड़कों की रिपेयर और मेंटीनेंस के लिए लगाएं। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि इन सड़कों का रख-रखाव कैसे किया जाए ? इसीलिए इस विषय को मैं यहां पर डिसकस के लिए लाया हूं क्योंकि मैंने पिछले मॉनसून सत्र के दौरान भी एक प्रश्न किया था कि सरकार इसके लिए एक नीति बनाएं तो मुझे बड़ा गोलमाल सा जवाब दिया कि आपकी विधायक और सांसद निधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इन सड़कों की रिपेयर और मेंटिनेंस के लिए कोई प्रावधान नहीं है कि कैसे इनकी रीपेयर होनी है।

अध्यक्ष महोदय, जनता का सीधा प्रहार इस सम्बन्ध में विधायकों के ऊपर होता है। अगर हम कहते हैं कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है आप खुद करवाओ तो लोग हमसे कहते हैं कि फिर आपको हमने चुनकर किसलिए भेजा है ? लोग हमसे कहते हैा कि आपका कहना तो शायद लोक निर्माण विभाग वाले मान लेते होंगें लेकिन हमारा नहीं मानते। यह मैं ग्राऊंड लैवल पर व्यावहारिक कठिनाई आपको बता रहा हूं It is very difficult for us to work that way. इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इसके बारे में सोचें क्योंकि विधायकों पर इस सम्बन्ध में बहुत प्रैशर पड़ता है। गांव में अगर शादी होनी है लिंक रोड़ अगर रुका हुआ है तो उसको खोलने के लिए विधायकों पर प्रैशर पड़ता है कि चाहे जो हो उसका खुलवाना पड़ता है। कई बार तो जे.सी.बी. लाने के लिए वहां हमें अपनी जेब से भी पैसा खर्च करना

11.12.2014/1415/केएस/जेटी/3

पड़ता है। इसलिए एक ऐसी नीति बननी चाहिए, मैं समझता हूं कोई ऐसा फंड क्रिएट होना चाहिए, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसा प्रावधान होना

चाहिए जो एक फुलप्रूफ प्रावधान हो ताकि जब जरूरत पड़े तो हम उस पैसे से उन सड़कों को खुलवा सकते हैं। ये सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण सड़कें हैं और इस विषय पर मेरे ख्याल में सभी विधायक मुझसे सहमत होंगें। अगर गांव सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है, मुख्य सड़क से दो -तीन किलोमीटर दूर है तो उसे उस सड़क का क्या फायदा है ? उन गांव वालों को कोई फायदा नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भी काम करवाना है उसके लिए उनको कैरेज देना पड़ेगा इसलिए विकास वहां नहीं पहुंचेगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

11.12.2014/1420/ag-av/1
श्री इन्द्र सिंह ------जारी

इसलिए वहां पर विकास नहीं पहुंचेगा। वहां के बच्चे बस फेसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप इसके लिए कोई-न-कोई प्रावधान जरूर निकाले। हम चाहते हैं कि आपका राउंड अबाउट रिप्लाई नहीं होना चाहिए। फुल प्रूफ सिस्टम होना चाहिए। विधायक लोग फ्रंट फायर लाइन में आते हैं। कहीं पानी नहीं है तो विधायक को फोन आता है। बिजली नहीं है तो विधायक को फोन आता है या सड़क रुकी पड़ी है तो विधायक को फोन आता है। विधायक की अपनी मजबूरियां होती हैं, आप सभी लोग समझते हैं जो मैं कह रहा हूं। इसलिए मेरी माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि आप इसके लिए कोई स्पेशल माइनर रिपेयर हैड क्रियेट कीजिए। अगर आपने विधायक निधि से करना है जैसे मैंने सुना है कि आप विधायक निधि भी बढ़ाना चाह रहे हैं। विधायक निधि बढ़ाई जाए, इसको आप डबल कीजिए, चार गुणा कीजिए। यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रैरोगेटिव है कि कितना करेंगे। तभी हम इन सड़कों का बिना किसी देरी के सुधार कर सकते हैं। यहां पर जब कोई सड़क बनती है तो it takes about three to four years for the strata to settle down. इनकी मुरम्मत तीन-चार साल तक तो हर बरसात के बाद करनी पड़ती है। उसके लिए पैसे की बड़ी सख्त जरुरत होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको करिए। अगर आपने लोक निर्माण विभाग से करवाना है तो उसके लिए उनको अलग से आदेश दीजिए। उसके लिए विभाग को ऐडिशनल फंडिंग कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी सड़कों की मुरम्मत के लिए अलग से कोई फंडिंग करें ताकि हमें कोई मुश्किल न हो।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

11.12.2014/1420/ag-av/2

अध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखें। यहां जो एल.ई.डी. लगा हुआ है इसमें इण्डिविजुअल -वाइज और पार्टी-वाइज सारा टाइम रिकॉर्ड हो रहा है कि किस पार्टी और किस मैम्बर ने कितना समय लिया। आप समय का ध्यान रखें क्योंकि यह रेजोल्युशन 45 मिनट का है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप सीमा के अंदर रहकर ही अपनी बात रखें।

अब श्री गोविन्द राम शर्मा जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री गोविन्द राम शर्मा : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय इन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प चर्चा हेतु लाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इससे न केवल किसानों को बल्कि बागवानों को भी लाभ होगा। मनरेगा, विधायक निधि या एम.पी. के माध्यम से प्राप्त राशि से पंचायतों में सड़कें तो बनती हैं मगर एक बारिश होने से वे सारी-की-सारी सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों में खराब हो जाती है। उस दृष्टि से हमारे किसान जो छोटा-मोटा कारोबार टमाटरों, सब्जियों या फ्रूट्स इत्यादि का करते हैं उनको वह उत्पाद मार्किट तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत होती है। जैसा कि इन्द्र जी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग या कोई और व्यक्ति देहात में बीमार होता है तो उसको छोटी गाड़ियों से अस्पताल लाने के लिए सड़क का होना जरुरी है। मगर रोड खराब होने के कारण

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1425/**नेगी/जेटी**/1
श्री गोविन्द राम शर्मा.. जारी..

लेकिन रोड़ खराब होने के कारण सारी चीज़ें रूक जाती हैं । उससे जो बीमार लोग हैं, उनको भी दिक्कत आ जाती है। जो बागवान हैं , उनको भी दिक्कत आती है और छोटे-छोटे गरीब लोग गांव में जब मकान बनाते हैं , जो आई.आर.डी.पी. के लोग या अन्य लोग हैं , जिनके लिए सरकार ने भी मकान बनाने के लिए प्रावधान किया है, उनको भी मैटीरियल ले जाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए यह एक

बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव कर्नल इन्द्र सिंह जी ने लाया है। मेरा सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसपर विचार करें कि किस प्रकार से इन सड़कों का रख-रखाव रख सकें? किस तरीके से वर्षा के बाद जब रोड़ खराब हो तो उनको साफ कर सकें? सड़कों पर से मलवा इत्यादि हटाया जा सके। क्योंकि लोक निर्माण विभाग तो कहेगा कि इसकी लम्बाई कम से कम एक किलोमीटर से ज्यादा हो। लेकिन ये सड़कें तो छोटी-छोटी सड़कें हैं। एम्बुलैंस के काबिल है। इन सड़कों की लम्बाई कहीं एक किलोमीटर है, कहीं डेढ़ किलोमीटर है, कहीं दो किलोमीटर है और कहीं 500 मीटर है। इसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इसपर आप विचार करें । अगर इसपर आप सही ढ़ंग से कोई निर्णय लेंगे तो इसका लाभ पूरे प्रदेश को होगा। यह केवल विपक्ष के लिए नहीं, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है। मज़ाक में इन्द्र सिंह जी कह रहे थे , आज हमें दिक्कत आ रही है कि हम पी.डब्ल्यू.डी. को बोलते हैं तो वे गाड़ी नहीं भेजते हैं। लेकिन आप लोग बोलते हैं तो पी.डब्ल्यू.डी. की गाडिया चली जाती है, जे.सी.बी. चला जाता है क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। यह आज हमारे साथ हो रहा है लेकिन कल, आपके साथ भी होगा। इसको राजनीति में न लेकर प्रदेश की आम जनता की हित में हम सोचें । आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे आप इसको पी.डब्ल्यू.डी. को हैंडओवर करें या इसमें कोई अलग से फंड का प्रावधान करें , कुछ न कुछ इसमें होगा तो इसका लाभ प्रदेश की गरीब जनता को होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इसपर पुनः विचार करके इसके लिए पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से या

11.12.2014/1425/नेगी/जेटी/2

इसके लिए अलग से धन का प्रावधान करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

11.12.2014/1425/नेगी/जेटी/3

अध्यक्षः धन्यवाद आपका। अब श्री बलदेव सिंह तोमर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलदेव सिंह तोमरः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो गैर सरकारी संकल्प यहां पर लाया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जहां पूर्ण रूप से पहाड़ ही पहाड़ है वहां के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । इन विधान सभा क्षेत्रों में बहुत छोटे-छोटे गांव हैं जिनकी जनसंख्या , कहीं 150, कही, 200 और कहीं 250 है। वहां तक पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें नहीं पहुंची हैं। ये सड़कें पंचायतों द्वारा मनरेगा के माध्यम से या विधायक निधि या एम.पी. फंड के माध्यम से बनी हैं। लेकिन इन सड़कों के बनने के बाद जब बरसात आती है तो वे सारी सड़कें बन्द हो जाती हैं और उन सड़कों में मलवा गिर जाता है और वे सड़कें नहीं खुलती हैं। हमारे क्षेत्र में कई सड़कें मनरेगा के अन्तर्गत 15-15, 20-20 लाख रूपये की लागत से बनी हैं । लेकिन बरसात आने के बाद वे सड़कें बन्द हुई हैं और बन्द होने के बाद वे सड़कें आजतक नहीं खुली है। दर्जनों सड़कें अभी भी ऐसी हैं जो विभिन्न पंचायतों के माध्यम से बनी हैं और एम.एल.ए. फंड से बनी है लेकिन वहां पर सड़क अभी तक नहीं खुल रही है। क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग उनको खोलता नहीं है। इतनी भारी बरसात होती है कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को अपनी सड़कें खोलने में भी दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं। ऐसे दुर्गम क्षेत्र अभी भी हमारे प्रदेश में हैं। आजकल...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

11.12.2014/1430/यूके/जेटी/1

श्री बलदेव तोमर--जारी---

अभी भी हमारे प्रदेश में हैं और आजकल जो किसान, बागवान हैं क्रैश क्रॉप का जिनका काम है, सब्जियां, टमाटर आदि जो उनका उत्पादन होता है उनको मंडियों तक पहुंचाने के लिए जब उनको सब्जियां लानी पड़ती हैं तो बहुत सारा उनका पैसा किराये में ही लग जाता है क्योंकि उनको वह पीठ पर उठा कर सड़क पर लानी पड़ती है । जिससे उनको बहुत समस्या होती और पैसा उनको इतना नहीं मिल पाता है । ये सड़कें बन्द रहती हैं और सबसे बड़ी समस्या होती है और पैसा उनको इतना नहीं मिल पाता है और ये सड़कें बन्द रहती हैं । सबसे बड़ी समस्या, जैसा माननीय सदस्य जी ने कहा कि जब कोई बीमार हो जाता है, वहां तक ऐम्बुलैंस नहीं पहुंच पाती। वहां से बीमार व्यक्ति को पीठ पर उठा कर लाया जाता है और उनको सड़क तक पहुंचने में कई घंटों लग जाते हैं । कई बार ऐसी घटनाएं हों चुकी हैं कि जब तक बीमार व्यक्ति को सड़क पर लाया जाता है ,ऐम्बुलैंस तक पहुंचाय जाता है, तब तक उनकी जान चली जाती है । इसलिए इस तरह की

समस्याओं के लिए कहीं न कही रिपेयर एंड मेनटेंनेंस में धन का प्रावधान करना चाहिए। जिस तरह से हमारी विधायक निधि है उसमें शायद 10 % पैसा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क व पथ योजना में हमको देना पड़ता है और सड़क में ही यह पैसा लगता है। इस तरह की कोई ऐसी व्यवस्था विधायक निधि में की जाए कि इतना परसेंट पैसा इन सड़कों की रिपेयर एंड मेनटेनेंस में दिया जाए ताकि पंचायतों में जो सड़कें बन्द होती हैं बरसात के तुरन्त बाद सभी विधायकों की प्राथमिकता पर उन पर काम करके सह सड़कें खोली जाएं। किसी ने सब्जियां ले जानी है, कोई बीमार है। तो इस तरीके की सारी सुविधाओं के लिए कहीं न कहीं प्रावधान जरूर इसमें करना चाहिए ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याए हैं, सड़कें बन्द रहने की समस्या हैं , आने वाले दिनों में समस्या न रहे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

11.12.2014/1430/यूके/जेटी/2

इसमें सभी क्षेत्रों की बात है, विशेषकर के पहाड़ी निर्वाचन क्षेत्रों में क्योंकि वहां गांव बड़ी दूर-दूर होते हैं और वहां पर सड़कें PWD विभाग नहीं बनाता है। इन्हीं पैसों से सड़कें बन रही है, कोई मनरेगा से बन रही है तो कोई विधायक निधि से बन रही है। तो इन सभी समस्याओं के लिए जो प्रस्ताव माननीय कर्नल इन्द्र सिंह जी लाए हैं उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर गौर करें और कोई ऐसी योजना लाएं जिससे आगे आने वाले दिनों में खत्म हो ।आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

11.12.2014/1430/यूके/जेटी/3

उपाध्यक्षः अब श्री विक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विक्रम सिंह जरयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में हमारे वरिष्ठ सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह जी नियम 101 के तहत प्रस्ताव लाए है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है और जिला चम्बा तथा सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश के अति पिछड़े जिले हैं। तो मैं जिला चम्बा के बारे में बताऊंगा। आज भी जिला चम्बा में 12% घर लकड़ी के हैं। माननीय मंत्री

महोदय जी इधर बैठे हैं। उसका कारण यह है कि मेन रोड से गांव तक 15 से 20 या 25 किलोमीटर दूर हैं। जहां पर न खच्चर जाती है, ऐम्बुलैंस जा सकती और आज भी वहां घर लकड़ के हैं। वहां उन लोगों की जो उपज होती है वह चाहे बागवानी है, चाहे कैश क्रॉप कोई भी है उसका उनको उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि पैदल का रास्ता बहुत ज्यादा होता है। खच्चर जा नहीं सकती। तो माननीय सदस्य ने यहां पर बहुत अच्छे सुझाव रखे और जैसे हम किसी रोड को प्रायोरिटी में डालते हैं, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र का एक उदाहरण दूंगा कि वहां लिंक रोड बने हैं सराल-नलोह, मोतला-घुआटत-सुकियाड़, बलाणा से भटेड वासा, तोरनू से अंबा वाया जोगिन्द्र मुख्य मांर्ग से गड़ाना गांव, तुनूहट्टी से डम्बर गांव, रायपुर से फगोट, मुख्य मांग दप्रियाड़ा से जम्मू, चुवाड़ी दप्रियाड़ू गांव, त्रिभय-जंगला गांव। ये कई रोड बने हैं जो कोई विधायक निधि से बने हैं, कोई मनरेगा से बने हैं, कोई फॉरेस्ट ने पैसा दिया है, उससे बने हैं। जो मैने नाम लिए है उसके अलावा और भी कई रोड ऐसे हैं। क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि दोबारा इसमें कोई बजट प्रावधान हो सके और माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि विधायक निधि 50 लाख रुपए होती है साल की, तो हम उसको नये रोड के लिए दें या दूसरे जो लिंक रोड होते उनके लिए दे तो हम इस पैसे को एक ही जगह दे सकते हैं।

एस0एलएस0 द्वारा जारी----

11.12.2014/1435/SLS-AG-1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल ...जारी

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करता हूं कि ऐसे कार्यों के लिए विधायक निधि बढ़ाई जाए। मैं विश्वास रखता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसके ऊपर पूरी तरह से ध्यान देंगे और विधायक निधि में पैसा बढ़ाएंगे। मैंने भी सड़कों के लिए अपने जिले में पैसे दिए हैं। लेकिन श्री इन्द्र सिंह जी ने ठीक कहा कि एक बार कोई सड़क बनती है, जब वह बरसात या अन्य कारणों से बंद हो जाती है तो लोग तंग करते हैं कि आज हमारे लड़के की शादी है या लड़की की शादी है ,सड़क ठीक करवाओ। जो फोरैस्ट रोड हैं उनके लिए अगर फोरैस्ट वालों से कहते हैं तो वह भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मनरेगा के अंतर्गत बजट नहीं जाता। जाता है तो बार-बार उसी रोड पर पैसा खर्च नहीं हो सकता। हमारे पास इतना धन उपलब्ध नहीं होता कि उसी रोड के लिए हर बार पैसा देते रहें। इस समस्या का समाधान करने के लिए मेरा मुख्य मंत्री जी से विशेष आग्रह रहेगा कि ऐसे रोड के लिए बजट का प्रावधान हर वर्ष हो। यह चाहे

स्टेट बजट से हो या इसके लिए विधायक निधि बढ़ा दी जाए। लेकिन कहीं-न-कहीं इन रोड की मेंटेनैंस के लिए बजट का प्रावधान अवश्य हो। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें इन्हीं सड़कों के न होने की वजह से हमारे लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं , स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती तथा बिजली और पानी की स्कीमें भी नहीं बन पाती। फिर उनके पास पैदल चलने के रास्ते भी नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि मनरेगा से ,एम. पी. लैड से, एम . एल. ए. लैड से, फोरैस्ट साईड से जितने भी रास्ते बनते हैं या बनाए जाने हैं, उनके लिए अधिक -से-अधिक बजट का प्रावधान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

11.12.2014/1435/SLS-AG-2

श्री जगजीवन पाल, माननीय मुख्य संसदीय सचिव : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्र सिंह जी ने जो संकल्प चर्चा के लिए रखा है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने सबसे पहले मनरेगा का ज़िक्र किया है। सांसद निधि, विधायक निधि और विकास निधि की बात की है। यह बिल्कुल ठीक है कि मनरेगा में और सांसद निधि तथा विधायक निधि से भी सड़कें बनाई जाती हैं लेकिन एक बरसात के बाद वह प्रयोग के काबिल नहीं रहती। सबसे पहले मनरेगा के लिए इन्होंने कहा है। मैं आदरणीय सदन से, आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारा पहाड़ी प्रदेश है और केंद्र में सरकार अब भारतीय जनता पार्टी की है। हमारी यू . पी. ए. सरकार ने मनरेगा की यह बहुत बढ़िया स्कीम शुरू की थी। खासकर पहाड़ी प्रदेशों के लिए यह बहुत बढ़िया साबित हुई। इस केंद्र सरकार ने भी इसकी सराहना तो की है लेकिन मनरेगा पर जो कट केंद्र ने लगाया है ,मैं चाहता हूं कि सारा हाऊस एकजुट होकर इसके ऊपर प्रस्ताव डाले ,उसे दिल्ली भेजे और आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाए कि जो कट लगा है, खासकरके हमारे हिमाचल प्रदेश में, यह कट न लगे। इसमें जो 40:60 की रेशो से सड़कें या रास्ते बनते हैं, इनको कहीं 49:51 परसैंट के हिसाब से बनाया जाए ताकि जो मैटिरियल कंपोनैंट है ,उसमें राशि बढ़े और जो कच्ची सड़कें हम बनाते हैं वह पक्की सीमेंटिड सड़कें बनें ताकि वह साल भर प्रयोग होती रहें।

जारी...गर्ग जी

11/12/2014/1440/RG/AG/1

श्री जगजीवन पाल (मुख्य संसदीय सचिव)-----क्रमागत

पक्की सड़कें प्रदेश में बनें ताकि वे पूरे साल प्रदेश में उपयोग में आती रहें और बार-बार लोग हम लोगों को यह न कहें कि बारात आ रही है, शादी आ रही है और सड़कें ठीक नहीं हैं। इसके लिए वे लोग हमें फोन करते हैं। अगर उनकी सड़कें पक्की बनेंगी और नालियां बन जाएंगी, तो जो बरसात के दिनों में ऊपर से मिट्टी गिरती है वह नहीं गिरेगी। वे सड़कें साफ रहेंगी और लोग थोड़ा-थोड़ा मैटीरियल खुद ही उठा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जो यहां सांसद या विधायक विकास निधि की बात हुई है। सांसद निधि तो दिल्ली से मिलती है, परन्तु विधायक क्षेत्र विकास निधि के बारे में कल भी विधायकों ने मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन किया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि आने वाला जो बजट है ,उस समय इसके ऊपर विचार किया जाएगा। हमें विधायक निधि से काम करवाने वाले लोगों से मांग आती है और बहुत दवाब आता है, उसको पूरा करने में हमें इससे सहयोग मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ और इस आग्रह के साथ कि एक प्रस्ताव यहां से पास करके हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास केन्द्र सरकार को भेजें कि कम-से-कम हमारे हिमाचल प्रदेश में मनरेगा पर जो 50 प्रतिशत कट लगा है, उसको न लगाया जाए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

11/12/2014/1440/RG/AG/2

उपाध्यक्ष : अब श्री विनोद कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विनोद कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी यहां लाए हैं, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। उपाध्यक्ष जी, आज हम देखते हैं कि चाहे हम छोटे गांव की या बड़े गांव की बात करें ,यदि हमने किसी भी गांव का विकास करना है, तो उस गांव का विकास तभी संभव है जब हम गांव को सड़क के साथ जोड़ते हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा के तहत ,सांसद व विधायक निधि के तहत हरेक गांव में बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरे नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक

नहीं अनेकों सड़कें बनी हैं ,लेकिन आज हम जब भी गांवों में जाते हैं ,उन पर चलते हैं ,तो कोई भी सड़क चाहे वह मनरेगा के तहत बनी है या चाहे सांसद निधि या विधायक निधि से बनी है ,आज चलने के काबिल नहीं बची हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाचन विधान सभा चुनाव क्षेत्र अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है और हम आज भी वहां देखते हैं कि जो सड़कें बनी हैं ,लेकिन उन सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल पातीं और आज भी यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है ,तो उस बीमार व्यक्ति को कुर्सी पर सड़क तक ले जाने में तीन से चार घण्टे तक लग जाते हैं। चाहे किसी की शादी की बात हो या किसी के घर में कोई और फंक्शन होता है, तो यही हाल है। इसलिए यह बात सही है जो कर्नल इन्द्र सिंह जी कह रहे थे। जब हमें गांव के लोगों के फोन आते हैं कि सड़कों में मनरेगा के तहत लाखों रुपये खर्च हुए हैं ,जैसे बलदेव जी कह रहे थे कि सड़क पर मनरेगा के तहत दस लाख रुपये खर्च हुआ है ,किसी सड़क पर 15 या 20 लाख रुपये खर्च हुआ है ,लेकिन इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद भी आज उन सड़कों पर गाड़ी नहीं चलती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा इधर-उधर की बातें न करता हुआ सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधायक प्राथमिकताओं की हमारी सड़कें होती हैं जिनका कार्य लोक निर्माण विभाग करता है और इसमें उनका रिपेयर वर्क भी लोक निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाता है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

11/12/2014/1445/MS/AG/1

श्री विनोद कुमार जारी----------

जिसका काम लोक निर्माण विभाग करता है और सड़कें बनती हैं, उसमें भी उनका रिपेयर वर्क लोक निर्माण विभाग करता है। PMGSY के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी अनेकों सड़कें बनी हैं। सड़कों के बनने के पश्चात जब भी उनकी रिपेयर की बात आती है तो लोक निर्माण विभाग ही उनकी रिपेयर करता है। मेरा निवेदन रहेगा कि चाहे मनरेगा के तहत सड़क बनी है, चाहे सांसद निधि या विधायक निधि के माध्यम से बनी है , उसमें भी सरकार माइनर रिपेयर हैड में विशेष बजट का प्रावधान करे ताकि ये सड़कें सुचारू रूप से चल सकें और जो सड़कें बनी हैं, उन सड़कों का लाभ सभी ग्रामीणों को मिल सके। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

11/12/2014/1445/MS/AG/2

उपाध्यक्षः अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, आदरणीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी ने संकल्प के माध्यम से जिस चर्चा का शुभारम्भ किया है ,उसमें माननीय सदस्य सर्वश्री गोविन्द राम, बलदेव सिंह तोमर, विक्रम जरयाल ,जगजीवन पाल और विनोद कुमार जी ने भाग लिया है। यह विषय सचमुच में महत्वपूर्ण है। चाहे पक्ष के लोगों का विधान सभा क्षेत्र हो या विपक्ष के लोगों का हो। मैं विशेषकर इसकी चर्चा करना चाहूंगा कि सड़कें कैसे बनती हैं। मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि हम सड़कें कुछ विधायक निधि से, कुछ सांसद निधि से और कुछ डी0सी0 महोदय द्वारा दी गई राशि के माध्यम से बनाते हैं। जैसे इन्द्र सिंह जी ने भी बात रखी कि हमारी बहुत सी सड़कें PMGSY या विधायक प्राथमिकता से बनती हैं। जिन सड़कों को बनाने के लिए हम जमीन का एफेडेविट भी मांगते हैं और जमीन सरकार के नाम करनी पड़ती है और तभी वे सड़कें PMGSY और नाबार्ड के माध्यम से बनती हैं। परन्तु जैसे माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि हर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी प्रदेश होने के नाते हमारा प्रदेश बिखरा हुआ है। यदि हम 250 की आबादी लेते हैं तो कलस्टर हम गांव लेते हैं। उसी से हम 250 या 500 की आबादी की तुलना करते हैं। परन्तु छोटी-छोटी सड़कें बनाना हर विधायक के लिए समस्या है और हर विधायक प्रयास करता है कि सड़कें बनें, चाहे किसी भी स्कीम के माध्यम से बनें। जो सड़कें PMGSY के माध्यम से और लोगों के अनुरोध से , कि विधायक निधि से हमें पैसा दे दो, तो हम उस सड़क को पंचायत के माध्यम से बनाते हैं। यदि बहुत सी सड़कों में विधायक निधि दी जाए या सांसद निधि दी जाए, मैं स्वयं सांसद भी रहा हूं। हम देखते थे कि हम किसी एजैंसी को भी सड़क बनाने को दे देते थे। जैसे महिला मण्डल और युवक मण्डल भी सड़कें बना देते थे। आज प्रश्न यह है कि सड़कें किसकी हैं? उस सड़क की मैंटीनैंस करने के लिए कौन विभाग जिम्मेवार है। क्योंकि जो डिपोजिट में पैसा आता है, चाहे विधायक निधि हो या सांसद निधि हो ,उसमें मैंटीनैंस का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। सभी इस बात को जानते हैं। इसलिए सड़कें जब बनती है, हम कभी इस बात को नहीं देखते हैं कि इसका ग्रेड क्या है। मैंने देखा है कि जब डिपोजिट मनी लोक निर्माण विभाग को दिया है और जब सड़क को देखा तो उस सड़क का कोई ग्रेड ही नहीं था। हर बरसात के बाद वह सड़क धूल जाती थी। इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि सड़कों का रख-रखाव कौन करे

11/12/2014/1445/MS/AG/3

और कैसे करे। मैं माननीय सदस्यों को यह भी कहना चाहता हूं कि जो बहुत बड़ी केन्द्र सरकार की योजना, जिस मनरेगा की योजना के माध्यम से हम लगातार गांव का विकास करते जा रहे हैं और इससे हम लिंक रोड बना रहे है ,इस संबंध में मैं कुछ चीजें सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा---------

11.12.2014/1450/जेके/जेटी/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः-----**जारी**-----

कुछ चीजें मैं सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं और ये चीजें ऐसी हैं क्योंकि आप लोगों ने कहा कि अलग से इसका प्रावधान किया जाए , मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि रिपेयर के लिए हर साल आप लिंक रोड़ का शैल्फ डाल सकते हैं । वह रोड़ चाहे एक किलो मीटर हो या आधा किलोमीटर हो, पंचायतों के माध्यम से शैल्फ बनेंगी और इसके लिए आप लोग पंचायतों को जागरूक करें। आप देखें कि पी0डब्ल्यू0डी0 हर साल मनरेगा के माध्यम से जिसमें लेबर कम्पोनेंट है, मैं सदन में इसलिए बताना चाहता हूं कि जो लेबर कम्पोनेंट है, इसमें 100 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार के माध्यम से आता है। इसमें स्टेट गवर्नमैंट का कोई शेयर नहीं होता । यदि पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कों में ड्रेनेज़ के लिए, उनकी मेंटीनैंस के लिए मनरेगा की लेबर उसमें इस्तेमाल करते हैं ,शैल्फ डलता है और पी0डब्ल्यू0डी0 के माध्यम से विभाग पंचायतों को शैल्फ भेजते हैं जिसकी अप्रूअल जिला परिषद से हो कर नैक्स्ट ईयर के लिए हम उसकी रिपेयर के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा सभी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे चुनाव क्षेत्र में भी सड़कें बनी है। उन छोटी-छोटी सड़कों को मेन्टेन करने के लिए , मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि बजट के अन्दर 20 प्रतिशत कन्वर्जेंस के अन्दर इन्होंने प्रावधान किया है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ड्रेनेज़ और सोलिंग, बेयरिंग भी हम मनरेगा के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। आप पंचायतों में इसके लिए शैल्फ डालें।

अध्यक्ष महोदय, जो विधायक निधि बढ़ाने की यहां पर बात की, मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मैंने अपने चुनाव क्षेत्र में कन्वर्जेंस के ऊपर फुट ब्रिज बनवाए क्योंकि कन्वर्जेंस के अन्दर इन्होंने फुट ब्रिज पंचायत के अन्दर यदि

डाले थे, और उसमें यदि अडिशनल्टी एमाऊंट कन्वर्जेंस के अन्दर पैसा यदि विधायक निधि से डालते हैं तो 6-5लाख का फुट ब्रिज आपका दो-ढाई लाख विधायक निधि से बन सकता है। परन्तु कन्वर्जेंस के ऊपर जो सबसे बड़ा हमारे पास

11.12.2014/1450/जेके/जेटी/2

वैसे तो जो स्टेट का पैसा है ,हम किस तरीके से उसको रख सकते हैं, किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और दूसरे हैड जिलाधीश के पास भी होते हैं। जिस हैड के माध्यम से हम यदि बहुत बड़ा नुकसान होता है उसको रिपेयर करने के लिए भी जिलाधीश के माध्यम से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से 13वें वित्तायोग के माध्यम से भी जो पैसा आता है , वह भी हमनें कन्वर्जेंस में क्यों किया? कि वह जो हैं उन रोड़ज़ की मेंटिनैंस के लिए कन्वरजैंस के लिए भी 13वें वित्तायोग के माध्यम से पैसा दे सकते हैं। उसमें क्यों मापदण्ड लगाए गए हैं ,वह इसलिए हैं कि अब जो मटिरियल कम्पोनेंट होता है उसके लिए 13वें वित्तायोग के माध्यम से आप उसमें कर सकते हैं। तो इस तरह की योजनाओं के माध्यम से जो सड़कों का रख-रखाव है, मैं यहां पर एक बात आप सभी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैं इस बारे में केन्द्र सरकार से भी चर्चा करता रहा हूं। पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए जो पैसा आता है वह रूरल डिवल्पमैंट विभाग के माध्यम से आता है। पूर्व सरकार के समय में मैंने दिल्ली में भी बात उठाई थी परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि जो लिंक रोड़ बने हैं, कुछ लिंक रोड़ ऐसे हैं जो प्राईवेट लैंड के अन्दर हैं और कुछ लिंक रोड़ ऐसे हैं जो फोरैस्ट के अंदर बने हैं जो एफ.आर.ए.की वजह से हम न उस सड़क के ऊपर रिपेयर कर सकते हैं और न उसको पक्का करने का इन्तज़ाम कर सकते। आज हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं है कि कितनी संख्या में आज हमारे हिमाचल के अंदर छोटी-छोटी सड़कें बनी हुई है। रूरल डवैल्पमैंट विभाग की यदि बात हो तो हम इसकी जानकारी तब ले सकते हैं जब यह हमारे विभाग के माध्यम से केवल पैसा डिपोज़िट हुआ है, बनी हो उसके बाद हमारा उसका कोई लेन-देन नहीं रहता है तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की कितनी सड़के आज प्रदेश के अन्दर बनी है। मैं चाहूंगा कि यह जो संकल्प यहां पर लाया हुआ है यह अति महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के माध्यम से अलग से बजट का प्रावधान इसमें होना चाहिए परन्तु ये सड़कें, जहां तक सड़कों कि बात है कि ये सड़कें किसकी है, फोरैस्ट की अलग है, रूरल डवैल्पमैंट विभाग से अलग बनी है, पी.डब्ल्यू.डी. विभाग

11.12.2014/1450/जेके/जेटी/3

से भी आधा-आधा किलोमीटर सड़कें बनी है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जो मैंने कहा कि मनरेगा जो आज हमारे पास बहुत बड़ा हथियार था, आज उसके लिए जो यहां पर जगजीवन पाल जी ने बात रखी, आज प्रश्न इस बात का है कि मनरेगा जो आज हमारे प्रदेश के अंदर कई वर्षों से चला हुआ है, उसकी वस्तुस्थिति मैं आज प्रदेश के सामने लाने वाला हूं।

एस.एस. द्वारा जारी---

11.12.2014/1455/SS-JT/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री क्रमागतः

आज मनरेगा के अंदर जो बजट एलोकेशन की बात थी, इस बार उन्होंने केन्द्रीय हिस्से का 670 करोड़ रुपया मंजूर किया था। 670 करोड़ के ऊपर आज केन्द्र सरकार ने हमें मात्र 355 करोड़ रुपये का बजट देने के बारे में कहा है कि आपको 355 करोड़ रुपया मिलेगा। जबकि ये डिमांड बेसड है। जितनी डिमांड होती है उतनी ही हमें लेबर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन नयी सरकार जो केन्द्र में बैठी है हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप वहां हिमाचल का पक्ष रखें। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर मनरेगा के माध्यम से पिछले साल 102 परसैंट अचीवमैंट की जो पहले कभी नहीं हुई। मनरेगा के अंदर हमने काम करने का प्रयास किया है। मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि केन्द्र में आपकी सरकार है और मनरेगा के माध्यम से हम कितने ही लोगों को गांव के अंदर रोजगार दे रहे हैं और कितने assets डिवैल्प कर रहे हैं वे आपके सामने हैं। मैंने हर बिन्दु पर चर्चा की है। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि केवल मात्र डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो नैचुरल कैलामिटी के बाद रिपेयर हैड के लिए पैसा आता है उसमें प्रावधान हो सकता है। मनरेगा के अंदर जैसे आप कह रहे हैं कि हम पहले ही डाल दें जैसे पी0डब्ल्यू0डी0 के अंदर डाल सकते हैं कि इस सड़क की रिपेयर एंड मैंटीनैंस हमने करनी है। हर साल पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वे जो छोटी-छोटी सड़कें व लिंक रोड हैं उनकी मैंटीनैंस के लिए प्रावधान अपने शैल्फ पर करें। जैसे ही बरसात के बाद रिपेयर की आवश्यकता हो तो उससे रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ज्याादा चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैं माननीय सदस्य, श्री इन्द्र सिंह जी से चाहूंगा कि वे अपना संकल्प वापिस लें। मैंने आपके हर बिन्दु पर जवाब देने का प्रयास किया है, धन्यवाद।

उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

Shri Inder Singh: Mr. Deputy Speaker, Sir, I have raised this issue in the interest of the villagers, but the reply of the Hon. Minister is falling short of

11.12.2014/1455/SS-JT/2

the objectives. Therefore, I cannot withdraw this Resolution in the larger public interest.

उपाध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा, सांसद व विधायक क्षेत्र विकास निधि इत्यादि से जो ग्रामीण सम्पर्क सड़कें निर्मित की जाती है उनके रख रखाव हेतु सरकार Minor-repair-Head में विशेष बजट का प्रावधान करे।

संकल्प अस्वीकार हुआ।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इस पर वोटिंग हो जाए।
श्री इन्द्र सिंहः सर, इस पर वोटिंग होनी चाहिए।
मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, ये जो संकल्प लाया गया है , जो वस्तुस्थिति है **,गांव के अंदर जो सड़कें बनी हैं उनके रख-रखाव के बारे में है। इसको आप प्रेस मत कीजिए। गवर्नमैंट इस पर सहानुभूति से विचार करेगी।**
श्री महेन्द्र सिंहः सर, कोई नयी डिमांड क्रियेट कर दी जाए तो ज्या दा अच्छा रहेगा।
Chief Minister: We will consider it. But I don't commit it.
श्री इन्द्र सिंहः माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको वापिस लेता हूं।
उपाध्यक्षः तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस लिया जाए।

संकल्प वापिस हुआ।

अब श्री महेन्द्र सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

जारी श्रीमती के0एस0

11.12.2014/1500/केएस/जेटी/1

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं नियम 101 के अन्तर्गत अपना प्रस्ताव पढ़ता हूं कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जंगलों व निजी भूमि में फैली कांग्रेस घास व अन्य झाड़ियों के स्थान पर चंदन व फलदार पौधे

लगाने हेतु "नई पौधरोपण नीति " बना कर प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित करें।"

उपाध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि जंगलों व निजी भूमि में फैली कांग्रेस घास व अन्य झाड़ियों के स्थान पर चंदन व फलदार पौधे लगाने हेतु "नई पौधरोपण नीति " बना कर प्रस्ताव वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित करें।"

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, उस पर बोलने के लिए मुझे आपने अपनी अनुमति प्रदान की, धन्यवाद। उपाध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वह 55673 वर्ग किलोमीटर का है और सौभाग्य समझो चाहे प्रदेश का दुर्भाग्य समझो कि इस क्षेत्रफल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है , जिस पर वनस्पति ,हरियाली या पेड़-पौधे नहीं है। वनों का क्षेत्रफल 37 हजार 33 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें भी जो जंगल वाला क्षेत्र है, 14679 वर्ग किलोमीटर का है। इस 14679 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में से लगभग 1852.08 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें यह क्षेत्र विशेष करके हमारा जो निचला क्षैत्र है, जो कि पांच हजार की ऊंचाई से नीचे का क्षेत्र है , इस क्षेत्र में अलग-अलग तरह की ऐसी प्रजातियां घास की है जिनकी वजह से इस क्षेत्र में जो घास पैदा होती थी जो कि पशुओं के चारे के काम में इस्तेमाल की जाती थी, उससे हमारे पशु -पालक व पशु वंचित हो गए हैं। यह तो केवल मात्र जंगलों का क्षेत्र है इसके अलावा जो हमारा प्राईवेट क्षेत्र है , जिनकी मलकीयती जमीनें हैं अगर उनको भी हम जोड़ें तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में वह घास जिसको कि हम पहाड़ी भाषा में, लोकल भाषा में फुलणू या उजड़ू कहते हैं, जिसको चार-पांच नाम दिए गए हैं। यह

11.12.2014/1500/केएस/जेटी/2

बहुत जल्दी से बढ़ रहा है और इसका जल्दी से बढ़ना जहां जंगलों के लिए घातक है वहीं जंगलों से सटे हुए क्षेत्रों के लिए भी यह घातक सिद्ध हो रहा है। जंगलों में जो पहले पेड़-पौधे हुआ करते थे, फलदार पेड़ हुआ करते थे, वे धीरे-धीरे खत्म होते चले गए और अब इन जंगलों में ऐसी स्थिति बन गई है कि यहां पर अब लेंटाना घास है। लेंटाना ने हमारे जंगलों की हालत जहां खराब कर दी वहां उसी लेंटाना ने हमारा

जो कृषि का क्षेत्र है, उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह लाल, नीले-पीले व गुलाबी रंग की जो झाड़ियां हैं। इनकी वजह से---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

11.12.2014/1505/ag-av/1
श्री महेन्द्र सिंह ------जारी

गुलाबी रंग की जो ये झाड़ियां हैं इनकी वजह से जैसे मैंने कहा कि हमारे वहां घास नहीं हो रहा है।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

किसानों ने अपनी जमीन को जोतना बंद कर दिया है। अभी दो दिन पहले इसी सदन के बीच में बंदरों और जंगली जानवरों के बारे में लगभग 4 घंटे चर्चा हुई है। इस चर्चा के दौरान दोनों सदनों ने अपनी सहमति जाहिर की है कि पहले जंगली जानवरों का आवास-निवास जंगलों में हुआ करता था। जानवर ही नहीं बल्कि पक्षी भी अब अपना आशियाना जंगलों से बदलकर के जमीनों की तरफ आना शुरु हो गए हैं। जहां एक तरफ हमारे किसानों के ऊपर लैंटाना का कहर है वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवरों और पक्षियों का कहर भी उनके ऊपर है। हमारा वन विभाग, कृषि विभाग तथा सरकार के दूसरे विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। इसके लिए सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन उनके प्रयत्नों के बावजूद भी हम लैंटाना की बढ़ती हुई रफ्तार को रोकने में नाकामयाब हो रहे हैं। हमारे जंगलों में जड़ी-बूटियां समाप्त हो रही है। हमारे फलदार पौधे समाप्त हो रहे हैं। अब तो सारे बंदर इत्यादि जानवर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं। सूअर, नीलगाय इत्यादि जानवर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं। जानवरों के अतिरिक्त दूसरे पशु-पक्षियों का अटैक भी अब हमारे किसानों के ऊपर हो रहा है। अगर हमने इस लैंटाना या इस बूटी को हटाने का प्रयास नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रोब्लम खड़ी हो जायेगी। श्री राकेश कालिया जी का भी इस संदर्भ में प्रश्न लगा हुआ था। उसके उत्तर में कहा गया था कि हमारे प्रदेश में लैंटाना लगभग 1852 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मगर वह उत्तर केवलमात्र वन विभाग का था। हमारे प्रदेश में जो इसके कारण कृषि का क्षेत्र उजड़ता जा रहा है वह आंकड़े उस उत्तर में शामिल नहीं थे। हमारी जो 'बायो कार्बन वनीकरण परियोजना' है उसको हम कार्बन क्रेडिट के रूप में लेते हैं। उस कार्बन क्रेडिट को

लेकर के इस सदन के बीच में एक काफी लम्बी चर्चा हुई थी। उस चर्चा में माना गया था कि कार्बन क्रेडिट की वजह से हिमाचल प्रदेश के किसानों को / सरकार को लाखों-करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में आमदन होगी। अब

11.12.2014/1505/ag-av/2

मुझे नहीं मालूम, मगर वन मंत्री जी बतायेंगे कि कार्बन क्रेडिट से हिमाचल प्रदेश की सरकार या किसानों को कितनी आमदन हुई। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग या किसी और विभाग को हुई है। यह कोई सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी नहीं है और न ही यह विपक्ष का काम है। हमें इसका दोषारोपण सत्ता पक्ष पर नहीं करना चाहिए। यह हमारा सामूहिक दायित्व बनता है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए हम सब इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होकर यह सोचें कि हम इस लैंटाना को कैसे दूर कर सकते हैं। इसको हम अपनी कृषि योग्य भूमि से कैसे हटा सकते हैं। आज इस पर चिन्ता करने का समय आ चुका है। हम अपने जंगलों में चील का पौध रोपण कर रहे हैं। ख़ैर का पौध रोपण कर रहे हैं। इनके अलावा दूसरी प्रजातियों का पौध रोपण कर रहे हैं। लेकिन क्या उससे हमें कॉमर्शियल आमदन हो रही है ? अगर हो रही है तो कितनी आमदन हो रही है ? इस बारे में चिन्ता करने का समय आज आ चुका है। चीड़ की जगह----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1510/नेगी/ए.जी./1
श्री महेन्द्र सिंह ... जारी...

चीड़ की जगह, खैर की जगह अगर हम दूसरी प्रजाति का पौधरोपण करते है और दूसरी जाति का वृक्ष लगाते हैं तो उससे हमारे फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट को ज्यादा आमदनी होगी और उसके लिए हमें चिन्तन करनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि लैंटाना को हटाने के लिए वर्ष 2011-12 में वन विभाग ने एक नीति बनायी थी और इसके ऊपर वर्ष 2011-12 में 3 करोड़ कुछ लाख रूपये खर्च किये गए। कुछ पैसा वर्ष 2012-13 में खर्च किया गया । जो आपके द्वारा घोषणा की गई है उसमें आपने कहा है कि इस वर्ष 16 करोड़ रूपये लैंटाना को समाप्त करने के लिए, लैंटाना को उखाड़ने के लिए हमने बजट प्रावधान किया हुआ है। भरमौरी जी, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन देखना यह है कि आपका टारगेट पिछली बार 10 हजार हैक्टेयर का

था। इस बार आपका टारगेट कितने हजार हैक्टेयर का है? इस वित्तीय वर्ष के कितने महीने बीत गए, पहली अप्रैल से ले करके अब 31 दिसम्बर आने वाला है, आप मान लीजिए कि 9 महीने होने वाले हैं। 16 करोड़ रूपये में से इन 9 महीनों के अन्दर कितना पैसा आपने खर्च कर दिया? लैंटाना को आपने किन-किन जंगलों में उखाड़ दिया? लैंटाना को उखाड़ने के लिए फोरेस्ट डिपार्टमैन्ट ने या वाइल्ड-लाईफ डिपार्टमैन्ट ने, किसी दूसरे विभाग ने या किसी दूसरी एजैंसी ने आजतक क्या-क्या काम किए, उस बारे आप कृपया हमें भी बताएंगे कि हमने इस ओर इस प्रकार का कदम उठाया हुआ है । जिन क्षेत्रों से आपने लैंटाना को हटा दिया , वहां पर आपने किस प्रकार का पौधरोपण किया? क्या वहां पर आप दोबारा चीड़ लगा रहे हैं? क्या वहां पर दोबारा खैर की पौधरोपण कर रहे हैं ? या फिर जिस विषय पर इस माननीय सदन में चर्चा हुई है , जो पूरे प्रदेश के सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि जंगली जानवरों की वजह से, बन्दरों की वजह से किसानों के फसलों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जंगलों से जंगली जानवरों का पलायन किसानों की तरफ हुआ है । उस पलायन को रोकने के लिए क्या आपने उस क्षेत्र में फलदार पौधों का पौध-रोपण किया है ? इसमें आपको ज्यादा मालूम है, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है । लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगा कि आप इससे थोड़ा आगे बढ़ करके काम करें। आप उस क्षेत्र

में आम के पौधे लगाएं। आप उस क्षेत्र में अमरूद के पौधे लगाएं। आप उस क्षेत्र में अनार के पौधे लगाएं। आप उस क्षेत्र में आंवला लगाएं, पलम के पौधे लगाएं और नाश्पाति के पौधे लगाएं। जिस क्षेत्र में जिस किस्म के फलदार पौधे होते हैं अगर आप उनके पौधों का पौधरोपण उस क्षेत्र में करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो जंगली जानवर गांवों व शहरों की तरफ आ रहे हैं उनका दोबारा से पीछे हटना सुनिश्चित किया जा सकता है ।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा, 1852 वर्ग किलोमीटर की धरती पर लैंटाना ने अपनी पकड़ बना रखी है। मेरा इस माननीय सदन से छोटा सा निवेदन रहेगा, उसमें मेरा विशेष करके प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा, प्रदेश के माननीय वन मंत्री जी से , प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री जी से , प्रदेश के माननीय उद्यान मंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन रहेगा, क्योंकि हमें सामूहिक तौर पर, सभी विभागों को इकट्ठा करके एक योजना तैयार करनी है ,

जो मेरे ध्यानार्थ आई हुई है। आज इस प्रदेश के अन्दर, हमारे करसोग क्षेत्र का एक नौजवान भूप सिंह और मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक नौजवान पवन ठाकुर, इन दो नौजवानों ने प्राइवेट सेक्टर में चंदन की नर्सरी तैयार करने की कोशिश की है। जब चन्दन की नर्सरी तैयार करने की बात आई है तो मैं भूप सिंह का देख रहा था , वह करसोग से उठ करके देहरादून गया। देहरादून में इसके बारे में पता किया । देहरादून में बताया गया कि चन्दन की जो खेती है वह केरला में ज्यादा की जा रही है 1उसने केरल में सम्पर्क किया। जब उसने केरल में सम्पर्क किया तो केरल से उसको कहा गया कि आप केरल आईये और देखिए । आप यहां पर आ करके प्रशिक्षण लीजिए। उसने वहां जा करके 6 महीने का प्रशिक्षण लिया। वहां पर 6 महीने का प्रशिक्षण लेने के उपरान्त जब वह वापिस अपने घर आया तो ....

श्रीमती यू.के. द्वारा जारी..

11.12.2014/1515/यूके/ए.जी./1

श्री महेन्द्र सिंह-- जारी---

जब वह वापिस अपने घर आया तो वहां पर चंदन की पौध को तैयार करने के लिए वहां से बीज ले कर आया । मुझे बड़ी खुशी होती है । माननीय मुख्य मंत्री जी का आजकल जो चुनाव क्षेत्र है , उसमें सुन्नी क्षेत्र के सामने करसोग विधान सभा क्षेत्र में उसका घर पड़ता है । वहां पर उसने चंदन की नर्सरी तैयार की है । उस नर्सरी को तैयार करने के लिए शुरुआत में उसका बहुत ज्यादा खर्चा होता है । तो माननीय अध्यक्ष जी, हमें अब चंदन के पौधों की नर्सरी तैयार करने के लिए जहां फॉरेस्ट डिपार्टमैंट इसके लिए प्रयास कर रहा है, मैं एक खबार में पढ़ रहा था कि जिला हमीरपुर, बिलासपुर तथा ऊना में महकेगी चंदन की खुशबू , तो फॉरेस्ट डिपार्टमैंट एक नर्सरी तैयार करने जा रहा है । जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमैंट ने इस ओर एक पहल की है । मैं बधाई देता हूं फॉरेस्ट डिपार्टमैंट को और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमैंट के अधिकारियों से चाहूंगा कि आप इस पहल को केवल मात्र चीड़ की पौधरोपण की तरह न रखें, खैर की नर्सरियों की पौधरोपण तक मत रखना । आप इस पहल को प्रैक्टिकली और जमीनी हकीकत पर इसका इस्तेमाल करना । मैं देख रहा था, एक प्रश्न के उत्तर में था कि इतने लाख और इतने करोड़ पौधे लगा दिए । 101करोड़ रुपया खर्च कर दिया है । लेकिन जब हम धरातल पर जाते हैं तो वहां पर हमें कुछ नहीं दिखायी देता । जितने भी जंगल हैं और विशेषकर के निचले क्षेत्रों के जंगलों में, 5 हजार हाईट से नीचे जंगलों में झाड़ियों के अलावा कोई पौधरोपण नजर नहीं आ

रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि चंदन की जो आप नर्सरियां तैयार कर रहे हैं, उनको तैयार करने के लिए न मालूम आपके अधिकारियों ने कहां से बीज लिया होगा ? लेकिन जो मेरे ध्यान में आया है, मैने पता किया है उसमें सबसे अच्छा बीज हरियाणा में हिसार में मिलता है । चंदन की खेती को ,चंदन के पौधों को ,चंदन के वृक्षों को काफी ज्यादा उन्होंने लगाना शुरु किया है और वहां अच्छा बीज मिलता है । केरल, मध्यप्रदेश और कर्नाटका में अच्छा मिलता है और हिन्द़स्तान के अन्दर जो चंदन पैदा हो रहा है उसकी डिमांड आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत में बहुत ज्यादा है । लेकिन डिमांड तो तब होगी जब हमारे पास माल होगा । जिस दुकान के अन्दर माल होगा

11.12.2014/1515/यूके/ए.जी./2

उसी के पास ग्राहक आयेगा । केवल मात्र डिमांड से कुछ नहीं होगा । हिन्दुस्तान का चंदन अच्छा होता है लेकिन हिन्दुस्तान के चंदन में भी जहां मध्यप्रदेश का चंदन है मध्य प्रदेश के चंदन की क्वालिटी के मुताबिक चंदन हिमाचल प्रदेश में हो रहा है । ईश्वर ने एक गॉड गिफ्ट हिमाचल प्रदेश की इन आबादियों को दी हुई है यदि इस गॉड गिफ्ट का फायदा हिमाचल प्रदेश के हम लोग न उठा सकें, हिमाचल प्रदेश की सरकार इस पर पहल न कर सके तो मैं समझूंगा कि यह हमारा दुर्भाग्य होगा । हम हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं कर पायेंगे । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वन विभाग, कृषि विभाग तथा बागवानी विभाग, पंचायती राज का रूरल डवेलपमैंट डिपार्टमैंट है, माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इन सभी विभागों को इकट्ठा करके एक सामूहिक प्रयास शुरु करें ताकि सभी अपने-अपने क्षेत्रों में चंदन की नर्सरियां लगाएं । मुझे खुशी इस बात की है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमैंट ने जिस प्रकार की शुरुआत इस प्रदेश के अन्दर डा0 वाई 0एस0 परमार के नेतृत्व में की थी । उस वक्त आदरणीय विद्या स्टोक्स जी के परिवार ने इस प्रदेश के ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में सेब का एक आहवान शुरु किया था, तो उस वक्त ठाकुर राम लाल जी हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, आदरणीय श्री वीरभद्र सिंह जी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है । जैसे आज हमारा ऊपर का क्षेत्र अपने पांव पर खड़ा हो चुका है । वहां का नौजवान नौकरी की तरफ बहुत कम भागता है । उसका पूरा ध्यान अब अपनी बागवानी की तरफ केन्द्रित हो चुका है । हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि वहां का किसान जो पहले किसान हुआ करता था, उस किसान की क्या दुर्गति हुआ करती थी जब वह किसान

के रूप में था, आज वह बागवान है, आज बागवान के रूप में उसकी आर्थिकी कहां तक पहूंच गयी है तो निचले हिमाचल प्रदेश के लिए हमने भी प्रयास किया ।

एस0एलएस0 द्वारा जारी----

11.12.2014/1520/SLS-AG-1

श्री महेन्द्र सिंह ...जारी

बागवानी विभाग ने एक प्रयास किया कि हम निचले क्षेत्रों में आम का पौधारोपण करेंगे और सेव वालों के साथ मुकाबला करेंगे। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि हम उस मुकाबले में पीछे रह गए। क्यों पीछे रहे गए ? मैं स्वयं बागवान हूं। मेरे सेव और आम, दोनों के बगीचे हैं। आम के मामले में मैंने देखा है कि जब इसकी फसल आती है ,जिस मॉस स्तर पर इसकी फसल तैयार होनी चाहिए , वह उस स्तर पर नहीं हो रही है। उसकी मार्किटिंग भी नहीं हो पा रही है। जब हेलिंग होती है या हवा आती है तो वह सारा-का-सारा झड़ जाता है जिसकी वजह से निचले क्षेत्र में वह परिणाम नहीं आ रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस चंदन की खेती को अगर हम सरकारी, प्राईवेट और अर्ध-सरकारी क्षेत्र में शुरू करते हैं तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जिन नौजवानों ने यह कदम उठाया है कि हम चंदन की नर्सरी पैदा करेंगे ,उसे बेचेंगे, वह लाभ में रहेंगे।

चंदन दो किसम का है। एक सफेद चंदन और एक लाल चंदन। सफेद चंदन ज्यादा महंगा है जबकि लाल चंदन उससे कम कीमत का है। सफेद चंदन परजीवी होता है। परजीवी का अर्थ है कि वह दूसरों के द्वारा तैयार भोजन पर अपना निर्वहन करता है। मैंने भी व्यक्तिगत तौर पर इसे उगाने का काम शुरू किया है। मैंने भी 150 के लगभग प्लांट लगाए हुए हैं। हम भी देख रहे हैं कि उसके क्या परिणाम आते है। हम अगर दूसरों को नसीहत दें और स्वयं उस पर काम न करें तो हमारे पड़ोसी, हमारे चुनाव क्षेत्र के लोग और प्रदेश के लोग कहेंगे कि क्या उपदेश दे रहे हैं, खुद तो करते नहीं हैं। इसलिए मैंने खुद इसकी शुरुआत की है। जहां चंदन का पौधा लगाया जाता है वहां अरहर की दाल के बीज ज़रूर बीजने चाहिए। नंबर दो, वहां पर अनार बीजना चाहिए। नंबर तीन पर वहां पर नींबू का पौधा ज़रूर होना चाहिए। नंबर चार, वहां पर गंधेलु होना चाहिए जिसके पत्ते दक्षिणी भारत में इसमें पड़ते हैं। नंबर पांच पर लैंटाना है। इसके बारे में कृषि और बागवानी के विशेषज्ञों ने कहा है कि जो लैंटाना के जंगल हैं ,उसके बीच में अगर सफेद चंदन का पौधारोपण करेंगे तो यह

पौधा सबसे ज्यादा कामयाब रहता है। इसलिए वन मंत्री जी, कृषि मंत्री जी और आदरणीय उद्यान मंत्री जी, अगर इस ओर आप सब विभाग मिलकर ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। चंदन की टहनियां तक बिकती हैं। और पौधों की नहीं बिकती लेकिन इसकी तो टहनियां तक बिकती हैं। इसकी लकड़ी बिकती है और इसका

11.12.2014/1520/SLS-AG-2

तेल भी बिकता है। अगर इस पेड़ को काट दें तो दोबारा इससे पेड़ निकलता है। अगर इसको उखाड़ दें तो इसकी जड़ें तक भी बिकती है। मार्किट में चंदन की कीमत 12-13 हजार रुपये प्रति किलो है। एक चंदन का पौधा 10-15 साल के बीच में 30-50 किलो तक नील, जिसे हम हर्टवुड कहते हैं ,देता है। इस हर्टवुड से जो तेल निकलता है उसकी कीमत लाखों में है। (व्यवधान) यह हंसने की बात नहीं है। मंत्री जी, आप आगे बढ़िए, काम करिए। आपकी तरफ, सरकार की तरफ, मंत्रियों की तरफ और विभाग की तरफ इस प्रदेश की जनता देख रही है कि आप हमें क्या करके देते हैं। इस समय इस प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगभग 11 लाख है। और यह दिनोंदिन बढ़ती चली जा रही है। अध्यक्ष जी, अगर हम सब कर्मचारियों और अधिकारियों को हटा दें तो भी 11 लाख को हम नोकरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल अढ़ाई लाख कर्मचारी हैं। अब हमें इस ओर बढ़ना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को, अपने बेरोजगारों को किस प्रकार नौकरी दे सकते हैं और हम उनको किस दिशा में ले जा रहे हैं। यह सोचने की बात है। एक बीघा में 75 से 100 प्लांट चंदन के लगाए जाते हैं।

जारी...गर्ग जी

11/12/2014/1525/RG/JT/1
श्री महेन्द्र सिंह--------क्रमागत

एक बीघा में 75 से 100 तक की प्लांटेशन की जाती है और इससे भी अच्छी बात है कि ऑक्सीजन के रूप में सात गुणा ज्यादा ऑक्सीजन चंदन का पौधा देता है। ---(घण्टी)--कौल सिंह जी, मैं इसी सदन में बहुत दिनों से हूं।

अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त करें। इसके लिए 45 मिनट्स रखे हैं। आपने ही बहुत समय ले लिया।

Shri Mahender Singh: It is very important. यह मेरे और अध्यक्ष महोदय के बीच की बात है, न कि आपके द्वारा कुछ बताने की बात है। वह मुझे खूब पहचानते हैं। मैं जिस विषय को यहां रख रहा हूं। अगर इसमें प्रदेश, समाज और राष्ट्र का हित नहीं है तब मैं मानता हूं और बैठ जाता हूं। लेकिन अगर इसमें प्रदेश, समाज, राष्ट्र और राजनीति से ऊपर उठकर सबका हित है ,पार्टी से परे हटकर के है ,तो अच्छी बात है। इसलिए मैंने आपकी कार्य-सलाहकार समिति से भी उस दिन निवेदन किया था कि मुझे कम-से-कम एक घण्टे का समय इस विषय पर अवश्य चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो चाय बागान के बहुत बड़े मालिक हैं। आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बहुत लोगों को पालमपुर या कांगड़ा में चाय के माध्यचम से रोजगार दिया हुआ है। जिस विषय को मैंने यहां लिया हुआ है ,यह विषय केवल मात्र कांगड़ा में नहीं ,यह हिमाचल प्रदेश के पांच हजार से नीचे की जो आबादी है , उसमें बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। जो सरकार इस तरफ आगे बढ़ेगी ,उस सरकार को प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान, प्रदेश के किसान जो बन्दरों से ग्रस्त हैं ,अच्छा कहेंगे। क्योंकि इस पर बन्दरों का कोई नुकसान नहीं होता। इस पौधे को न बकरी खाती है ,न भेड़ खाती है और न कोई पशु खाता है। यह तो ऐसा पौधा है जिसकी मुश्क से भी प्रदेश की जलवायु शुद्ध होगी और पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सबसे महत्वपूर्ण पौधा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुझे यह चिन्ता नहीं है कि आप बोल रहे हैं, मुझे चिन्ता यह है कि आपकी तरफ के बोलने वालों को समय नहीं मिलेगा और सीधे ही माननीय मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं, मेरे बोलने वाले मेरे ही पक्ष के हैं। यदि उस तरफ से बोलना होगा, तो बोल लें। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए नेशनल हार्ट मिशन से भी आर्थिक सहायता मिल रही है ,नेशनल मैडीसिनल प्लांटेशन बोर्ड ,दिल्ली से भी सहायता मिल रही है और इसके लिए जो

नाबार्ड का बैंक है वह भी इस पर इनवेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। हमारे पास प्रदेश में स्वरोजगार देने के लिए एक ऐसी योजना हम लेकर आए हैं जो बहुत ही अच्छी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने चंदन पर बहुत स्टडी की है। आप झाड़ियों को निकालने का कुछ सोचिए।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, इसके लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में चंदन की नर्सरीज़ लगाएं-----(व्यवधान)---इसमें 10 से 15 साल लगते हैं और छः से सात फुट तक होता है। इसके अतिरिक्त इस पर कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता। इसको सिर्फ दो साल तक, पहली साल जब इसको लगाएंगे ,उस साल इसको पानी देने की आवश्यकता है ,दूसरी साल दुबारा इसकी केयर करने की आवश्यकता है। जैसे ही यह बड़ा होकर निकल जाएगा ,तो आपको इसकी सिर्फ देखभाल करने की आवश्यकता है, चोरो से बचाने की आवश्यकता है ,वन काटुओं से बचाने की आवश्यकता है बाकी इसके लिए कोई चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप वाइन्ड अप करें। समय बहुत हो गया, अन्य सदस्य बोल नहीं पाएंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं वाइन्ड अप कर रहा हूं। इसके लिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन है कि एक ऐसी वृहद योजना बनाएं। जैसा मैंने कहा है कि इसमें तीन-चार विभागों को शामिल किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप विभागों को इसमें शामिल करें। आप अगर इसमें निजी क्षेत्र को आगे लाएं ,तो बहुत अच्छा है। क्योंकि विभाग तो अपनी फॉरेस्ट लैण्ड पर मदद कर सकते हैं ,लेकिन जो लोगों की प्राइवेट मल्कीयत जमीन है जहां कृषि योग्य क्षेत्र है जो लैन्टाना के कारण उजड़ चुका है अगर हम इसमें एक बार पहल करेंगे, तो हमारे प्रदेश का किसान अपने तौर पर आगे आएगा। इसलिए आप इसके लिए कोई ऐसी योजना या डी.पी.आर. बनाकर दें जिसको हम यहां से भारत सरकार को भेजें। आज क्योंकि कंसैप्ट बदला है, 21वीं शताब्दी है और आज पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर निर्भर करने का समय नहीं है----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

11/12/2014/1530/MS/JT/1

श्री महेन्द्र सिंह जारी----------

इस योजना को बनाकर हम भारत सरकार को भेजें और उसमें भी क्योंकि आज कन्सैप्ट बदला है। यह 21वीं शताब्दी है। आज सरकार पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने का समय नहीं है। समय बदलने के साथ-साथ हम लोग भी और हमारा जो नौजवान है , गांव के पढ़े-लिखे लोग हैं, वे भी तैयार बैठे हैं कि कोई ऐसी योजना आए जिस

योजना का फायदा हमें मिले। हम भी वहां इन्वैस्ट करे और कुछ हमारी मदद सरकार करे ताकि हम अपनी बेरोजगारी को दूर कर सके। मेरी तरफ से एक छोटा सा सुझाव है , उस सुझाव में मैं चाहूंगा कि जैसे सेब के क्षेत्र में एक क्रांति आई है , उसी तरह से जो हमारा निचला क्षेत्र है, वहां लैंटाना हमारी धरती को बर्बाद कर रहा है। वहां के लिए हम मिलकर एक डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार को भेजे जिसमें राज्य सरकार का शेयर भी हो और भारत सरकार का भी हो। अगर प्राइवेट में भी इसको लगाना चाहते हैं, वे लोग स्वेच्छा से आगे आएं । जैसे मैंने आपसे निवेदन किया है कि एक नौजवान जो भूप सिंह करसोग का है और दूसरा मेरे चुनाव क्षेत्र में है। इन लोगों ने अपनी चन्दन की नर्सरी तैयार की है। इसकी नर्सरी तैयार करना और इसका अच्छा बीज उपलब्ध करवाना प्राइवेट सैक्टर में मुश्किल है। इसलिए अगर इस प्रकार से बनाकर इसको भारत सरकार को भेजते हैं तो जैसा मैंने कहा , तीन-चार एजैंसी इसमें फण्डिंग करने के लिए तैयार है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से, मुख्य मंत्री जी से, वन मंत्री जी से, कृषि मंत्री से, उद्यान मंत्री जी से और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वैसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अब इसमें ज्यादा चिन्तित नहीं हैं क्योंकि अब इनका ध्यान मुंबई की तरफ ज्यादा है। अब इनका ध्यान हिमाचल की तरफ कम हो गया है। इसलिए अब यह ज्यादा चिन्तित नहीं है। यहां जो मर्जी हो जाए। लेकिन हम चुने हुए नुमाइन्दे हैं। हमारा क्या दायित्व और कर्त्तव्य अपने मतदाओं और प्रदेश के प्रति बनता है, वह हमें निभाना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका धन्यवाद।

11/12/2014/1530/MS/AG/2

अध्यक्षः अब इतना ही समय बचा है जिसमें मंत्री जी ही जवाब दे पाएंगे। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मंत्री जी जवाब दे दें?

श्री महेन्द्र सिंहः वीरेन्द्र कंवर जी को बोलने दीजिए।

अध्यक्षः अब समय कहां बचा है? अब केवल 10 मिनट का समय बचा है। रेजोल्यूशन का समय बढ़ाया नहीं जा सकता। आपका समय श्री महेन्द्र सिंह जी ने ले लिया है। अब 10 मिनट में मंत्री जी ही अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। Kanwarji, there are 10 minutes left now. मंत्री जी कब जवाब देंगे? आपके एक माननीय सदस्य ने 35 मिनट का समय ले लिया।

श्री वीरेन्द्र कंवरः सर, मैं शॉर्ट में बोलूंगा।

अध्यक्षः फिर मंत्री जी जवाब कब देंगे? बाकी रेजोल्यूशन का क्या करेंगे? You should stick to the time. आपको ही सुविधा होगी क्योंकि जो अगले बोलने वाले हैं, उनको दिक्कत होगी। Please wind up in three minutes.

11/12/2014/1530/MS/AG/3

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष जी, माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने नियम 101 के अन्तर्गत बहुत बढ़िया संकल्प यहां चर्चा हेतु लाया है। आज हिमाचल प्रदेश की पहचान जंगलों के रूप में है लेकिन अब धीरे-धीरे यहां पर जिस तरीके से वनों की संख्या कम होती जा रही है , वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे यहां प्राचीन समय में और 20-15 वर्ष पहले तक भी वनों के अन्दर अलग-अलग तरह के फलदार पौधे होते थे। यहां पर हरड़, बेहड़ा, आंवला, गरना, जंगली बेर, कांगू और किन्नू होता था। यह सबकुछ धीरे-धीरे समाप्त हो गया और उसको लैंटाना ने ऑक्यूपाई कर दिया है। अब झाड़ियां पैदा हो गई हैं और इसके पीछे कारण यह है कि जंगलों का अंधाधुन्ध तरीके से कटान हो रहा है। मैं बड़े संक्षेप में यह सारा विषय लेकर आऊंगा कि हम अंधाधुन्ध जंगलों का जो कटान कर रहे हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

11.12.2014/1535/जेके/जेटी/1

श्री वीरेन्द्र कंवरः-------**जारी**----------

वन विभाग पूरी तरह से पंगू हो चुका है। गर्मियों के दिनों में जंगलों के अन्दर आग लगा देते हैं। जंगलों के अन्दर आग लगाना वन माफिया की एक चाल है। क्योंकि वनों के अन्दर जब आग लग जाती है तो चीड़ के पेड़ सूख जाते हैं और फिर उनको काटने की अनुमति के लिए विभाग के पास चले जाते हैं। उन सूखे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति विभाग दे देता है। उसमें क्या होता है कि जहां पर 100 पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है वहां पर 1000 2000-हजार पेड़ काट दिए जाते हैं। इसके कारण सारे के सारे चीड़ के जंगल समाप्त हो गए। हर वर्ष जंगलों के अन्दर आग लग जाती है। हर 10 वर्ष के अन्दर विभाग खैर के पेड़ काटने की अनुमति देता है। लेकिन यदि विभाग अपना रिकार्ड देखें तो इस वर्ष भी खैर कट रहे हैं। लेकिन फिर दो वर्ष बाद हम सूखे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दे देते हैं। ठेकेदार को 50

पेड़ खैर के काटने की अनुमति होती है। जब वह काटता है तो दो-दो गाड़ियां भर कर चली जाती है। नये पौधे लगाने के लिए भी हमारी कोई योजना नहीं है। हमें वन नीति कारगर करनी होगी। जहां तक सूखे पेड़ों की रिपोर्ट है यह तो तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। हमें जंगलों के अन्दर जो कटान होता है, जैसे बालन आदि का होता है उसको बन्द करना चाहिए । मैं यहां पर अपने गांव की बात करता हूं । मेरे गांव के अन्दर जिला ऊना में सबसे ज्यादा गांव है। अब 10 साल के अन्दर यह जंगल खैर के पेड़ काटने के लिए खुले हैं। इसी तरह से जंगल बालन के लिए भी खुलते हैं। वहां पर ठेकेदार आए। हर किसी को पैसे की आवश्यकता होती है। वहां पर उन्होंने सारे के सारे पेड़ कटवा दिए। इसके तहत कोई पोलिसी एडोप्ट नहीं की गई है। वहां पर खैर के पेड़ भी कट गए और जो दूसरे पेड़ थे वे भी कट गए। अगर आप हमारे गांव के अन्दर देखें तो वहां पर आज लैंटाना घास ही है। वहां पर अब कांग्रेस घास पैदा हो चुकी है। अब इस तरीके से सारे प्रदेश के अन्दर यह स्थिति अब धीरे-धीरे बनती जा रही है। मैं बहुत ज्यादा समय न लेता हुआ विभाग से यह कहूंगा कि जब ठेकेदार को परमिशन दी जाती है हम क्यों न इस डिपार्टमैंट को ऑन लाईन कर दें कि कहां पर हमारा पौधा रोपण हो रहा है। डी0एफ0ओ0 को कहा जाए कि इसको ऑन लाईन

करें। आज़ादी के बाद यहां पर जितने भी माननीय मुख्य मंत्री हुए उन्होंने यहां पर हर वर्ष वन महोत्सव मनाए गए। अगर हम उसी प्लांटेशन को देखें तो वह प्लांटेशन भी आपको नहीं मिलेगी। मैंने स्वयं देखा है कि जहां-जहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी प्लांटेशन करके गए हैं वन विभाग उस प्लांटेशन को उस वर्ष भी नहीं बचा सका है। आग लग गई और सारे के सारे पेड़ जल गए। अगले साल मुख्य मंत्री जी फिर आएंगे और फिर पौधा रोपण करेंगे और फिर बाद में एक भी पौधा जीवित नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर लगभग ढाई सौ रेंजें हैं। जहां पर एक रेंज में हम एक रेंज ऑफिसर से एक वर्ष में एक एकड़, दो एकड़ और 10 एकड़ तक का टारगेट दे करके उससे उसकी रखवाली करवा सकते हैं। मेरा यह निवेदन है कि हम को इस डिपार्टमैंट के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। यह जो नई नीति है जिसका जिक्र यहां पर माननीय महेन्द्र सिंह जी ने किया है। ये एक बहुत लाभकारी योजना है जो कि हमारे प्रदेश के लिए है। अगर हम प्रदेश में चन्दन के पौधे लगाने के लिए नई योजना लेकर आएंगे और यदि वे यहां पर लग जाते हैं तो उससे बेरोजगारी भी

दूर होगी और हिमाचल प्रदेश एक सम्पन्न राज्य हो सकता है। अप्पर बैल्ट में हॉर्टिकल्चर को प्राथमिकता दी गई है तो उसी तरह से निचले क्षेत्र में भी जहां पर खैर के पौधे और चन्दर के पौधे लगाए जाएं और इनके लिए एक अच्छी नीति बनें। उस नीति को मध्यनज़र रखते हुए उन पेड़ों को लगाया जाए। उस योजना को पूरी तरह से ऑन लाईन भी किया जाए।

श्री एस.एस.द्वारा जारी-----

11.12.2014/1540/SS-JT/1

श्री वीरेन्द्र कंवर क्रमागतः

मैं तो कहता हूं कि पूरे वनों को ऑनलाइन किया जाए। जहां पर कटान होता है वहां पर कटान की परमिशन ज़रूर देते हैं। उसकी डिमार्केशन ज़रूर होती है और उसके बाद जब कटान होता है तब विभाग का कोई अधिकारी वहां देखने के लिए नहीं जाता है कि वहां पर जो 100 पौधों की डिमार्केशन हुई है क्या वही 100पौधे कटे हैं या वहां पर एक हजार पौधा कटा है। आज यही कारण है कि हमारे वन धीरे-धीरे समाप्त हो गए हैं। आज हम ये चाहते हैं कि जहां आज हिमाचल प्रदेश कांग्रेस घास मुक्त होना चाहिए और बनना चाहिए, वहीं यहां पर चन्दन के पेड़ लगने चाहिएं। ऐसी हमारी कामना है। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्षः अगर माननीय सदस्य चाहें तो मंत्री जी जवाब दे दें। काफी हो गया। मंत्री जी इसका जवाब दीजिए।

वन मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः एक मिनट, ज़रा बैठिये। आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं लेकिन मेरी बात भी सुन लिया करें। इसके लिए 60 मिनट एलोकेट हुए हैं और मंत्री जी ने इसका जवाब भी देना है। रैजोल्यूशन का टाइम एक्सटैंड नहीं कर सकते। इसके बाद दो रैजोल्यूशन्ज़ और हैं। You manage your own time. आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं।

उद्योग मंत्रीः आज टाइम नहीं बढ़ेगा। आगे ठाकुर गुलाब सिंह जी का एक संकल्प है।

Speaker: My request to the Members is कि अपना टाइम मैनेजमैंट खुद करें। अगर कोई एक घंटा बोलना चाहता है तो बाकियों का टाइम कट जायेगा। We cannot extend the time of the Resolution, please. अभी दो रैजोल्यूशन और हैं। एक ही बात है जो आपने जिस्ट दे दिया उसका ही ये अनुसरण करेंगे। आप

11.12.2014/1540/SS-JT/2

कितनी देर बोलेंगे? दो मिनट के लिए मैं आपको एलाऊ करता हूं। But you have to manage the time yourself.

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, नियम-101 के तहत माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी जो गैर-सरकारी संकल्प इस माननीय सदन में लेकर आए हैं उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है जिसमें लगभग 66 परसैंट वन भूमि है। इस वन भूमि में अनेक प्रकार के जंगल झाड़ियां हैं। इन जंगलों से जहां हमें इमारती लकड़ी मिलती है, पशु चारा मिलता है, बालन मिलता है वहीं अनेक प्रकार की जड़ी-बूटियां प्राप्त होती हैं। जिससे कि प्राचीन काल से अनेक असाध्य रोग ठीक किये जाते हैं। परन्तु आज इन जड़ी-बूटियों और जंगलों का स्थान लैंटाना /कांग्रेस घास व खरपतवार ने ले लिया है। जैसा कि यहां पर बताया भी गया है कि आज प्रदेश के करीब 1852 वर्ग मीटर में लैंटाना या कांग्रेस घास व खरपतवार उग चुकी है। पशुचारा और जड़ी-बूटियां जो हमें जंगलों से प्राप्त होती थीं वे आज दुर्लभ हो गई हैं। लैंटाना एक ऐसी झाड़ी है न इससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है और न ही पशुचारा मिलता है तथा न ही इसके फूलों में खुशबू होती है। परन्तु जो इसके कांटे होते हैं, कभी हमें जंगल से गुजरने का मौका मिले तो वे आपकी खाल अवश्य नोच लेंगे। इस प्रकार की यह झाड़ी होती है। साथ-ही-साथ यह एक ऐसी झाड़ी है जैसे चीड़ का पौधा होता है वह अपने नीचे न कोई पेड़ उगने देता है और न ही किसी प्रकार की घास उगने देता है उसी प्रकार से लैंटाना अपने नीचे या अपने आस-पास किसी भी झाड़ी को उगने नहीं देता। जंगल खत्म हो रहे हैं। पशुचारा खत्म हो रहा है। न केवल जंगलों में बल्कि आज लैंटाना लोगों के खेतों तक पहुंच गया है। लोगों की कृषि भूमि बंजर हो रही है। स्थिति और भी विकट है।

जारी श्रीमती के0एस0

11.12.2014/1545/केएस/एजी/1

श्री सुरेश कुमार जारी---

लोगों की कृषि भूमि बंजर हो रही है और स्थिति और भी विकट है क्योंकि लेंटाना को आप न तो काटकर खत्म कर सकते हैं और न जलाकर खत्म कर सकते हैं। इसको केवल उखाड़ कर इसकी जड़े निकालकर ही इसको समाप्त किया जा सकता है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से यह फैल रहा है, उससे स्थिति और भी

विकट हो रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र पच्छाद, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर लेंटाना ने और भी भयंकर स्थिति पैदा कर दी है। आज स्थिति यह हो गई है कि वहां लोगों को अपनी खेती की जमीन को इससे निज़ात दिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरा माननीय वन मंत्री जी से यह निवेदन रहेगा कि इससे निज़ात पाने के लिए कोई उपाय किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। मैं माननीय पंचायती राज मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि मनरेगा के तहत भी इस लेंटाना घास को कटवाने का प्रावधान करवाया जाए। इसी प्रकार से कांग्रेस घास भी है, जिसके बारे में ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने भी ज्यादा विस्तार से नहीं बताया, यह एक ऐसी घास है जो आज लोगों के खेतों में उग रही है। यह ऐसी घास है कि यह न केवल लोगों के खेतों को बर्बाद कर रही है इसके साथ ही इस घास से जब यह सूख जाती है और यह अगर आपको लग जाती है तो इससे एलर्जी की समस्या हो जाती है। इसके जो छोटे-छोटे सफेद फूल होते हैं, उनका जो पाऊडर होता है उससे श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है। आज हमारे प्रदेश में लेंटाना व कांग्रेस घास व दूसरी खरपतवार उग रही है इससे बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में उत्पन्न हो रही है इसलिए मेरा माननीय वन मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि जैसा कि यहां पर मेरे से पूर्व सदस्यों ने भी कहा कि लेंटाना और कांग्रेस घास की जगह पर चंदन और दूसरे फलदार पौधे लगाएं जाएं ताकि न केवल इस समस्या से छुटकारा मिले अपितु जो बंदरों और दूसरे जंगली जानवरों की समस्या है,उससे भी हमें छुटकारा मिल सके। मेरा माननीय वन मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि एक नई पौधारोपण नीति लाई जाए जिसके तहत इन समस्याओं का निवारण हो सके। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

11.12.2014/1545/केएस/एजी/2

अध्यक्षः अब वन मंत्री जी उत्तर देंगें। यह बहुत ही अहम् विषय है इसलिए मंत्री जी इस बारे में गम्भीरता से सोचिए कि क्या करना चाहिए।

वन मंत्रीः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई महेन्द्र सिंह जी ने और वीरेन्द्र सिंह कंवरजी ने भी इस महत्वपूर्ण विषय पर जो सुझाव रखें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार पहले ही दो सालों से और उससे पहले भी पिछली सरकार ने प्रयत्न किया है कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन

रैवोल्यूशन आए ताकि नेचर के मुताबिक, क्लाईमेट के मुताबिक बर्फ भी पड़े, बारीश भी हो और ग्रीन रैवोल्यूशन आए। इन पौने दो सालों में जंगलों में ग्रीन रैवोल्यूशन --

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

11.12.2014/1550/ag-av/1
वन मंत्री ------जारी

इन पौने दो सालों में जंगलों में ग्रीन रैवोल्युशन आया है और इसका कवर पहले से बढ़ा है। जहां तक लैंटाना का सवाल है तो पिछले पौने दो सालों में जंगलों में कोई आग नहीं लगी है। मगर आजकल वर्षा नहीं हो रही है। किसान जो फसल बीजना चाहते हैं उनको वर्षा न होने के कारण दिक्कत हो रही है। जहां पर जमीन को पानी लगता है वहां तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं है। मगर चंगर का एरिया या मिड हिमालय के एरिया में किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे महेन्द्र सिंह जी ने कहा कि लैंटाना और दूसरी किस्म की जो झाड़ियां जंगल या दूसरी कृषि योग्य भूमि में आई है उससे किसानों को बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। यहां पर मैंदडूं-गरना इत्यादि का जिक्र आया। यहां पर श्री इन्द्र सिंह जी ,श्री सुरेश कुमार जी और श्री वीरेन्द्र कंवर जी ने जिक्र किया कि फ्रूट प्लांट खत्म हो गए। उनकी जगह लैंटाना बूटी तैयार हो गई। भाई महेन्द्र सिंह जी ने भी कहा कि उसकी वजह से हमारे किसान, भेड़-बकरी पालक, पशु पालक, भैंस पालक; सभी परेशान है। नेचर के साथ जानवर भी हमारा ही पार्ट है। नेचर के मुताबिक जो-जो पैदा होता है वह हमारा ही पार्ट है। हमारे लिए बोलने वाले हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे नौकर-चाकर है। हमारे कर्मचारी/ऑफिसर हैं जो इनसान का पक्ष रखते हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। मगर जंगली जानवरों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। मगर इनका पक्ष रखना भी बहुत जरूरी है। बर्फ वाले एरिया और ज्यादा हाइट वाले एरिया में तो यह लैंटाना घास पैदा नहीं होती। मगर लोअर बैल्ट में यह बहुत ज्यादा पैदा हो रही है। भूमि में घास उगना बंद हो गया है क्योंकि लैंटाना के नीचे हर चीज खत्म हो जाती है। किसानों की भूमि में जितने भी छोटे प्लांट, झाड़ियां या छोटे फ्रूट के प्लांट थे वे सारे-के-सारे खत्म हो गए। अब केवल चील, ख़ैर इत्यादि पेड़ बचे हैं या फिर इस किस्म की स्पीशिज जैसे पूह है। अगर मैं यहां सब स्पीशिज का नाम लूंगा तो समय की बर्बादी होगी। आप सबको पता है क्लाइमेट के मुताबिक आपके एरिया में जो-जो स्पीशिज होती है। जैसे आम है, जंगल में आम लगाना बंद कर दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार न्यारी में (यह स्थान घुमारवीं से आगे आता है।) जहां फॉरैस्ट

रैस्ट हाउस है। वहां उसके पीछे एक आम का बगीचा लगाया है और आम कौन सा है वह जो पुराने देसी आम होते थे। वह खत्म कर दिए और अब कलमी आम लगाने शुरु कर दिए। पुराना संतरा खत्म कर दिया और किन्नु लगाने शुरु कर दिए।

11.12.2014/1550/ag-av/2

यहां पर जैसे हॉर्टिकल्चर के बारे में कहा गया कि बहुत बड़ा रैवोल्युशन आया। पूजनीय श्री लाल चन्द स्टोक्स जी ने इस रैवोल्युशन को लाया। हमारे जो---

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1555/नेगी/एजी/1
माननीय वन मंत्री महोदय... जारी...

और हमारे जो माननीय मंत्री, मैडम स्टोक्स जी हैं , इन्होंने बढ़ावा दिया। पहले हमारे भरमौर में सेब नहीं था, जिला चम्बा में सेब नहीं था। लेकिन यह इनकी देन है । निचले क्षेत्र में सीटरस प्लांट्स भी बहुत कम थे। निचले क्षेत्रों में संतरा होता था या देसी आम होता था। वहां लोग इनको लगाते थे । फलों के क्षेत्र में आज रेवॉल्यूशन आया। एग्रीकल्चर में भी ग्रीन रेवॉल्यूशन आया। ऐसे ही हम भी आपस में मिल कर सारे प्रदेश-वासी, हिमाचल प्रदेश के सारे एम.एल.ए., सारे मिनिस्टर और मुख्य मंत्री यह चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ग्रीन फैलिंग रेवॉल्यूशन न आए, पौध कटान न हो। आप पौध कटान की बात कर रहे हैं कि बड़े भारी जंगल काटे गए। जंगल हमारे भाई ही तो काटते हैं । कोई मेरा भाई है, कोई आपका भाई है , कोई आपका ठेकेदार है और किसी का ठेकेदार है । उसकी सिफारिश कर देते हैं और वे इलिसिट फैलिंग कर देते हैं। एक खैर का दरख्त फैलिंग के लिए... (व्यवधान) ....सुनिए तो सही, मैं क्रिटिसिज्मर थोड़ी कर रहा हूं । मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूं । अगर आपको यह बुरा लगता है तो मैं नही बोलता। अध्यक्ष जी, जहां तक लैंटाना की बात है,

अध्यक्षः मंत्री जी ऐसा है, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि you restrict your speech to the eradication of lantana buti.

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, लैंटाना को रिमूव करने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं , मैं उसका जिक्र करता हूं। मैं माननीय सदस्य जी के संकल्प के सन्दर्भ में निवेदन

करना चाहता हूं कि मार्च, 2011 में वन विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार लैंटाना से लगभग 1562 वर्ग किलो मीटर भूमि प्रभावित है। जबकि कांग्रेस घास लगभग 63 वर्ग कि0 मी0 क्षेत्र में फैली है। लैंटाना से मुख्यतः वन भूमि प्रभावित है। जबकि कांग्रेस घास निजी भूमि पर फैली है और कहीं-कहीं जंगल में भी है। गत तीन वर्षों में विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के वन क्षेत्र में 15 98.करोड़ रूपये खर्च कर 9651 हैक्टेयर क्षेत्र से लैंटाना का उन्मूलन किया गया। यह आपके समय में भी हुआ और हम भी कर रहे हैं। हमने वर्ष 2014-15 के लिए 10 हजार हैक्टेयर वन क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए

11.12.2014/1555/नेगी/एजी/2

16.48करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। लैंटाना/खरपतवार का उन्मूलन करने के पश्चात वहां पर उपयुक्त पौधरोपण किया जा रहा है जिसमें फलदार पौधे/ औषधीय पौधों का पौधरोपण किया गया है । हमारी प्लानिंग के मुताबिक 60 परसेन्ट फौडर प्लांट और 40 परसेन्ट फ्रूट्स प्लांट और हर्बज़ प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसी प्रकार कृषि भूमि से कांग्रेस घास को हटाने के लिए कृषि विभाग ने पिछले 3 वर्षों में 97903 हैक्टेयर भूमि पर उपचार किया है। जहां तक प्रदेश में चन्दन वृक्षों की काश्त का प्रश्न है, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में बिलासपुर तथा अन्य एक-दो स्थानों पर विभाग ने इस प्रजाति का पौध-रोपण किया है। परन्तु उसमें तेल की मात्रा तथा लकड़ी की गुणवत्ता की जांच करवाना शेष है। इसलिए मैं विभाग तथा वानिकी विश्व-विद्यालय के विशेषज्ञों की समिति गठित करने का प्रस्ताव रखता हूं ताकि इस प्रजाति को बड़े पैमाने पर निजी व वन भूमि पर काश्त करने से पहले इसका सही ढ़ंग से विश्लेषण किया जा सके ताकि किसानों को इस प्रजाति के बारे में सही मार्गदर्शन किया जा सके। अगर केरल में यह कामयाब होता है तो हमारे जो लोअर बेल्ट है, अगर वहां पर साईंटिफिक्ली यह कामयाब होता है तो इसको हम बढ़ावा देंगे। हम इस विषय में पूरी नीति बनाएंगे। जैसे आपने रिक्वैस्ट की है, मैं सब जगह से स्टडी करवा करके...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

11.12.2014/1600/यूके/एजी/1
वन मंत्री-जारी---

हम पूरी नीति बनाएंगे। जैसे आपने रिकवैस्ट की है। (व्यवधान) जो बैस्ट पॉस्सिबल होगा वह हम करेंगे, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। आपके भी और सभी माननीय सदस्यों के भी सुझाव लेंगे। पक्ष का भी और विपक्ष का भी अन्य लोगों का भी सुझाव लेंगे जो बैस्ट पॉस्सिबल होगा इसको हम हंर्डेड परसेंट करेंगे कि चंदन यहां पर कामयाब हो। इस समिति के सुझाव तथा निर्णय के आधार पर (व्यवधान) जो चारों मंत्रियों की आपने बात की है, we will sit together और डिसकशन के बाद आपके विचार विमर्श को मद्दे नजर रखेंगे उसके बाद उस पर अमल करेंगे।

इस समिति के सुझाव तथा निर्णयों के आधार पर ही प्रदेश नीति बनायी जायेगी तथा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा। भाई वीरेन्द्र कंवर जी का सुझाव अच्छा है कि विभाग की गतिविधियों को ऑनलाईन किया जाए। सरकार ने पहले ही वन विभाग के कम्प्यूटरीकरण पर कार्य आरम्भ कर दिया है।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि सरकार सभी बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करती है व इस ओर प्रयासरत है । अतः उचित होगा कि माननीय सदस्य इस संकल्प को वापिस लें। मुझे आशा है कि वे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष:तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प लेने के लिए तैयार हैं ?

वन मंत्री :मेरे अनुरोध पर जो संकल्प आपने रखा है (व्यवधान) नहीं,नहीं बैठेंगे, विचार-विमर्श करेंगे उसके बाद तो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष :महेन्द्र सिंह जी, अब चंदन ही चंदन हो जाना है। Himachal will be known as Chandan State.

श्री महेन्द्र सिंह :आदरणीय अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बात कही है, मेरी नर्सरी नहीं है, मैने प्लांट लगाए हैं। नर्सरी भूप सिंह की है जो करसोग में है दो लोगों

11.12.2014/1600/यूके/एजी/2

ने मिल कर लगाई है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे मंत्री जी ने कहा है कि हम चारों विभागों के मंत्री बैठेंगे और बैठकर के इस पर विचार-विमर्श करेंगे। मैने कब कहा कि अभी करो इसको। यह तो बैठेंगे, विचार विमर्श होगा, विभागाध्यक्ष बैठेंगे, विभागों

के ऐक्सपर्ट बैठेंगे, इस क्षेत्र के वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद फिर आप उसका प्रारूप तैयार करेंगे और प्रारूप तैयार करने के बाद यदि आपकी कैपेसिटी प्रदेश स्तर पर इसको विकसित करने की होगी। हम चाहेंगे निश्चित तौर पर आप प्रदेश स्तर पर करें। यदि आप ऐसा समझते हैं कि इस पर इतना पैसा इनवेस्ट नहीं कर सकते हैं तो जैसा हॉर्टिकल्चर मिशन में हमें पैसा मिला है उसी प्रकार से उस मिशन के रूप में यहां से प्रस्ताव भारत सरकार को जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत सरकार में जहां हम लोगों की मदद की आवश्यकता होगी जनहित में, प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में ,समाज हित में, वहां पर हम भी मदद करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसको एडॉप्ट करने में क्या दिक्कत क्या है इसमें आपका तो लगेगा ही कुछ नहीं।

एस0एलएस0 द्वारा जारी----

11.12.2014/1605/SLS-AG-1

मा0 उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) ...जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महेन्द्र सिंह जी बहुत सीनियर मैंबर हैं ,छठी दफा यहां पर आए हैं। चंदन के पौधारोपण के बारे में इन्होंने जो सुझाव दिए हैं, माननीय मंत्री जी ने उसका बड़ा विस्तृत जवाब दिया है कि इस पर गौर करके हम इसके ऊपर काम करेंगे। इसलिए इनसे मेरा आग्रह है कि ये अपना संकल्प वापिस ले लें। (व्यवधान) हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी के आश्वासन के बाद आप अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

अध्यक्ष : तो क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापिस लेने के लिए तैयार हैं?

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो बात रखी है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि हम इस हाऊस में जो कहें, उसको पूरा करें। जैसे माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है उस आश्वासन के मुताबिक मैं इस संकल्प को वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प वापिस किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

संकल्प वापिस हुआ।

11.12.2014/1605/SLS-AG-2

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (अबसैंट)

11.12.2014/1605/SLS-AG-3

अध्यक्ष : अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। You are requested to manage your time.

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बखूबी जानता हूं कि गैर-सरकारी सदस्य कार्य समयबद्ध होता है, उसको समय के भीतर ही पूरा करना होता है। मैं अपनी बात को सूक्ष्म रूप से रखूंगा ताकि मंत्री महोदय का जवाब भी आ जाए और कोई माननीय सदस्य अगर बोलना चाहे ,वह भी इसमें पार्टिसिपेट कर ले। यह आज का आखिरी संकल्प है और इस सदन में गैर-सरकारी सदस्य संकल्प के तौर पर यह संकल्प है। जब हमारी सरकार सत्ता में थी, आदरणीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने उस वक्त भी इस प्रकार का संकल्प इस माननीय सदन में लाया था। आज पुनः यह इसी प्रकार का संकल्प गैर-सरकारी सदस्य के तौर पर मैं विधान सभा के सदन में लाया हूं जिसका टैक्सट इस प्रकार है -

"यह सदन केंद्र सरकार से सिफ़ारिश करता है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कृषि संबंधी स्वीकार्य कार्य हैं उनमें से जंगली जानवरों से किसानों की खेती की रखवाली करने का कार्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देने का प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किया जाए।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केंद्र सरकार से सिफ़ारिश करता है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कृषि संबंधी स्वीकार्य कार्य हैं उनमें से जंगली जानवरों से किसानों की खेती की रखवाली करने का कार्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देने का प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किया जाए।"

इसके लिए 45 मिनट निर्धारित हैं। जो सदस्य इसमें भाग लेने वाले हैं, उनकी सूची मेरे पास आ गई है। अब संकल्प को शुरू करते हुए श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी अपनी चर्चा करेंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हिमाचल प्रदेश की विधान सभा में 1977 से लेकर अब तक 7 बार इस माननीय सदन का सदस्य बनने का मुझे

सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार , जंगली जानवरों के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है,

जारी...गर्ग जी

11/12/2014/1610/RG/JT/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर---------क्रमागत

एक बार नहीं अनेकों बार जंगली जानवरों से उत्पन्न जो स्थिति है जिससे प्रदेश के किसान परेशान रहते हैं। अब तो एक और परेशानी का कारण आवारा पशु जुड़ गया है। नहीं तो पहले यदि हिमाचल प्रदेश का किसान अपनी खेती-बाड़ी में किसी से डरता था, तो वह **सुअरों** की वजह से डरता था। उसके बाद अब बंदरों का भी धीरे-धीरे आतंक बढ़ा है। लेकिन अब तो यह हो गया है कि दिन के उजाले में तो बंदर खेती को उजाड़ रहे हैं और रात के अंधेरे में सुअर जिस प्रकार की तबाही मचा रहे हैं ,यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त दिन में आवारा पशु जहां दिन में थोड़ा संभलकर खेती को उजाड़ते हैं ,वहीं रात को वे भी सुअरों की तरह खेती को उजाड़ने में लग जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत अभी हाल ही में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई और चार-पांच घण्टे तक चली। इसमें बहुत अच्छे और मूल्यवान सुझाव आए और मंत्री महोदय की तरफ से भी इस पर एक लांग टर्म प्लानिंग के लिए जवाब आया कि बंदरों का उत्पात इस प्रदेश में सदा-सदा के लिए समाप्त हो ,उसके स्टरलाइजेशन के अलावा या किलिंग के अलावा कोई अन्य उपाय है ही नहीं। लेकिन किलिंग इतने स्तर पर संभव हो, यह हो नहीं सकता। क्योंकि इनसे धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं और दूसरी भी कई प्रकार की इसमें बाधाएं होती हैं। जैसे अदालत की बात भी यहां कही गई थी। लेकिन दूसरे भी कई ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से फसलों को होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। जैसे पहले पद्धितियां बनाई जाती थीं और फसल को बचाने के लिए मचान बनाए जाते थे ,बंदरों को या अन्य पशुओं को भगाने के लिए लोग अपनी खेती में एक ऊंचा सा मचान बनाते थे। सरकार के उपाय हमेशा रहते थे। उसी प्रकार से सुअरों को भगाने के तरीके रहते थे , लेकिन आज उसका अभाव है। अब रोजगार के इतने साधन हो गए हैं कि लोग खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहे और खेती को छोड़ते जा रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम आया जिससे जो लोग खेती-बाड़ी करने के लिए गांवों में जुड़ते थे ,उन्होंने भी खेती-बाड़ी छोड़कर मनरेगा में काम करना शुरू कर दिया और अपने खेत खाली छोड़ दिए। इसलिए अब उनमें न कोई बिजाई हो रही है और न ही

वे उनके रख-रखाव का कोई तरीका अपना रहे हैं। हर पंचायत में हर साल दस से बीस लाख तक मनरेगा के तहत जो 12 मदें हैं,उनमें पैसा खर्च हो रहा है। यह 60:40 की रेशों से खर्च हो रहा है और जो 12 मदें हैं, उसमें

11/12/2014/1610/RG/JT/2

मुझे लगता है कि उनमें से कुछ मदें ऐसी हैं जो कृषि से जुड़ी हैं। अब तो भारत सरकार का एक और डायरैक्टिव आ रहा है और शायद शीघ्र ही वह सभी प्रदेशों में आने वाला है जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़े ,उसमें मनरेगा की भागीदारी को बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि के उत्पादन के लिए ज्यादा-से-ज्यादा व्यय मनरेगा के तहत किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हर ग्राम-पंचायत में जितने लोग पंजीकृत हैं ,जिनको आप सौ दिन का रोजगार देते हैं ,हर ग्राम-पंचायत के हर वार्ड में ,एक ग्राम-पंचायत में कम-से-कम पांच से लेकर नौ वाड्र्ज तक होते हैं , हर ग्राम-पंचायत, क्योंकि उसमें कम-से-कम पांच वाड्र्ज होते हैं। हर वार्ड में हर महीने दस से बीस तक लोगों को रोजगार दिया जाता है और उसमें एक प्रावधान है कि अगर पांच या पांच से अधिक महिलाओं को रोजगार दिया जाता है, तो उनमें से एक महिला बच्चों की रखवाली के लिए रखी जाती है। अगर दस से बीस लोग काम करते हैं, तो एकाध व्यक्ति उन लोगों को पानी पिलाने के लिए----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

11/12/2014/1615/MS/AG/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर जारी----------

अगर 10 से 20 तक लोग वहां काम करते हैं तो एक-आध व्यक्ति उन लोगों को पानी पिलाने का काम करता है और उसकी जो दिहाड़ी है, जो काम उसको एलौटिड है, उससे पूरी की जाती है। मेरा यह सुझाव होगा कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए मनरेगा में जिसकी आशंका आप जाहिर कर रहे हैं , पैसा भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय से आपको मिलने वाला है। एक साल पहले भी इस सरकार ने भारत सरकार को रेजोल्यूशन भेजा था, उस समय आपकी यू0पी0ए0 की सरकार थी। उसमें था कि खेती की रखवाले के लिए जैसे कभी वन-राखे रखे जाते थे या खेती को बचाने के लिए जिस प्रकार से लोग रखे जाते थे या राखे रखे जाते थे ,उसी

प्रकार से 20 आदमियों में ऐसे भी आपके दो आदमी ,एक पानी के लिए और एक बच्चों की देखरेख के लिए हर गांव में होता है। आपका गांव का जो पंचायत का मैम्बर होता है, वह तो बतौर वहां मेट का भी काम करता है। तो आज भी आपके तीन आदमी अपने वार्ड में फिजूल के वहां बैठे हुए, उस काम की देखरेख ही करते हैं और वह दिहाड़ी उस काम पर चार्ज होती है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि वैसे ही जैसे बच्चों की देखरेख के लिए और पानी पिलाने के लिए जो प्रोविजन उसमें है, उसी आधार पर आप एक बार पुनः एक रेजोल्यूशन स्टेट लैवल की मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में जो ग्राम रोजगार गारंटी योजना परिषद है, उसमें ले जाइए। फिर इस रेजोल्यूशन को आप आगे भेजिए। क्योंकि केन्द्र सरकार में जो अब हमारे माननीय सांसद गए हैं , उनको पता है कि हिमाचल में किस प्रकार से आवारा पशु या जंगली जानवरों का आतंक है। वह सांसद सारी स्थिति समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी जो ग्रामीण मंत्रालय के केन्द्र में मंत्री बन गए हैं, वह कभी आपके ही यहां से कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज होते थे। मंत्री जी आप भी अपना घोषणा पत्र पढ़ लें। बंदरों या जंगली जानवरों से खेती को कैसे बचाए, वह मैनीफैस्टो में है। तो आप भी उस एजैंडा को चौधरी बीरेन्द्र जी के पास ले जाइए। (व्यवधान) डबल कनैक्शन हो गया और हमारे तो आजकल केन्द्र में मंत्री हैं। इसलिए मैं इसमें ज्यादा बहस नहीं करूंगा और ज्यादा इसमें बोलने की बात भी नहीं है। बस, इसमें आपका जवाब आ जाए। इस सदन में इसको एडॉप्ट कीजिए। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जंगली जानवरों से रखवाली के लिए जिसमें बंदर भी शामिल हैं, 'जंगली जानवर' ही शब्द

11/12/2014/1615/MS/AG/2

आता है, आवारा पशुओं का दे नहीं सकते कि उनकी रखवाली के लिए हमें एक रखवाले के तौर पर मनरेगा में प्रोविजन किया जाए। मुझे लगता है कि आज केन्द्र में जिनके पास यह मंत्रालय है , वह हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति और यहां पर आवारा पशुओं और जंगली जानवरों ने जो खेतीबाड़ी में आतंक मचाया है, उससे वाकिफ हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि मनरेगा के कार्य में रखवाली करने का जो प्रोविजन है, वह अवश्य तौर पर आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से इस सदन से निवेदन रहेगा कि यह रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया जाए और जो आपकी विकास परिषद है , उसमें इसको एडॉप्ट करके भारत सरकार को भेजे।

वहां से आप भी कोशिश करें और हमारे सांसद भी कोशिश करेंगे। यह विधायक दल और हमारे नेता भी उसमें कोशिश करेंगे कि यह प्रोविजन मनरेगा के कार्य में शामिल किया जाए। जो जंगली जानवर हैं , उनकी रखवाली करने के लिए जो लोग रखने का प्रोविजन है, वह मनरेगा में किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ कि "यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि मनरेगा के अन्तर्गत जो कृषि संबंधी स्वीकार्य कार्य है, उनमें से जंगली जानवरों से किसानों की खेती की रखवाली करने का कार्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को देने का प्रस्ताव योजना में सम्मिलित किया जाए"।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

11.12.2014/1620/जेके/जेटी/1

अध्यक्षः-----**जारी**--------

अब इसमें 30 मिनट बचे हैं। अब चर्चा में श्री रिखी राम कौंडल जी भाग लेंगे।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के अन्दर अध्यक्ष पद पर और 7वीं बार विधान सभा में विधायक चुनने और अनेकों बार मंत्री रहे श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी ने जो यह मुद्दा इस माननीय सदन में उठाया है वह किसानों के हित का है। किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। इस पर चर्चा के लिए मैं भी शामिल होता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश ही नहीं सारा देश किसानों से जुड़ा हुआ है। यहां पर 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहने वाले किसानों की है और 10 प्रतिशत की आबादी शहरों में रहती है। 90 प्रतिशत किसान जो गांवों में रहते हैं। जो खेतीबाड़ी से निर्वाह करते हैं और वे उन 10 प्रतिशत लोगों का पालन-पोषण भी करते हैं। ये अपनी आजीविका का साधन तथा अपने बाल-बच्चों का पालन-पोषण भी उसी खेतीबाड़ी से करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर जब पंचवर्षीय योजना बनी तो उस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के बजट आने शुरू हुए। मुझे याद आया है जब यह पंचवर्षीय योजना आई थी तो मैं यहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेने के बिना नहीं रह सकता हूं। उन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को गांवों की तरफ जोड़ा और उसमें किसानों का हित था। इस सारे देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ी। यू0पी0ए0-1 ने उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए मनरेगा 2005 एक्ट बनाया और उसको पास किया। उसके बाद इसकी गाईड लाईन जारी

की। वर्ष 2013 में फिर उसमें अमैंडमैंट करके गाईड लाईन जारी की कि मनरेगा के तहत जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम करने के प्रॉपर पैसे मिले। अध्यक्ष महोदय, श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी ने आवारा पशुओं के नुकसान और जंगली जानवरों के नुकासान का जिक्र किया है। आज हिमाचल प्रदेश का किसान बन्दरों और नील गायों से फसलों के नुकसान से बहुत ज्यादा दुखी है। श्री जगजीवन पाल जी ने अपनी चर्चा में कहा था कि यदि हम 20 काम करेंगे और जब हमारी जनसभा

11.12.2014/1620/जेके/जेटी/2

होती है उसके बीच में जब एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि आपने बन्दरों के लिए क्या किया ,आवारा पशुओं के लिए क्या किया वहां पर हम लाज़वाब हो जाते हैं। हमारी सरकार भी जब सत्ता में थी तब आप लोगों ने भी प्रस्ताव रखे थे। इस पर अनेकों बार चर्चा हुई लेकिन इसका कोई कंकरीट सोल्यूशन आप नहीं निकाल पाए थे। जबकि हमने एक कंकरीट सोल्यूशन बन्दरों से नुकसान के बारे में निकाला था। वह स्ट्रलाईजेशन था। उसमें बहुत डिटेल में चर्चा होनी है उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। मुझे याद है वर्ष 1977 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ। गांवों के किसान भूमिहीन थे। उनको भूमि दी गई। माननीय शांता कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी उस समय सुजान सिंह पठानिया जी भी थे, श्री कौल सिंह जी भी थे और श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी भी थे। उस समय भूमि इस परपज़ से दी गई कि हिमाचल का किसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसके बाद अनेकों बार सरकारें बदलती रही। आने वाले मुख्य मंत्रियों ने भी जो उचित हो सकता था वह काम किया। वो जमीनें जिन -जिन किसानों को दी गई थी वे सारी की सारी बंजर पड़ी हुई है। वह जमीने आबादी के नज़दीक नहीं बल्कि दूर-दूर मिली है। आज बन्दरों और आवारा पशुओं की वजह से वह जमीनें बंजर पड़ी है। जहां तक ठाकुर गुलाब सिंह जी ने प्रश्न किया था कि मनरेगा के तहत राखे रखे जाए। अब ये राखे भी बन्द कर दिए गए हैं। अब जंगलों में आए दिन आग लगती रहती है लेकिन उनकी रक्षा कोई नहीं करता। राखों को मेहनताना तक मिलता था और वह हमारे जंगलों की देखरेख करते थे। जो फॉरेस्ट डिपार्टमैंट में राखे रखे जाते थे उसी आधार पर मनरेगा के तहत अगर गांव के बरोजगार व्यक्ति को इस योजना में लिया जाए तो वह पैसे भी कमाएगा और उन किसानों को भी राहत मिलेगी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

11.12.2014/1625/SS-AG/1

श्री रिखी राम कौंडल क्रमागतः

तो वह पैसे भी कमायेगा और उन किसानों को राहत मिलेगी। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसे सरकार गम्भीरता से ले। इस माननीय सदन में जो चर्चा हुई है उसको माननीय मंत्री जी गम्भीरता से लें। माननीय मंत्री जी ने पीछे मनरेगा का ज़िक्र किया। हम तो प्रस्ताव कर रहे हैं कि इसको मनरेगा के तहत लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं। जहां तक मंत्री जी ने कहा कि हमें केन्द्र से पैसा कम मिला। मंत्री जी, मैंने नैट से सारी सूचनाएं निकाली हैं। आपकी जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वह 1.4.2011 से 31.3.2012 तक की लोड हुई है। उसके बाद आपने क्या प्रोग्रैस की, वह सारे प्रदेश को मालूम होना चाहिए। इस माननीय सदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए कि आपकी 31.3.2012 से लेकर 31.3.2013 तक की क्या रिपोर्ट है। अब तो अगले वर्ष (2015) का मार्च आने वाला है , आपकी जो मनरेगा की प्रगति है चाहे वाटर हारवैस्टिंग की है, चाहे मनरेगा के तहत दूसरी योजनाएं हैं, उनमें क्या प्रोग्रैस है ? आज तक आप उस रिपोर्ट को लोड नहीं कर पाए हैं। यह दिखाता है कि आप इस योजना के प्रति कितने गम्भीर हैं। इस योजना को आपके यू0पी0ए0-1 के प्रधान मंत्री ने बनाया था। आपको इसको गम्भीरता से लेना चाहिए था। 1.4.2011से 31.3.2012 के बाद आपकी एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट नैट पर नहीं चढ़ी है। इससे नज़र आता है कि आप मनरेगा के प्रति कितने गम्भीर हैं। आपने यहां सनसनी पैदा करने के लिए बोल दिया कि केन्द्र से हमें पैसा कम मिल रहा है। आप मुझे इसका उत्तर अपने जवाब में दीजिए कि 31.3.2012 के बाद आपकी कितनी प्रोग्रैस प्रदेश के अंदर हुई। कितनी वाटर हारवैस्टिंग टैंक में प्रगति हुई, कितने मकान दिए, कितने रोजगार मनरेगा के तहत लोगों को दिए। मैंने जो नैट से सूचना निकाली वह 2012 के बाद की नहीं मिली। अगर उसके बाद की सूचना बनी है तो उससे माननीय सदन को अवगत करवाएं। यह प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे और सदन के सभी महानुभावों से अपील करता हूं कि हम 60-70 परसैंट विधायक ऐसे हैं जो किसान हैं। मैं तो कहता हूं कि यहां 80 परसैंट के करीब किसान हो सकते हैं। सब के पास थोड़ी-थोड़ी जमीन है।

11.12.2014/1625/SS-AG/2

--(व्यवधान)--कुछ लोगों को छोड़कर सभी किसान हैं। कुछ राजे-महाराजे भी हो सकते हैं। पठानिया जी भी बड़े किसान हैं पर वे खेती कम करते हैं वहां मजदूर ही खेती करते हैं। हम लोग खुद खेती करते हैं इसलिए इस प्रस्ताव को गम्भीरता से लिया जाए। इसे स्वीकार किया जाए और केन्द्र से यह सिफारिश की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाया जाए कि अगर किसानों और उनकी फसल की रक्षा करनी है तो मनरेगा के तहत जैसे जंगलात के राखे होते थे ,उस ढंग से नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इससे एक तो बेरोजगारी समाप्त होगी और किसान राहत की सांस लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त

11.12.2014/1625/SS-AG/3

अध्यक्षः अब सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा में भाग लेंगे। मेरा निवेदन है कि वे संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः अध्यक्ष महोदय, आदरणीय गुलाब सिंह जी ने जो संकल्प रखा है हिमाचल प्रदेश के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इस संकल्प के माध्यम से अनेकों बातें माननीय गुलाब सिंह जी और रिखी राम कौंडल जी ने हमारे ध्यान में लाई हैं। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के मामले में बड़ी लम्बी चर्चा इस माननीय सदन के बीच हुई है। उससे ध्यान में आया है कि इन आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के कारण हिमाचल प्रदेश का किसान दुखी मन से खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो जान-बूझकर खेती छोड़ रहे हैं। हम सब लोग पुश्तैनी खेती करने वाले लोग हैं। हम सब लोगों के लिए चाहे आय का साधन और कितना भी हो जाए लेकिन भारतीय लोगों की एक परम्परा है...

जारी श्रीमती के0एस0

11.12.2014/1630/केएस/एजी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी----

लेकिन भारतीय लोगों की एक परम्परा है कि अपने हाथ से उगाकर अपने नेक-नीयत की कमाई से जितना कमाया जाए उसका अलग ही आनन्द होता है और

हिमाचल प्रदेश में तो अगर हम बड़े-बड़े लोगों के घरों में भी जाते हैं, बड़े परिवार हो, बड़े-बड़े किसान हो और अगर कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीयलिस्ट भी बन जाए तो उसके घर में भी हम देखते हैं कि उसकी चार दीवारी के अंदर भी खेती की छोटी-छोटी चीजें लगी होती है। वह चाहे उसने अपने यूज़ के लिए ही लगाई होती है। यह उसके कृषि के प्रति प्यार को ही दर्शाता है। वह उन चीजों को बाजार से भी खरीद सकता है लेकिन उसको लगता है कि मेरे घर के बाहर अगर एक मरला जमीन भी है तो उसमें कहीं लहसुन आपको दिखाई देगा, कहीं हरा धनिया दिखाई देगा, कहीं पर प्याज दिखाई देगा और अगर थोड़ी ज्यादा जगह हो तो दो-चार फलदार पौधे भी उसके आंगन में लगे हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से मूल से जुड़े होने का परिमाण व्यक्ति की डियोढ़ी से मिल जाता है कि उसके घर-आंगन में क्या है और हम सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं। हम सभी सदस्य जो यहां पर बैठे हैं, हम सभी मानते हैं कि कृषि को लोगों को मज़बूरी में छोड़ना पड़ रहा है। आवारा पशुओं और जंगली जानवरों के कारण लोगों का बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है । लोगों को फर्टिलाईज़र, पेस्टिसाईड्स और जो उन्होंने अपना बीज बोया होता है उसका पैसा भी वापिस नहीं आता है और उसकी अपनी व्यक्तिगत मेहनत को जोड़कर भी अगर हम देखें तो खेतीबाड़ी करने वाला आदमी बहुत ही घाटे में जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही जरूरी संकल्प है और इससे हमारे दो परपज़ हल होंगे। एक तो जो हमारे प्रदेश की एक रौनक है खेती-बाड़ी, उसमें चाहे हम बागवानी को गिन लें चाहे कृषि को गिन लें, उसको भी जारी रखने का एक मौका हमें मिलेगा और उसके लिए अगर मनरेगा के माध्यम से कोई गार्डज़ हमें रखने के लिए केन्द्र सरकार इजाज़त देती है तो लोगों को लाभ होगा। दूसरा, हिमाचल के बेरोज़गार लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनरेगा का मैक्सिमम पैसा केन्द्र सरकार से आता है तो इसके माध्यम से जहां खेती बाड़ी को

11.12.2014/1630/केएस/एजी/2

बचाने का हल ढूंढ पाएंगें वहीं पर हम अपने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार भी दे पाएंगें। तो इस संकल्प के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार व माननीय मंत्री महोदय से मैं यह आग्रह करना चाहूंगा कि वे इसका प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार के आगे रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह की सोच आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की, देश के प्रधान मंत्री जी की है, हर स्कीम में कुछ नई बातें जोड़ने के लिए केन्द्र में

उन्होंने एक्सपर्ट लोगों को बिठाया है । आप देखना कि चाहे योजना आयोग है वह लम्बे समय से चल रहा था उसमें भी कुछ न कुछ नई बात वे ले करके आएंगें। ऐसे ही मनरेगा में भी उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा है, जब हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर संगठनों की मीटिंग में जाते हैं तब भी सरकारी योजनाओं पर वे विषय रखते हैं। मनरेगा का मतलब अब यह नहीं रहा है कि तालाब की मिट्टी निकालो और अगले साल उसी तालाब में मिट्टी डालो यानि मनरेगा का यही मतलब होता था कि दिहाड़ी लगा दी और उसके आगे कोई काम नहीं है और लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपया मनरेगा के अन्तर्गत इस देश में खर्च हो चुका है मगर वास्तविक रूप में वह कहीं भी हमें दिखाई नहीं देता। तो शायद उनके मन में भी ऐसा है कि इसको प्लांटेशन से जोड़ा जाए, उसको खेती-बाड़ी से जोड़ा जाए , इसको रोज़गार के साथ जोड़ा जाए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर प्रदेश सरकारों के माध्यम से इस तरह के संकल्प केन्द्र में जाएंगें तो उनके विचारों का भी यहां पर सहयोग मिलेगा और जैसा आदरणीय गुलाब सिंह जी ने भी कहा कि हमारी ओर से जो सहयोग होगा वह हम भी करेंगें क्योंकि यह प्रदेश हम सभी का सांझा है। यहां पर कांग्रेस सरकार है लेकिन केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । प्रदेश हम सब लोगों का है और प्रदेश के लिए जो कुछ करने का होगा हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर हिमाचल प्रदेश के लिए ज्यादा से ज्यादा फंड केन्द्र सरकार से हिमाचल प्रदेश के लिए मुहैया करवाएंगें इसलिए मैं इस संकल्प के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह इसको केन्द्र सरकार के सम्मुख रखें ताकि इस समस्या का हल निकल पाए । धन्यवाद।

11.12.2014/1630/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री महोदय इस चर्चा का उत्तर देंगें।

मंत्री जी अ0व0 की बारी में--

11.12.2014/1635/ag-av/1

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी ने यहां एक संकल्प के माध्यम से चर्चा रखी है। इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रिखी राम कौंडल जी और श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने भी भाग

लिया है। यह सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि पहाड़ी प्रदेश होने के नाते जैसे मुझसे पहले कहा गया कि 90 प्रतिशत लोग हमारे गांव में रहते हैं। गांव में खेती-बाड़ी और बागवानी हमारा मुख्य पेशा है। अपने उत्तर में मैंने सब कुछ कहा है और आपके पास सारा उत्तर भी आया है इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं केवल कुछ मुद्दों पर बात करुंगा। सभी जानते हैं कि हमारी फसलें बंदरों की वजह से, जंगली जानवरों की वजह से तथा जैसे ठाकुर गुलाब सिंह जी ने कहा कि स्ट्रे केट्टल भी आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने इस प्रदेश में स्ट्रे केट्टल पॉलिसी लाई है और उसको लागू करने वाले हैं। मैं मानता हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी एक बार मैं सड़क से गुजर रहा था। मैंने जब गायों को सड़क के किनारे झुण्ड में लेटे हुए देखा तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा कि किसी की बड़ी अच्छी गाय हैं। बड़े आराम से सड़क के किनारे लेटी हुई हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रही है। मगर मुझे बताया गया कि ये गाय दिन को इस तरह सड़क के किनारे लेटी रहती हैं और रात को खेतो में घुसकर फसलों की तबाही करती हैं। घरों में ये गाय बहुत दुबली-पतली होती है मगर आवारा होने पर इनको सम्भालना मुश्किल हो जाता है। ये गाय आवारा क्यों होती है इस विषय पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं इस पर बोलूंगा तो यह विषय बहुत लम्बा चला जायेगा। मैं स्ट्रे केट्टल पर बहुत लम्बा भाषण दे सकता हूं मगर अभी इस पर जाने की जरुरत नहीं है। मनरेगा के बारे में जैसे माननीय ठाकुर साहब ने कहा, ऐसा सचमुच में है। हम इस बात को मानते हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है कि अगर फसल से ज्यादा पैदावार न हो तो लोग मनरेगा की तरफ जाते हैं। वहां पर लोगों को सौ दिन का रोजगार मिल रहा है और रोजगार भी किसी नज़दीक के गांव में मिल रहा है तथा असैट्स डिवैल्प होते हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों का ध्यान मनरेगा की तरफ जाता है। मनरेगा की वजह से सरकार के ऊपर यह दवाब भी कम रहा कि जो लोग रोजगार मांगते थे उनके लिए रोजगार घर-द्वार पर मिलने लगा। जैसे यह मुद्दा आज सदन में उठाया गया है तो यह मुद्दा केवल आज ही नहीं उठा है। यह मुद्दा हमेशा सदन में गूंजता रहा है और इस मुद्दे को पूर्व सरकार

ने केंद्र सरकार से उठाया है। रेजोल्युशन कई बार आए हैं। रेजोल्युशन के बारे में मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि यह रेजोल्युशन वर्ष 2008 में पूर्व मुख्य मंत्री

द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। हम अपना पक्ष रखते गए और केंद्र सरकार के अधिकारियों की तरफ से अजीब से सुझाव आते गए। केंद्र द्वारा कोई भी योजना केवल हिमाचल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए बनाई जाती है। उसमें जैसे हम रख-रखाव की बात करते हैं तो उन्होंने सुझाव मांगा कि जो राखे रखे जायेंगे उनको असैसमैंट कैसे करेंगे ? उनकी असैसमैंट कितनी होनी चाहिए? उसके बारे में उनके जवाब आए और पत्राचार होता रहा। 27नवम्बर को वहां से जवाब आया और उसके बाद यहां से दोबारा से चिट्ठी लिखी गई। मंत्री बदल गए और रघुवंश प्रसाद सिंह जी को चिट्ठी भेजी गई। यह लगातार चलता-----

श्री बी.जे.द्वारा जारी

11.12.2014/1640/नेगी/एजी/1
माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ... जारी....

तो यह लगातार चलता रहा। उनके पत्र के जवाब में हम लोग उनको लिखते रहे कि जो हमारी फसलें हैं उनको बचाने के लिए इसमें प्रावधान किया जाए। यह लगातार पत्राचार चलता रहा। कई बार तो उनके जो जवाब आए, वे भी अजीब से जवाब आए। केन्द्र सरकार से यह जवाब आया कि ऐसे ट्रैंचिज़ बना दिए जाएं। मनरेगा के अन्तर्गत हम बड़े-बड़े ट्रैंचिज़ बनाए जाएं। मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं, हम सुझाव तो भेजते हैं लेकिन वहां से हमारे पत्र का जवाब यह आता है कि बड़े-बड़े ट्रेंचिज बना दिए जाएं जिससे जो स्ट्रे एनिमल्ज़ या दूसरे जंगली जानवर हैं , वे वहां न पहुंचें। उनको यह मालूम नहीं है कि बन्दर कहां-कहां चढ़ते हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूॅ कि पत्राचार द्वारा हम लगातार केन्द्र सरकार से मसला उठाते रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना बनाई गई यह भी मैं कहना चाहूंगा कि Scheme regarding engagement of crop protection under MNREGA पूर्व सरकार ने, मैंने देखा है कि इसके अन्दर बहुत तरीके से आपने सुझाव दे कर केन्द्र सरकार को केस भेजा है कि किस तरीके से हम राखे रख सकते हैं? कितने हैक्टेयर ज़मीन के अन्दर हम राखे रख सकते हैं? कितने घंटे के लिए हम राखे रख सकते हैं? प्रश्न इस बात का है, आपने खुद कहा है कि दिन के टाईम तो बन्दर होते हैं लेकिन रात को जंगली जानवर हो सकते हैं। राखे रखने के लिए केन्द्र सरकार के पास हम सुझाव भेजें तो उसमें हमें यह भी जानकारी देनी पड़ेगी ।रात को राखे रखने का सुझाव भी यहां से हमें भेजना पड़ेगा। यह चर्चा इसलिए है कि राखे केवल दिन के लिए ही नहीं

बल्कि रात को भी रखे जाएं। ठाकुर गुलाब सिंह जी ने कहा कि फसलों का ज्यादा नुकसान रात को हो रहा है । तो राखे रखने के लिए जो प्रस्ताव हम केन्द्र सरकार को भेजें तो यह भी हमें जानकारी देनी पड़ेगी कि हम किस तरीके से राखे रखें। श्री रिखी राम कौंडल जी ने बात उठायी है कि हम पूरी तरह से स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं। मैं रिखी राम कौंडल जी से अनुरोध करूंगा कि आज सिस्टम बदल चुका है । अब ज़माना ऐसा है कि डेली कि डेली एम.आई.एस. के थ्रू हम जो एन्टरी करते हैं , वो सारी रिफ्लैक्ट होती है। इस वजह से विभाग की डेली रिपोर्ट एम.आई.एस. के

11.12.2014/1640/केएस/एजी/2

माध्यम से चढ़ाई जाती है जिससे कितनी पेमैन्ट सरकार से मिलनी चाहिए, कितनी पैंडिंग है उसका ब्यौरा साथ-साथ मिलता रहता है । इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि 10 दिसम्बर तक हमारी 78 करोड़ रूपये की देनदारी बनी हुई है। यह हमारी लॉयबिलिटी है। वह पैसा हमें आ नहीं रहा है जबकि हम लगातार केन्द्र सरकार से इस मसले को उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इसमें वचनबद्ध नहीं हैं। आपने पहली बार कहा कि आडिट रिपोर्ट मनरेगा के अन्तर्गत कभी थी नहीं। आडिट रिपोर्ट जल्द से जल्द सब्मिट करें। वह विभाग को भी शायद निर्देश दिए हैं, आडिट रिपोर्ट टाईम से केन्द्र सरकार को भेजेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार वचनबद्ध है कि जो मसले आपके माध्यम से उठाए जाते हैं उनपर पूर्ण रूप से हम विचार करें। जहां तक मनरेगा की बात की, मैंने पहले भी कहा कि हमने लगभग 10 0 परसेन्ट अचीवमैन्ट मनरेगा में की हैं। इस साल हमें मुश्किल आ रही है । आपको मालूम होगा कि आज हम पेमैन्ट नहीं कर पा रहे हैं। यदि पेमेन्ट टाईम से नहीं होगी तो मुश्किल होगी। जैसे ठाकुर गुलाब सिंह जी ने कहा कि आपके केन्द्र से मधुर संबंध हैं, अब तो आपकी सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार केन्द्र में बैठी है। मैं यह कह रहा हूं कि जो हमारी डेली की डेली एम.आई.एस. की रिपोर्ट है , यह आप रूरल डिवलपमैन्ट डिपार्टमैन्ट की वैवसाइट में भी देख सकते हैं। उसमें डेली की डेली रिपोर्ट ब्लॉक-वाइज़ एन्टरी की जाती है । आपको उसमें पूरा पैसे के डिटेल मिल सकता है और इसमें कुछ भी कहने की बात नहीं है। जहां तक इस संकल्प की बात है,...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

11.12.2014/1645/यूके/एजी/1
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री-- जारी---

जहां तक इस संकल्प की बात है इस संकल्प के लिए हम भी वचनबद्ध हैं, हम भी चाहते हैं कि इस तरह रेजोलूशन केन्द्र सरकार के पास जाए और हम चाहेंगे कि क्योंकि केन्द्र में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार है। अब यू0पी0ए0 की तरह भी नहीं है कि किसी की बैसाखियों पर चल रही थी। आप भी पूर्ण रूप से वहां इस बात को रखें और आपने कहा कि आपका सांसद वहां है, हम तो बैसिखायों पर थे, आप दौड़ रहे हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो यह संकल्प आप लाए हैं हम केन्द्र सरकार को भेजने के लिए तैयार हैं। (व्यवधान) महेन्द्र सिंह जी को मुम्बई का लगा हुआ है। इसमें आपको खुश होना चाहिए कि आपके हिमाचल का कोई बेटा वहां कुछ काम कर रहा है। मैं तो हैरान होता हूं। मैं कभी बच्चों तक नहीं पहुंचा। लेकिन आपका ध्यान बच्चों तक ही सीमित है, आप राजनीति इस स्तर पर करना चाहते हैं, पूरे देश में इस शादी के लिए हिमाचल का मान-सम्मान हुआ है। पर आप घड़ी-घड़ी इस बात को कर रहे हैं। (व्यवधान) घड़ी-घड़ी इस मुद्दे को उठाने की बजाय इस संकल्प पर बात करें। अतः जो यह संकल्प है, इसको हम केन्द्र सरकार को भेजेंगे और हम इसको एडॉप्ट करते हैं।

अध्यक्षः तो क्या इस माननीय सदन की अनुमति है कि इस संकल्प को स्वीकार किया जाए।

संकल्प स्वीकार हुआ ।

अब इस माननीय सदन की बैठक, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 के 11-00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176 215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 11 दिसम्बर, 2014 **सचिव।**